



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

प्राप्ति बजट 2024-2025

जुलाई, 2024

वित्त मंत्रालय
बजट प्रभाग

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
1. परिचायक टिप्पणी	(iii)
भाग क - प्राप्तियां	
2. प्राप्तियों का सार	1
3. कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश	
I. कर राजस्व	2-6
II. कर-भिन्न राजस्व	7-13
III. पूंजी प्राप्तियां	14-19
अनुबन्ध:	
1. प्राप्तियों की प्रवृत्तियां	20
2. अनुबंध 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	21
3. वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान	22
4. ब.अ. 2024-2025 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	23
4क. सं.अ. 2023-2024 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	24
4ख. वास्तविक 2022-2023 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	25
5. जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)	26
6. कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि	27
7. केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का विवरण	28-45
8. 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग	46-47

भाग ख - आस्ति और देयता विवरण

1.	भारत सरकार के ऋण की स्थिति	51
	(i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण	52
	(ii) परिसम्पत्तियों का विवरण	53
	(iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां	54-56
	(iv) आस्ति रजिस्टर	57
2.	केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा	58-68
2क.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	61
2ख.	मुद्रास्फीति दर संकेतक बांड	61
2ग.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां	61
2घ.	डाक विभाग को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड (लोक लेखा से बाजार ऋण में पोलिफ का प्रतिभूतिकरण)	61
2ङ.	तेल विपणन कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	62
2च.	उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	62
2छ.	भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	62
2ज.	आईएफसीआई को जारी भारत सरकार की विशेष बॉण्ड	62
2झ.	एसबीआई अधिकार निर्गम के लिए भारत सरकार के विशेष बॉण्ड	62
2ञ.	आईडीबीआई बॉण्ड (ब्याज रहित)	62
2ट.	सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनः पूंजीकरण हेतु जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां	62
2ठ-2ण	अन्य सरकार द्वारा नियंत्रित बैंकिंग संस्था के लिए पुनः पूंजीकरण बॉण्ड	67
2त.	जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की कमी को पूरा करने के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को बैंक-टू-बैंक ऋण प्रदान करने के लिए उधार	68
3.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	69-70
4.	वार्षिक परियोजनाओं पर देयता	71-101
5.	विदेशी सहायता	102-104
6.	वर्ष 2024-2025 में अदायगी के लिए देय बाजार ऋण/भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों/बॉण्ड	105

परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज को दो भागों; भाग क-प्राप्तियाँ और भाग ख-परिसंपत्ति एवं देयता विवरणों में व्यवस्थित किया गया है।

भाग क में सभी प्रकार की प्राप्तियों के सार के साथ-साथ उनके ब्यौरे और संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों को दिया गया है। इसमें कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत (ऋण एवं ऋण-भिन्न) प्राप्तियों से संबंधित विवरण हैं। केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में उन्हें अंतरित संसाधनों की बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए, बजट अनुमान (2024-25), संशोधित अनुमान (2023-2024) और वास्तविक (2022-2023) के अंतरण के राज्यवार अनुमान क्रमशः अनुबंध 4, 4क और 4ख में दिए गए हैं। ये विवरण राज्यों को अपने वित्तीय साधनों की योजना बनाने व नकदी प्रबंधन में भी बहुत सहायता करते हैं।

भाग ख में सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण सन्निहित हैं। एफआरबीएम नियम, 2004 के अंतर्गत यथा अधिदेशित वार्षिकी परियोजनाओं, कर-भिन्न राजस्व के बकायों, उत्पन्न परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व, परिसंपत्तियों और गारंटियों संबंधी विवरणों को भी शामिल किया गया है। ये विवरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

भारत सरकार की ऋण रूपरेखा के विभिन्न आयाम भाग-ख में परिसंपत्तियों और देनदारियों संबंधी विवरणों द्वारा दर्शाए गए हैं। इन विवरणों में सरकार की ऋण देनदारी की मात्रा और संरचना का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है।

प्राप्ति का सार

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2022-2023	बजट अनुमान 2023-2024	संशोधित अनुमान 2023-2024	बजट अनुमान 2024-2025
राजस्व प्राप्तियां				
1. कर राजस्व				
सकल कर राजस्व	3054191.64	3360858.44	3437211.34	3840170.40
निगम कर	825833.64	922675.00	922675.00	1020000.00
आय कर	833987.04	900575.00	1022325.00	1187000.00
सीमा शुल्क	213372.09	233100.00	218680.00	237745.00
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	322724.36	339000.00	308100.00	324000.00
सेवा कर	430.77	500.00	500.00	100.00
माल और सेवा कर (जीएसटी)#	849132.45	956600.00	956600.00	1061899.00
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	8711.29	8408.44	8331.34	9426.40
घटाइए - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	8,000.00	8,780.00	8,800.00	9,460.00
घटाइए - राज्यों का हिस्सा	9,48,405.82	10,21,447.91	11,04,493.71	12,47,211.28
केन्द्र का निवल कर राजस्व	20,97,785.82	23,30,630.53	23,23,917.63	25,83,499.12
2. कर भिन्न राजस्व				
ब्याज प्राप्तियां	27,852.23	24,820.12	31,778.00	38,224.00
लाभांश तथा लाभ	99,913.84	91,000.00	1,54,407.00	2,89,134.00
अन्य कर-भिन्न राजस्व	1,55,463.92	1,83,517.19	1,87,084.29	2,15,432.68
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	2,190.66	2,313.13	2,525.71	2,910.32
जोड़ कर-भिन्न राजस्व	2,85,420.65	3,01,650.44	3,75,795.00	5,45,701.00
I. जोड़ राजस्व प्राप्तियां	23,83,206.47	26,32,280.97	26,99,712.63	31,29,200.12
3. पूंजीगत प्राप्तियां				
क. ऋण भिन्न प्राप्तियां				
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां@	26,161.15	23,000.01	26,000.00	27,999.99
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	46,034.89	61,000.00	30,000.00	50,000.00
कुल	72,196.04	84,000.01	56,000.00	77,999.99
ख. ऋण प्राप्तियां*				
1. बाजार ऋण (निवल)	11,08,259.53	11,80,911.22	11,80,456.35	11,63,181.76
2. अदायगी के लिए बाजार ऋण	3,12,740.47	3,62,088.78	3,62,543.65	2,07,570.36
3. वापसी खरीद के लिए बाजार ऋण	30,247.88
4. स्विचिंग हेतु बाजार ऋण	1,03,065.72	1,00,000.00	1,00,000.00	1,50,000.00
5. घटाइए स्विचिंग हेतु भुगतान	-1,05,489.62	-1,00,000.00	-1,00,000.00	-1,50,000.00
6. बाजार ऋण (सकल) (1+2+3)	14,21,000.00	15,43,000.00	15,43,000.00	14,01,000.00
7. अल्पावधिक/रा. हुंडी उधार	1,12,009.24	50,000.00	1,323.00	-50,000.00
8. विदेशी ऋण (निवल)	37,123.75	22,117.52	24,831.63	15,952.29
9. लघु बचतों के लिए जारी प्रतिभूतियां (निवल)	3,95,859.73	4,71,317.00	4,71,316.93	4,20,063.00
10. राज्य भविष्य निधि (निवल)	5,088.55	20,000.00	5,200.00	5,000.00
11. अन्य प्राप्तियां (निवल)^	83,459.92	54,257.62	78,296.32	-81,282.13
12. जोड़ ऋण प्राप्तियां	17,39,376.84	17,98,603.36	17,61,424.23	14,72,914.92
II. जोड़ पूंजी प्राप्तियां (क+ख12)	18,11,572.88	18,82,603.37	18,17,424.23	15,50,914.91
4. नकदी शेष में आहरण से कमी	-1,622.12	-11,786.86	-26,652.00	1,40,397.05
जोड़ प्राप्तियां (I+II)	41,94,779.32	45,14,884.34	45,17,136.86	46,80,115.03

@ राज्यों से अल्पावधिक ऋण और अग्रिम, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋणों की वसूलियां शामिल नहीं हैं

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं

^ आरक्षित निधियों, जमा राशि, अग्रिम राशि आदि से प्राप्तियां शामिल हैं।

* प्राप्तियां अदायगी को घटा कर

10111.50

25250.00

25250.00

50250.00

कर राजस्व

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	(₹ करोड़) बजट 2024-2025
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01.	संग्रहण	0020	725878.24	798468.75	828675.00	916000.00
1.02.	अधिभार	0020	55103.89	88718.75	59000.00	65000.00
1.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0020	31017.70	35487.50	35000.00	39000.00
1.04.	शास्तियां	0020	79.28
1.05.	व्याज वसूलियां	0020	2111.91
1.06.	घरेलू कम्पनियों के बढ़ागत लाभों पर कर	0020	1923.59
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020	9715.92
1.08.	विविध प्राप्ति	0020	3.11
जोड़-निगम कर			825833.64	922675.00	922675.00	1020000.00
2. आय कर						
2.01.	संग्रहण	0021	718827.05	755437.50	887325.00	1031000.00
2.02.	अधिभार	0021	53914.25	83937.50	65000.00	75000.00
2.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0021	30791.59	33575.00	38000.00	44000.00
2.04.	शास्तियां	0021	193.57
2.05.	व्याज वसूलियां	0021	3591.23
2.06.	काले धन के तहत कर	0021	57.84
2.07.	विविध प्राप्ति	0021	845.79
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	0034	25085.37	27625.00	32000.00	37000.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.66
2.11.	व्याज कर	0024	8.46
2.12.	अनुषंगी लाभ कर	0026	-74.56
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर					
2.13.01.	व्यय कर	0028	15.51
2.13.02.	आय घोषणा योजना, 2016	0028	0.21
2.13.03.	अन्य प्राप्ति	0028	2.77
जोड़-आय तथा व्यय पर अन्य कर			18.49
2.14.	कृषि कल्याण उपकर	0028	0.01
2.16.	पीएम गरीब कल्याण योजना 2016 के लिए कराधान और निवेश संबंधी व्यवस्था	0028	0.01
जोड़-आय कर			833259.76	900575.00	1022325.00	1187000.00
3. संपत्ति कर						
3.01.	संपदा शुल्क	0031	1.06
3.02.	धन पर कर	0032	-10.28
जोड़-संपत्ति कर			-9.22
4. पण्य लेन - देन कर						
4.01.	वस्तु लेनदेन कर के अंतर्गत संग्रहण	0036	736.30
4.04.	गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम	0036
जोड़-पण्य लेन - देन कर			736.30
5. सीमा शुल्क						
5.01.	आयात शुल्क					
5.01.01.	बुनियादी शुल्क (स्क्रिप्स डेबिट के माध्यम सहित)					
5.01.01.01.	स्क्रिप्स के नामे को छोड़कर	0037	167638.71	139529.69	142280.85	145839.69
5.01.01.02.	विभिन्न स्क्रिप आधारित योजना के कारण खाते में नामे के माध्यम से	0037	...	41070.31	24684.15	41070.31
जोड़-बुनियादी शुल्क (स्क्रिप्स डेबिट के माध्यम सहित)			167638.71	180600.00	166965.00	186910.00

			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	बजट 2024-2025	
5.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	
5.01.03.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0037	831.70	1030.00	940.00	
5.01.04.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0037	
5.01.05.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	
5.01.06.	समाज कल्याण अधिभार	0037	16178.79	19500.00	15200.00	
5.01.07.	स्वास्थ्य कर	0037	24.01	20.00	30.00	
5.01.08.	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी)	0037	23132.87	28400.00	26610.00	
<i>जोड़-आयात शुल्क</i>			<i>207806.08</i>	<i>229550.00</i>	<i>209705.00</i>	
5.02.	निर्यात शुल्क	0037	-1549.72	50.00	15.00	
5.03.	निर्यात पर उपकर	0037	852.44	1500.00	1560.00	
5.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	2456.25	2000.00	3640.00	
5.05.	सार्वजनिक नीलामी द्वारा सोने की विक्री	0037	2.09	
5.06.	जन्तु माल की विक्री प्राप्तियां	0037	2410.06	...	2710.00	
5.07.	स्वर्ण पर सीमा शुल्क	0037	
5.08.	आकलन के लिए अग्रिम भुगतान की रसीद	0037	166.95	
5.09.	सुरक्षण शुल्क	0037	0.31	
5.10.	सड़क और अवसंरचना उपकर	0037	2.55	
5.11.	प्रति पाटन (एंटी डंपिंग) शुल्क	0037	1225.08	...	1050.00	
<i>जोड़-सीमा शुल्क</i>			<i>213372.09</i>	<i>233100.00</i>	<i>218680.00</i>	
6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क						
6.01.	बुनियादी उत्पाद शुल्क	0038	32327.21	33100.00	34600.00	
6.02.	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	
6.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	
6.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	7168.30	7750.00	7900.00	
6.05.	विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	147163.79	181500.00	145000.00	
6.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	0.03	
6.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
6.07.01.	प्राथमिक शिक्षा उपकर	0038	0.68	
6.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	0.23	
6.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	21497.14	20540.00	18500.00	
6.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	0.05	
6.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	0.29	
6.07.06.	ऑटोमोबाइल पर उपकर	0038	
6.07.07.	अन्य	0038	
6.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर	0038	19.75	
6.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	
6.07.10.	मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल पर कर (सड़क और आवसंरचना उपकर) पर सीमा शुल्क	0038	59232.40	45110.00	44300.00	
6.07.11.	कृषि अवसंरचना और विकास उपकर	0038	51009.16	51000.00	53300.00	
<i>जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर</i>			<i>131759.70</i>	<i>116650.00</i>	<i>116100.00</i>	
6.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
6.08.01.	रबड़	0038	
6.08.02.	जूट	0038	0.01	
6.08.03.	चाय	0038	0.01	
6.08.04.	तेल और तिलहन	0038	
6.08.05.	कपास	0038	
6.08.06.	तंबाकू	0038	0.03	

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	(₹ करोड़)				
		वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	बजट 2024-2025	
6.08.07.	कागज	0038	
6.08.08.	नमक	0038	
जोड़-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर		0.05	
6.09.	उत्पाद कर अनुषंगी शुल्क	0038	-36.26	
6.10.	विशेष उत्पाद कर	0038	438.03	
6.11.	विद्युत उत्पादन पर उत्पाद शुल्क	0038	
6.12.	कपड़ा और कपड़े के बने वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	
6.13.	खनिज उत्पाद पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	
6.14.	बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-0.35	
6.15.	टीवी सेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-1.73	
6.16.	अन्य शुल्क	0038	25.59	
6.17.	जब्त वस्तुओं की बिक्री	0038	0.12	
6.18.	विविध प्राप्तियां	0038	155.63	
जोड़-केंद्रीय उत्पाद शुल्क		319000.11	339000.00	303600.00	319000.00	
7. सेवा कर						
7.01.	संग्रहण	0044	413.07	500.00	500.00	100.00
7.02.	प्राथमिकता शिक्षा उपकर	0044	2.50
7.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	1.22
7.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	7.98
7.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	6.00
7.06.	अन्य प्राप्तियां	0044
जोड़-सेवा कर		430.77	500.00	500.00	100.00	
8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)						
8.01.	केंद्रीय माल एवं सेवा कर	0005	718521.75	811600.00	811600.00	910890.00
8.02.	समेकित माल एवं सेवा कर	0008	4748.29
8.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	125862.41	145000.00	145000.00	151009.00
जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)		849132.45	956600.00	956600.00	1061899.00	
9. वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क						
9.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040
9.02.	अन्य कर	0045	3724.25	...	4500.00	5000.00
जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क		3724.25	...	4500.00	5000.00	
10. संघ राज्य क्षेत्रों के कर						
10.01.	भू राजस्व	0710	287.95	28.44	25.44	26.00
10.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	367.55	443.90	393.90	421.00
10.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	1458.97	1890.00	1640.00	1910.00
10.04.	बिक्री कर	0710	1317.52	1665.00	1532.00	1712.00
10.05.	वाहनों पर कर	0710	473.36	387.00	364.00	397.00
10.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	12.43	15.00	13.90	16.30
10.07.	विजली पर कर और शुल्क	0710	25.39	40.00	27.00	40.00
10.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	...	4.10	5.10	4.10
10.09.	केंद्र शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	4768.12	3935.00	4330.00	4900.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर		8711.29	8408.44	8331.34	9426.40	
11. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंतरित एनसीसीडी						
11.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-831.70	-1030.00	-900.00	-940.00
11.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-7168.30	-7750.00	-7900.00	-8520.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंतरित एनसीसीडी		-8000.00	-8780.00	-8800.00	-9460.00	
12. घटाइए-राज्यों का हिस्सा						
12.01.		0710	-948405.82	-1021447.91	-1097342.40	-1247211.28

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	(₹ करोड़)			
		वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	बजट 2024-2025
13. घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन	0710	-7151.31	...
14. पूंजीगत संपत्ति और अन्य लेनदेन कर					
14.01. स्टांप शुल्क और पूंजीकरण शुल्क					
14.01.01. न्यायालयी स्टांप शुल्क - स्टांप के रूप में जारी न्यायालय शुल्क	0030	0.20
जोड़-कर राजस्व		2097785.82	2330630.53	2323917.63	2583499.12
कुल जोड़		2097785.82	2330630.53	2323917.63	2583499.12

1. **निगम कर:** यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों की आय पर लगाया जाता है। 2023-2024 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान 9,22,675 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 9,22,675 करोड़ रुपए है। 2024-2025 का बजट अनुमान 10,20,000 करोड़ रुपए है।

2. **आय कर:** यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से इतर, व्यक्तियों, फर्मों आदि की आय पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2023-2024 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 9,00,575 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले 10,22,325 करोड़ रुपए है। 2024-2025 के लिए बजट अनुमान 11,87,000 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2018-19 से (अधिभार सहित) आयकर के 4% की दर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाया जाता है।

3. **संपत्ति कर:** धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। इस कर को 2016-17 से समाप्त किया गया।

5. **सीमा शुल्क:** वर्ष 2023-24 हेतु सीमा शुल्क के लिए 2,33,100 करोड़ ₹. के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान 2,18,680 करोड़ ₹. है। वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान 2,37,745 करोड़ ₹. है।

5.01.01. **बुनियादी शुल्क (स्क्रिप्स डेबिट के माध्यम सहित):** सीमा शुल्क का मूलभूत शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर मूलभूत सीमा शुल्क उदग्रहणीय है।

5.01.01.01. **स्क्रिप्स के नामे को छोड़कर:** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत आयातित माल पर मूल सीमा शुल्क वसूला जा सकता है।

5.01.01.02. **विभिन्न स्क्रिप आधारित योजनाओं के कारण खाते में डेबिट के माध्यम से:** वर्तमान योजनाओं के अलावा, कुछ ऐसी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हैं, जिनका उपयोग वर्तमान वर्ष में एफटीपी की शर्तों में पूर्व में लागू योजनाओं से संबंध में किया गया और जहां शुल्क क्रेडिट स्क्रिप बकाए वर्तमान वर्ष में स्वीकार किए गए। किसी निर्यातक को शुल्क क्रेडिट योजना प्रदान की जाती है, जो कुछ क्रेडिट राशि की होती है, जिसका उपयोग मूल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। अन्य बातों के साथ निर्यात माल पर करों/शुल्कों, वसूलियों की प्रतिपूर्ति के लिए भी शुल्क क्रेडिट दिया जाता है। इन स्क्रिप को सीमा शुल्क ईडीआई में रखे गए निर्यातक के लेजर खाते में दर्ज किया जाता है। ऐसी योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- भारत से समान का निर्यात योजना (एमईआईएस) (आरई 2023-24 243.47 करोड़ ₹., बीई 2024-25, 2,080.97 करोड़ ₹.,)
- भारत से सेवाओं का निर्यात योजना (एसईआईएस) (आरई 2023-24 1410.44 करोड़ ₹., बीई 2024-25, 1,032.35 करोड़ ₹.,)
- राज्य और केंद्रीय करों एवं वसूलियों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना (आरई 2023-24, 8051.81 करोड़ ₹., बीई 2024-25, 11,663.46 करोड़ ₹.,)
- राज्य वसूलियों पर छूट (आरओएसएल) योजना (बीई 2024-25, 163.50 करोड़ ₹.,)
- मोबाइल फोन के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ लाभांश प्रोत्साहन (बीई 2024-25, 66.95 करोड़ ₹.,)
- निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) (आरई 2023-24 14874.42 करोड़ ₹., बीई 2024-25, 23,922.44 करोड़ ₹.,)
- टारगेट प्लस स्कीम (टीपीएस) (आरई 2023-24, 48.18 करोड़ ₹., बीई 2024-25, 1,399.23 करोड़ ₹.,)
- फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस) और बाजार से जुड़ी फोकस उत्पाद योजना (आरई 2023-24, 41.51 करोड़ ₹., बीई 2024-25, 306.42 करोड़ ₹.,)
- फोकस बाजार योजना (एफएमएस) (आरई 2023-24, 0.46 करोड़ ₹., बीई 2024-25, 96.74 करोड़ ₹.,)
- विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) (आरई 2023-24, 0.53 करोड़ ₹., बीई 2024-25, 77.64 करोड़ ₹.,)
- स्टेट्स धारक प्रोत्साहन योजना (एसएचआईएस) (आरई 2023-24, 0.96 करोड़ ₹., बीई 2024-25, 142.96 करोड़ ₹.,)
- वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना (आरई 2023-24, 12.37 करोड़ ₹., बीई 2024-25, 117.65 करोड़ ₹.,)

5.01.02. **सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी):** सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है जो घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों पर वसूले जाने वाले उत्पाद शुल्क के समकक्ष है। इस शुल्क को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों, जो जीएसटी से बाहर हैं को छोड़कर) कर लिया गया है।

- 5.01.03. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क:** वित्त अधिनियम, 2001 के तहत विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर और वित्त अधिनियम, 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क वसूला जाता है। अन्य मदों पर एनसीसीडी को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिलाया गया है।
- 5.01.07. स्वास्थ्य उपकर :** यह कुछ चिकित्सा उपकरणों पर सीमा शुल्क के रूप में लगाया गया उपकर है।
- 5.01.08. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी):** कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के वित्त पोषण के लिए वित्त अधिनियम, 2021 के तहत कृषि अवसंरचना एवं विकास उप-कर को सीमा शुल्क के प्रभार के रूप में वसूला जाता है।
- 5.02. निर्यात शुल्क:** कुछ विनिर्दिष्ट मदों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।
- 6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क:** 2023-24 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान 3,03,600 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 3,39,000 करोड़ रुपए है। 2024-2025 के लिए ब.अ. 3,19,000 करोड़ रुपए है।
- 6.01. बुनियादी उत्पाद शुल्क :** केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। इस शुल्क को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है। (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, जो जीएसटी में नहीं आते हैं)
- 6.02. मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इस शुल्क को सड़क एवं अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।
- 6.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क:** राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, कुछ विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त अधिनियम, 2001 के तहत और वित्त अधिनियम, 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। अन्य मदों पर एनसीसीडी को 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिलाया गया है।
- 6.05. मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** वित्त अधिनियम, 2002 के तहत विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) उदग्रहणीय है। इसे सामान्य रूप से सरचार्ज कहा जाता है। मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई स्पीड डीजल ऑयल (एचएसडी) के अलावा, अब एसएईडी को पेट्रोलियम एवं कूड एवं एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर भी वसूला जाता है।
- 6.07.10. मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल पर (सड़क और अवसंरचना उपकर) पर सीमा शुल्क:** अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्त अधिनियम, 2018 के तहत सड़क एवं अवसंरचना उप कर (आर ईसी) को एक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में वसूला जाता है।
- 6.07.11. कृषि अवसंरचना और विकास उपकर :** कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के वित्तपोषण के उद्देश्य से विधुत अधिनियम, 2021 के तहत सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ सामानों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में कृषि अवसंरचना और विकास उप कर वसूला जाता है।
- 7. सेवा कर:** सेवा कर को दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के तहत शामिल कर लिया गया है। 2023-24 के लिए सेवा कर का संशोधित अनुमान 500 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 500 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सेवा कर शेष (एरियर) हेतु बजट अनुमान 100 करोड़ रुपए है।
- 8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी):** माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया। जीएसटी मानव उपभोग के एल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति को छोड़कर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीजीएसटी का संशोधित अनुमान 8,11,600 करोड़ रुपए है जबकि ब.अ. 8,11,600 करोड़ रुपए। सीजीएसटी का वित्त वर्ष 2024-25 का ब.अ. 9,10,890 करोड़ रुपए है। आईजीएसटी राजस्व ऋणों के प्रति-उपयोग के परिणाम स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच समानुपात विभाजन और निधि के निपटारे के अध्यधीन है। जीएसटी प्रतिपूरक उपकर के संबंध में वर्ष 2023-24 का आरई और 2024-25 का बीई क्रमशः 1,45,000 करोड़ रु. और 1,51,009 करोड़ रु. है।
- 13. घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन:** इस राजकोषीय वर्ष में किए जाने वाले पूर्व अवधि के कर अंतरण के समायोजन के कारण राज्यों को समायोजन के रूप में 7151.31 करोड़ रु. का भुगतान किया जाना है। भारत के सी एंड एजी द्वारा प्रमाणन की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए अतिरिक्त अंतरण के लिए 16647.35 करोड़ रु. की वसूलियों को प्रभावी बनाने के बाद, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए करों के वास्तविक संग्रहण और राज्यों के अनुमानित हिस्से के बीच अंतर के कारण राज्यों को 23,798.66 करोड़ रु. का भुगतान किया जाना है। ये आंकड़े अनन्तिम हैं और संघ और राज्य सरकारों को भुगतान अथवा उनसे वसूली जाने योग्य बकाया देयताओं को ध्यान में रखते हुए इनमें परिवर्तन हो सकता है।

कर भिन्न राजस्व

कर भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	(₹ करोड़) बजट 2024-2025
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ						
1. ब्याज प्राप्तियां						
1.01.	राज्य	0049	9457.70	9796.07	11500.00	14500.00
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	244.56	50.02	142.00	75.00
1.03.	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	49848.15	36524.03	58862.85	55649.00
1.03.01.	घटाइए - व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-31698.18	-21550.00	-38726.85	-32000.00
<i>निवल-ब्याज प्राप्तियां</i>			<i>27852.23</i>	<i>24820.12</i>	<i>31778.00</i>	<i>38224.00</i>
2. लाभांश और लाभ						
2.01.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	59952.84	43000.00	50000.00	56260.00
2.02.	भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश, अधिशेष लाभ	0050	39961.00	48000.00	104407.00	232874.00
<i>जोड़-लाभांश और लाभ</i>			<i>99913.84</i>	<i>91000.00</i>	<i>154407.00</i>	<i>289134.00</i>
जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ			127766.07	115820.12	186185.00	327358.00
राजकोषीय सेवाएं						
3. राजकोषीय सेवाएं						
3.01.	मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	443.36	1331.00	400.00	180.00
3.02.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	684.29	100.00	1369.59	1654.41
<i>जोड़-राजकोषीय सेवाएं</i>			<i>1127.65</i>	<i>1431.00</i>	<i>1769.59</i>	<i>1834.41</i>
जोड़-राजकोषीय सेवाएं सामान्य सेवाएं			1127.65	1431.00	1769.59	1834.41
4. सामान्य सेवाएं						
4.01.	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01.	लोक सेवा आयोग	0051	158.71	102.00	121.50	122.00
4.01.02.	पुलिस	0055	12069.40	12286.10	12672.85	12673.10
4.01.03.	पूर्ति और निपटान	0057	0.14
4.01.04.	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	26.99	8.15	10.86	10.99
4.01.05.	लोक निर्माण कार्य	0059	562.62	490.32	519.81	536.73
4.01.06.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	6571.05	6329.34	6265.23	5882.76
4.01.07.	कारागार	0056	0.01
<i>जोड़-प्रशासनिक सेवाएं</i>			<i>19388.92</i>	<i>19215.91</i>	<i>19590.25</i>	<i>19225.58</i>
4.02.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	2719.62	2423.96	2676.62	2689.57
4.02.02.	घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
<i>निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां</i>			<i>2719.62</i>	<i>1423.96</i>	<i>1676.62</i>	<i>1689.57</i>
4.03.	विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01.	विविध सामान्य सेवाएं	0075	26145.67	27078.83	30242.59	29337.13
4.03.02.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग कैटिन - स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-23889.10	-23232.00	-26125.00	-26375.00
4.03.03.	घटाइए - प्राप्तियां	0075	-41.50	-174.20	-325.72	-556.37
<i>निवल-विविध सामान्य सेवाएं</i>			<i>2215.07</i>	<i>3672.63</i>	<i>3791.87</i>	<i>2405.76</i>
4.04.	रक्षा सेवाएं					
4.04.01.	रक्षा सेवाएं सेना	0076	4634.59	4483.11	4415.47	4415.47
4.04.01.01.	घटाए - प्राप्तियां	0076	-4634.59	-4483.11	-4415.47	-4415.47
<i>निवल</i>			<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.04.02.	रक्षा सेवाएं नौसेना	0077	1301.19	750.00	750.00	750.00

कर भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	(₹ करोड़) बजट 2024-2025
4.04.02.01.	घटाएं - प्राप्तियां	0077	-1301.19	-750.00	-750.00	-750.00
	<i>निवल</i>	
4.04.03.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	0078	1788.40	1300.00	1700.00	1300.00
4.04.03.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0078	-1788.40	-1300.00	-1700.00	-1300.00
	<i>निवल</i>	
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	5.55	7.00	5.00	8.00
4.04.04.01.	घटाएं - प्राप्तियां	0079	-5.55	-7.00	-5.00	-8.00
	<i>निवल</i>	
4.04.05.	रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	0080	319.74	300.00	300.00	300.00
4.04.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0080	-319.74	-300.00	-300.00	-300.00
	<i>निवल</i>	
	<i>निवल-रक्षा सेवाएं</i>	
	<i>निवल-सामान्य सेवाएं</i>		24323.61	24312.50	25058.74	23320.91
	जोड़-सामान्य सेवाएं		24323.61	24312.50	25058.74	23320.91
	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं					
5.	सामाजिक सेवाएं					
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	1592.27	360.03	840.11	870.50
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	2152.12	2183.39	2005.60	2400.68
5.03.	परिवार कल्याण	0211	27.17	20.16	50.02	55.02
5.04.	आवास	0216	635.38	335.99	644.59	694.46
5.05.	शहरी विकास	0217	0.01
5.06.	सूचना और प्रचार प्रसार	0220	67.33	37.18	44.31	43.65
5.07.	प्रसारण	0221	1123.18	975.05	975.01	951.01
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	71.55	45.46	122.21	123.91
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	54.99	4.03	523.77	377.91
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	1163.94	1053.00
5.10.01.	घटाइए-प्राप्तियां	0250
5.11.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	0215	874.63	573.49
	<i>निवल-सामाजिक सेवाएं</i>		6887.94	3961.29	6080.25	7143.63
	जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं		6887.94	3961.29	6080.25	7143.63
	आर्थिक सेवाएं					
6.	आर्थिक सेवाएं					
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल खेती	0401	427.03	736.49	546.26	556.25
6.01.02.	पशु पालन	0403	57.01	50.90	63.40	64.56
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	303.92	395.00	300.00	441.00
6.01.03.01.	घटाएं - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां	0404	-274.21	-360.00	-270.00	-410.00
	घटाइए - दिल्ली दुग्ध योजना					
	<i>निवल</i>		29.71	35.00	30.00	31.00
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	8.98	4.91	11.11	11.25
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	139.89	80.53	150.51	150.31
6.01.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0406	-1.10	-10.00	-16.00	-15.00
	<i>निवल</i>		138.79	70.53	134.51	135.31
6.01.06.	खाद्य भंडारण और भण्डार गृह	0408	438.44	673.60	507.78	508.57
6.01.06.01.	घटाएं - प्राप्तियां	0408
	<i>निवल</i>		438.44	673.60	507.78	508.57
6.01.07.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	7.11	5.25	7.42	8.45
6.01.08.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	21.16	25.00	24.90	24.50
6.01.09.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	0552	24.73	...	18.00	9.00

कर भिन्न राजस्व	मुख्य शीर्ष	(₹ करोड़)				
		वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	बजट 2024-2025	
6.01.10.	सहयोग	0425	0.09
6.01.11.	भूमि सुधार	0506	93.48	...	95.00	100.00
	<i>निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप</i>		<i>1246.53</i>	<i>1601.68</i>	<i>1438.38</i>	<i>1448.89</i>
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	50.96	30.00	50.00	50.00
6.02.02.	लघु सिंचाई	0702	204.56	160.00	300.00	300.00
	<i>जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण</i>		<i>255.52</i>	<i>190.00</i>	<i>350.00</i>	<i>350.00</i>
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	6114.87	6397.20	5036.36	5556.02
6.03.01.01.	घटाएं - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां - ईंधन माल सूची	0801	-3681.08	-3339.53	-3073.29	-4105.73
	<i>निवल</i>		<i>2433.79</i>	<i>3057.67</i>	<i>1963.07</i>	<i>1450.29</i>
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	19785.02	24185.00	14922.08	15933.00
6.03.03.	कोयला और लिग्नाइट	0803	2.14	17.00	51.00	51.00
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	2.57	0.06	10.05	10.06
	<i>निवल-ऊर्जा</i>		<i>22223.52</i>	<i>27259.73</i>	<i>16946.20</i>	<i>17444.35</i>
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	120.47	114.34	55.69	71.84
6.04.02.	उद्योग	0852	3044.16	3597.89	3707.96	3516.96
6.04.02.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन फैब्रिकेशन सुविधाएं	0852	-2666.88	-3339.59	-2987.62	-2916.07
6.04.02.02.	घटाएं - सेक्टर में अन्य प्राप्तियां	0852	-105.09	...
	<i>निवल</i>		<i>377.28</i>	<i>258.30</i>	<i>615.25</i>	<i>600.89</i>
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	927.01	1027.09	894.97	910.10
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	284.50	275.00	270.00	334.00
6.04.04.01.	घटाएं : वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां - अफीम और एल्कालॉयड फैक्ट्रियां	0875	-284.50	-275.00	-270.00	-334.00
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-उद्योग और खनिज</i>		<i>1424.76</i>	<i>1399.73</i>	<i>1565.91</i>	<i>1582.83</i>
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और लाइट हाउस	1051	401.18	405.42	414.41	472.75
6.05.01.01.	घटाएं - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां - लाइट हाउस और लाइट शिप्स	1051	-379.86	-380.00	-395.00	-450.00
	<i>निवल</i>		<i>21.32</i>	<i>25.42</i>	<i>19.41</i>	<i>22.75</i>
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	98.31	97.51	81.05	93.12
6.05.03.	नागर विमानन	1053	199.72	184.75	329.08	328.98
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	22469.99	21460.00	27847.51	31260.00
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	11.82
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	10917.89	13439.38	11408.04	12238.77
6.05.06.01.	घटाएं - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां - डाक	1201	-10917.89	-13439.38	-11408.04	-12238.77
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
6.05.07.	सड़क परिवहन	1055
	<i>निवल-परिवहन</i>		<i>22801.16</i>	<i>21767.68</i>	<i>28277.05</i>	<i>31704.85</i>
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	64835.17	89469.17	93541.01	120267.31
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	117.47	128.12	119.93	108.76
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	3437.37	5363.84	3085.69	2131.41
	<i>जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण</i>		<i>3554.84</i>	<i>5491.96</i>	<i>3205.62</i>	<i>2240.17</i>

कर भिन्न राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	(₹ करोड़) बजट 2024-2025
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	487.34	439.00	515.19	566.70
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	4297.84	4044.36	6834.51	6418.49
6.08.02.01.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	0515	83.63	10.00	46.00	52.00
	जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		4381.47	4054.36	6880.51	6470.49
6.08.03.	पर्यटन	1452	27.13	3.55	13.72	14.05
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.17	0.23	0.25	0.28
	जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं		4896.11	4497.14	7409.67	7051.52
	निवल-आर्थिक सेवाएं		121237.61	151677.09	152733.84	182089.92
7.	रेल राजस्व					
7.01.	भारतीय रेलवे-विविध प्राप्ति	1001	194.40	400.00	700.00	400.00
7.01.01.	घटाइए - विविध प्राप्ति	1001	-194.40	-400.00	-700.00	-400.00
7.02.	भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइनें	1002	237295.81	262672.50	255408.16	275452.00
7.02.01.	घटाइए - प्राप्ति	1002	-237295.81	-262672.50	-255408.16	-275452.00
7.03.	भारतीय रेलवे - सामरिक लाइनें	1003	2686.75	1927.50	2491.84	2648.00
7.03.01.	घटाइए- प्राप्ति	1003	-2686.75	-1927.50	-2491.84	-2648.00
	निवल- रेल राजस्व	
	जोड़-आर्थिक सेवाएं		121237.61	151677.09	152733.84	182089.92
	सहायता-अनुदान तथा अंशदान					
8.	सहायता अनुदान और अंशदान					
8.01.	विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	32.55	30.78	12.30	11.12
8.01.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि निधि	1605	0.19	1.89	5.54	10.53
8.01.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	25.90	16.31	37.54	...
8.01.01.04.	यूरोपीयन यूनियन	1605
	जोड़-बहुपक्षीय		58.64	48.98	55.38	21.65
8.01.02.	द्विपक्षीय					
8.01.02.01.	फ्रांस	1605	14.90	7.86	10.75	153.84
8.01.02.02.	जर्मनी	1605	11.87	52.70	69.15	138.32
8.01.02.03.	जापान	1605	15.49	11.90
	जोड़-द्विपक्षीय		42.26	72.46	79.90	292.16
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	746.40	815.45	1081.90	725.00
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	1.66
	जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय		748.06	815.45	1081.90	725.00
	जोड़-विदेश अनुदान सहायता		848.96	936.89	1217.18	1038.81
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	1038.15	1198.42	224.69	5.00
	जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान		1887.11	2135.31	1441.87	1043.81
	जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान		1887.11	2135.31	1441.87	1043.81
	संघ राज्य क्षेत्रों का गैर कर राजस्व					
9.	संघ राज्य क्षेत्रों के गैर कर राजस्व	1710	2190.66	2313.13	2525.71	2910.32
	जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का गैर कर राजस्व		2190.66	2313.13	2525.71	2910.32
	कुल जोड़		285420.65	301650.44	375795.00	545701.00

1.1. राज्य: राज्यों को जारी ऋणों पर ब्याज प्राप्ति में अन्य के साथ - साथ निम्नलिखित पर ब्याज शामिल हैं :

(क) गैर-योजना (बाह्य नियंत्रण) के अंतर्गत अलग अलग समय अवधि में पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों को संवितरित ऋण;

(ख) भिन्न ब्याज दरों पर वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को संवितरित पुराने ऋण, जिसके लिए अब एकरूप ब्याज दर निर्धारित किया गया है;

(ग) राज्य योजनागत स्कीमों हेतु सहायता प्रदान करने के लिए संवितरित ऋण जिसकी परिपक्वता अवधि 20 वर्ष है;

(घ) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को संवितरित ऋण। इसमें ब्लॉक ऋण, पुनर्वासन - अन्य देशों से आने वाले देश के नागरिक और संसाधन अंतराल इत्यादि को कवर करने के लिए ऋण आदि।

1.2. संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त): संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित) को दिए गए ऋणों पर ब्याज

1.3. अन्य ब्याज प्राप्ति: "अन्य ब्याज प्राप्ति" के तहत अनुमान, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी सेवकों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज के सम्बन्ध में है। इन अनुमानों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा देय अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज शामिल है।

2. लाभांश और लाभ: इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।

3.2. अन्य राजकोषीय सेवाएं: ये प्राप्ति मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभारों, के मद में अंशदान, आईएमएफ से प्राप्त पारिश्रमिक आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि से सम्बन्धित हैं।

4.01.01. लोक सेवा आयोग: "लोक सेवा आयोग" की प्राप्ति मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को निरूपित करती हैं।

4.01.02. पुलिस: "पुलिस" की प्राप्ति राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को आपूर्ति किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्ति में दिल्ली पुलिस की प्राप्ति भी शामिल हैं।

4.01.03. पूर्ति और निपटान: "आपूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की बिक्री से आय से सम्बन्धित हैं।

4.01.04. लेखन सामग्री और मुद्रण: "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्ति सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से प्राप्त राशियां हैं।

4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं: "अन्य प्रशासनिक सेवाओं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क आदि से संबंधित हैं।

4.03.02. घटाइए - वाणिज्यिक विभाग कैंटीन - स्टोर्स विभाग की प्राप्ति: वाणिज्यिक विभाग की प्राप्ति रक्षा सेवा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति: "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से भी सम्बन्धित हैं।

5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य: "चिकित्सा" प्राप्ति में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्ति में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्ति आदि शामिल हैं।

5.03. परिवार कल्याण: "परिवार कल्याण" प्राप्ति मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्ति से सम्बन्धित हैं।

5.04. आवास: "आवासन" प्राप्ति मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से संबंधित हैं।

5.06. सूचना और प्रचार प्रसार: "सूचना तथा प्रचार" प्राप्ति में रोजगार समाचार और अन्य विज्ञापन से प्राप्ति, फिल्म डिविजन निदेशालय और आउटरीच एंड कॉन्सुल्टेशन ब्यूरो (पहले डीएवीपी) की प्राप्ति शामिल हैं।

5.07. प्रसारण: डीटीएच प्रचालक, वाणिज्यिक सेवाएं (टीवी), वाणिज्यिक सेवाएं (एफएम) और अन्य प्राप्ति से प्राप्त लाइसेंस शुल्क।

5.08. श्रम और रोजगार: "श्रम और रोजगार" प्राप्ति मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।

5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" के अंतर्गत प्राप्ति मुख्यतः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित है।

6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप: इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्ति को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री से आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।

6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण: इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्ति आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

6.03. ऊर्जा: इस शीर्ष के अंतर्गत "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न खंडों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.3.01. विद्युत: 'विद्युत' शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.03.02. पेट्रोलियम: 'पेट्रोलियम' शीर्ष के तहत अनुमान में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन पर रॉयल्टी से प्राप्तियां, पेट्रोलियम लाभ और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की विशेष खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क शामिल हैं।

(क) खनिज तेल पर रॉयल्टी तेल क्षेत्रों (विनियमन और विकास अधिनियम, 1948) की धारा 6ए और समय-समय पर संशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 द्वारा विनियमित होती है। पी एंड एनजी नियम 1959 के नियम 14 के तहत कच्चे तेल, कंडेनसेट और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर रॉयल्टी देय है। ऑनलैंड क्षेत्रों से उत्पादन पर रॉयल्टी संबंधित राज्य सरकार को और अपतटीय क्षेत्रों से उत्पादन पर केंद्र सरकार को देय है। किसी भी खनिज तेल, जिसमें कच्चा तेल भी शामिल है, के संबंध में रॉयल्टी की दर, जैसा भी मामला हो, तेल क्षेत्रों या कुओं पर खनिज तेल की बिक्री मूल्य के 20% से अधिक नहीं होगी।

(ख) लाभ पेट्रोलियम: लाभ पेट्रोलियम का अर्थ है किसी विशेष अवधि के दौरान संपर्क क्षेत्रों से उत्पादित और बचाए गए पेट्रोलियम का कुल मूल्य, जिसे पेट्रोलियम की लागत से घटाकर गणना की जाती है और प्रासंगिक समझौते/अनुबंध के अनुसार सरकार के साथ साझा किया जाता है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों को दिए गए नामांकन ब्लॉकों के लिए नो प्रॉफिट पेट्रोलियम देय है।

(ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस शुल्क (पीईएल) शुल्क: (i) पीईएल शुल्क एक लाइसेंसधारी द्वारा एक भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की विशेष खोज करने का अधिकार देने के विचार में किया जाता है। लाइसेंस शुल्क आम तौर पर लाइसेंस के क्षेत्र और अवधि से जुड़ा होता है और समय-समय पर संशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के अनुसार लाइसेंसधारियों द्वारा देय होता है, (ii) तटवर्ती क्षेत्रों के मामले में पीईएल शुल्क संबंधित राज्य सरकार को जाता है और अपतटीय क्षेत्रों के मामले में केंद्र सरकार को।

(घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी): पीएलपी का अर्थ है कोल बेड मीथेन ब्लॉकों में संबंधित अनुबंध/समझौते के अनुसार निश्चित उत्पादन स्तर प्राप्त करने के बाद भारत सरकार को किया जाने वाला भुगतान।

6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग: "ग्रामीण और लघु उद्योग" शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

6.04.02. उद्योग: "उद्योग" के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग: "गैर अयस्क खनन और धात्विक उद्योग" शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.5.04. सड़क और पुल: "सड़क और पुल" शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोग के लिए शुल्क और टोल से प्राप्तियों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग निधि (एमएनएचएफ) के मुद्रीकरण की आय सम्मिलित है। तथापि, एमएनएचएफ की प्राप्तियां, यानी संशोधित अनुमान 2022-23 से, लेखांकन आवश्यकताओं के कारण पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत परिलक्षित होगी।

6.06.01. अन्य संचार सेवाएं: 'अन्य संचार सेवाओं' के तहत प्राप्तियां मुख्य रूप से दूरसंचार ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के कारण प्राप्तियों से संबंधित हैं। दूरसंचार विभाग अपने द्वारा लाइसेंस प्राप्त विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से आवर्ती लाइसेंस शुल्क एकत्र करता है। सार्वजनिक स्विचड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) शुल्क, रोमिंग शुल्क पात्र/हकदार सेवा प्रदाताओं को दिए जाने और बिक्री कर/सेवा कर जैसी स्वीकार्य कटौती के बाद समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8% पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है। राज्य/केंद्र सरकार को उसके कुल राजस्व आंकड़ों से, जैसा कि कंपनी के लेखापरीक्षित खातों में दिखाई देता है।

कैप्टिव उपयोग और कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस (सीएमआरटीएस) लाइसेंस के लिए लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार नेटवर्क के लिए, टर्मिनलों, चैनलों और / या नेटवर्क पूंजीगत लागत की संख्या के आधार पर निश्चित दरों पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है। इसके अलावा नए ऑपरेटरों से एकमुश्त प्रवेश शुल्क भी लिया जाता है।

सेवाओं की मुख्य श्रेणी में शामिल हैं (i) बेसिक सर्विस, (ii) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (सीएमटीएस), (iii) यूनिफाइड एक्सेस सर्विस (यूएस), (iv) यूनिफाइड लाइसेंस, (v) इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (आईएलडी), (vi) राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी), (vii) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), (viii) वाणिज्यिक सीयूजी वीसैट लाइसेंस, (ix) सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाएं (पीएमआरटीएस), (x) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाएं (सीएमआरटीएस), (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनर्विक्रय।

लाइसेंस शुल्क दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत हिस्से के आधार पर एकत्र किया जाता है, जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यूएएल) का एक घटक शामिल होता है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण देश में लाइसेंस शुल्क की दर, टैरिफ और दूरसंचार सेवा क्षेत्र की वृद्धि पर निर्भर करता है।

विभाग विभिन्न संस्थाओं से वायरलेस उपकरण रखने के लिए लाइसेंस शुल्क और रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए रॉयल्टी भी एकत्र करता है। सेवा प्रदाताओं से लगाए गए शुल्क को आमतौर पर स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में जाना जाता है और इसकी गणना या तो उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जो उनके नेटवर्क (वाणिज्यिक वीएसएटी लाइसेंस) के लिए आवंटित स्पेक्ट्रम की मात्रा या फ्लैट दरों पर या आधार पर निर्भर करता है।

विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (मोबाइल वाणिज्यिक वीएसएटी आदि) से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लगाया जाता है और इसकी गणना उनके नेटवर्क के लिए आवंटित मात्रा के आधार पर उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा विक्री से सम्बन्धित हैं।

6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान: "अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं: "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैं।

6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व: रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में (i) विविध प्राप्तियाँ (ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों के गैर कर राजस्व: संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डलों रहित) की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की विक्री, चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन से प्राप्त प्राप्तियां, पर्यटन तथा विद्युत आदि शामिल हैं।

पूँजी प्राप्तियां

पूँजी प्राप्ति		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	बजट 2024-2025
(₹ करोड़ में)						
गैर ऋण प्राप्तियां						
1. ऋण और अग्रिमों की वसूलियां						
1.01.	राज्य सरकारें					
1.01.01.	सकल प्राप्तियां	7601	19890.69	8196.19	8202.70	4464.44
1.01.02.	वसूलियां	7601	...	-100.00	-100.00	-100.00
<i>निवल-राज्य सरकारें</i>			<i>19890.69</i>	<i>8096.19</i>	<i>8102.70</i>	<i>4364.44</i>
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	7602	141.57	100.00	98.05	98.00
1.03.	विदेशी सरकारें	7605	-129.42	244.16	289.79	255.19
1.04.	अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)					
1.04.01.	सकल प्राप्तियां	9001	16369.81	39709.66	42659.46	73432.37
1.04.02.	वसूलियां	9001	-10111.50	-25150.00	-25150.01	-50150.01
<i>निवल-अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)</i>			<i>6258.31</i>	<i>14559.66</i>	<i>17509.45</i>	<i>23282.36</i>
<i>निवल-ऋण और अग्रिमों की वसूलियां</i>			<i>26161.15</i>	<i>23000.01</i>	<i>25999.99</i>	<i>27999.99</i>
2. विविध पूँजी प्राप्तियां						
2.01.	प्राप्तियां	4000	46034.89	51000.00	30000.00	50000.00
2.02.	अन्य	4000	...	10000.00
2.03.	बोनस शेयर निर्गम	4000	12157.99	...
2.04.	व्यय घटाया गया	4000	-12157.99	...
<i>निवल-विविध पूँजी प्राप्तियां</i>			<i>46034.89</i>	<i>61000.00</i>	<i>30000.00</i>	<i>50000.00</i>
जोड़-गैर ऋण प्राप्तियां			72196.04	84000.01	55999.99	77999.99
ऋण प्राप्तियां						
3. उधार						
3.01.	बाजार ऋण					
3.01.01.	सकल उधार	6001	1421000.00	1543000.00	1543000.00	1401000.00
3.01.02.	पुनर्भुगतान	6001	-312740.47	-362088.78	-362543.65	-237818.24*
<i>निवल-बाजार ऋण</i>			<i>1108259.53</i>	<i>1180911.22</i>	<i>1180456.35</i>	<i>1163181.76</i>
3.02.	प्रतिभूतियों का अंतरण					
3.02.01.	सकल उधार	6001	103065.72	100000.00	100000.00	150000.00
3.02.02.	पुनर्भुगतान	6001	-105489.62	-100000.00	-100000.00	-150000.00
<i>निवल-प्रतिभूतियों का अंतरण</i>			<i>-2423.90</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.05.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूति जारी करना					
3.05.01.	प्रतिभूति निर्गम	6001	...	0.01	0.01	0.01
3.05.02.	घटाइए - निवल प्राप्तियां	6001	...	-0.01	...	-0.01
<i>निवल-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूति जारी करना</i>			<i>...</i>	<i>...</i>	<i>0.01</i>	<i>...</i>
3.06.	डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)					
3.06.01.	प्राप्तियां	6001	9893.68
3.06.02.	पुनर्भुगतान	6001	-9893.68
<i>निवल-डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)</i>			<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.07.	अल्पकालिक उधार					
3.07.01.	14 दिवसीय राजकोषीय ढंडियां					
3.07.01.01.	सकल उधार	6001	4868275.30	5834338.47	4932264.21	5455210.00
3.07.01.02.	पुनर्भुगतान	6001	-4871057.36	-5834338.47	-4932264.21	-5455210.00
<i>निवल</i>			<i>-2782.06</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>

वसूलियों को घटाकर सं.अ. 2023-24 और ब.अ. 2024-25 में जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि से पुनर्भुगतान क्रमशः ₹78,104 करोड़ और ₹1,23,604 करोड़ हैं।

* इसमें सरकार द्वारा ₹30,247.88 करोड़ की पुनर्भुगतान शामिल हैं।

पूँजी प्राप्तियाँ		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	(₹ करोड़ में) बजट 2024-2025
3.07.02.	91 दिवसीय राजकोषीय हंडियां					
3.07.02.01.	सकल उधार	6001	715950.53	724661.48	637134.73	569779.70
3.07.02.02.	पुनर्भूदायगी	6001	-739748.84	-711661.48	-624263.82	-588999.83
	<i>निवल</i>		<i>-23798.31</i>	<i>13000.00</i>	<i>12870.91</i>	<i>-19220.13</i>
3.07.03.	182 दिवसीय राजकोषीय हंडियां					
3.07.03.01.	सकल उधार	6001	549240.87	586029.26	576472.09	426894.65
3.07.03.02.	पुनर्भूदायगी	6001	-496815.33	-562557.95	-555209.29	-457139.91
	<i>निवल</i>		<i>52425.54</i>	<i>23471.31</i>	<i>21262.80</i>	<i>-30245.26</i>
3.07.04.	364 दिवसीय राजकोषीय हंडियां					
3.07.04.01.	सकल उधार	6001	445283.50	457518.44	461149.79	456952.38
3.07.04.02.	पुनर्भूदायगी	6001	-407796.43	-443989.75	-445283.50	-457486.99
	<i>निवल</i>		<i>37487.07</i>	<i>13528.69</i>	<i>15866.29</i>	<i>-534.61</i>
3.07.05.	नकद प्रबंधन बिल					
3.07.05.01.	कुल उधार	6001	...	100000.00	...	20000.00
3.07.05.02.	पुनर्भूदायगी	6001	...	-100000.00	...	-20000.00
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.07.06.	अर्थोपाय अग्रिम					
3.07.06.01.	सकल उधार	6001	106273.00	500000.00	150636.00	50000.00
3.07.06.02.	पुनर्भूदायगी	6001	-57596.00	-500000.00	-199313.00	-50000.00
	<i>निवल</i>		<i>48677.00</i>	<i>...</i>	<i>-48677.00</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-अल्पकालिक उधार</i>		<i>112009.24</i>	<i>50000.00</i>	<i>1323.00</i>	<i>-50000.00</i>
	<i>निवल-उधार</i>		<i>1217844.87</i>	<i>1230911.22</i>	<i>1181779.36</i>	<i>1113181.76</i>
4.	लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियाँ					
4.01.	प्राप्तियाँ	6001	533539.69	648267.70	704054.51	762578.96
4.02.	पुनर्भूदायगी	6001	-137679.96	-176950.70	-232737.58	-342515.96
	<i>निवल-लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियाँ</i>		<i>395859.73</i>	<i>471317.00</i>	<i>471316.93</i>	<i>420063.00</i>
5.	राज्य भविष्य निधियाँ					
5.01.	प्राप्तियाँ	8009	70313.28	75000.00	70200.00	70000.00
5.02.	संवितरण	8009	-65224.73	-55000.00	-65000.00	-65000.00
	<i>निवल-राज्य भविष्य निधियाँ</i>		<i>5088.55</i>	<i>20000.00</i>	<i>5200.00</i>	<i>5000.00</i>
6.	अन्य प्राप्तियाँ (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)					
6.01.	राहत बांड					
6.01.01.	प्राप्तियाँ	6001
6.01.02.	संवितरण	6001	-2.21	...	-0.78	-49.14
	<i>निवल-राहत बांड</i>		<i>-2.21</i>	<i>...</i>	<i>-0.78</i>	<i>-49.14</i>
6.02.	बचत बांड					
6.02.01.	प्राप्तियाँ	6001	10087.45	18447.00	7037.00	5444.00
6.02.02.	संवितरण	6001	-14913.97	-23563.49	-20209.44	-4410.42
	<i>निवल-बचत बांड</i>		<i>-4826.52</i>	<i>-5116.49</i>	<i>-13172.44</i>	<i>1033.58</i>
6.03.	साँवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम					
6.03.01.	प्राप्तियाँ	6001	6550.66	11200.00	26852.00	18500.00
6.03.02.	संवितरण	6001	-402.22	-1500.00	-1500.00	-3500.00
	<i>निवल-साँवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम</i>		<i>6148.44</i>	<i>9700.00</i>	<i>25352.00</i>	<i>15000.00</i>
6.04.	गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम					
6.04.01.	प्राप्तियाँ	6001	1089.21	1000.00	1388.10	1530.00
6.04.02.	संवितरण	6001	-19.90	-187.00	-87.37	-97.00
	<i>निवल-गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम</i>		<i>1069.31</i>	<i>813.00</i>	<i>1300.73</i>	<i>1433.00</i>
6.05.	अन्य प्राप्तियाँ (सरकारी भविष्य निधियों को					

पूँजी प्राप्ति		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	(₹ करोड़ में) बजट 2024-2025
छोड़कर लोक खाता)						
6.05.01.	प्राप्तियां	9002	2851574.59	2575463.46	2981866.93	3073905.95
6.05.02.	संवितरण	9002	-2765293.24	-2518747.26	-2909275.20	-3164789.58
6.05.03.	घटाइए - प्राप्तियां	9002
<i>निवल-अन्य प्राप्तियां (सरकारी भविष्य निधियों को छोड़कर लोक खाता)</i>			<i>86281.35</i>	<i>56716.20</i>	<i>72591.73</i>	<i>-90883.63</i>
6.06.	अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं					
6.06.01.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष					
6.06.01.01.	प्राप्तियां	6001	406.00	1000.01	6922.15	1000.00
6.06.01.02.	पुनर्भदायगी	6001	-5040.64	-7000.00	-7000.00	-7000.00
6.06.01.03.	घटाएं - निवल प्राप्तियां	6001	-505.71	-1587.48	-7613.76	-1639.89
<i>निवल</i>			<i>-5140.35</i>	<i>-7587.47</i>	<i>-7691.61</i>	<i>-7639.89</i>
6.06.02.	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ					
6.06.02.01.	प्राप्तियां	6001	500.00	582.67	582.67	582.67
6.06.02.02.	पुनर्भदायगी	6001	-486.77	-661.39	-661.39	-668.91
<i>निवल</i>			<i>13.23</i>	<i>-78.72</i>	<i>-78.72</i>	<i>-86.24</i>
6.06.03.	एशियाई विकास बैंक और निधि					
6.06.03.01.	प्राप्तियां	6001
6.06.03.02.	पुनर्भदायगी	6001	-54.00	-160.17	-71.02	-106.00
<i>निवल</i>			<i>-54.00</i>	<i>-160.17</i>	<i>-71.02</i>	<i>-106.00</i>
6.06.04.	अफ्रीकी विकास बैंक और निधि					
6.06.04.01.	प्राप्तियां	6001	5.71	4.80	108.94	57.22
6.06.04.02.	पुनर्भदायगी	6001	-35.03	-33.53	-42.51	-41.03
<i>निवल</i>			<i>-29.32</i>	<i>-28.73</i>	<i>66.43</i>	<i>16.19</i>
<i>निवल-अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं</i>			<i>-5210.44</i>	<i>-7855.09</i>	<i>-7774.92</i>	<i>-7815.94</i>
<i>निवल-अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)</i>			<i>83459.93</i>	<i>54257.62</i>	<i>78296.32</i>	<i>-81282.13</i>
7. विदेशी ऋण						
7.01.	बहुपक्षीय					
7.01.01.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक					
7.01.01.01.	प्राप्तियां	6002	22096.23	17252.87	20313.96	19919.47
7.01.01.02.	पुनर्भदायगी	6002	-7852.83	-8671.50	-8533.40	-9239.40
<i>निवल</i>			<i>14243.40</i>	<i>8581.37</i>	<i>11780.56</i>	<i>10680.07</i>
7.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ					
7.01.02.01.	प्राप्तियां	6002	5354.04	880.08	940.53	58.92
7.01.02.02.	पुनर्भदायगी	6002	-15217.45	-16468.10	-17296.00	-18498.90
<i>निवल</i>			<i>-9863.41</i>	<i>-15588.02</i>	<i>-16355.47</i>	<i>-18439.98</i>
7.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
7.01.03.01.	प्राप्तियां	6002	160.89	278.96	551.19	144.24
7.01.03.02.	पुनर्भदायगी	6002	-205.82	-260.40	-259.40	-200.60
<i>निवल</i>			<i>-44.93</i>	<i>18.56</i>	<i>291.79</i>	<i>-56.36</i>
7.01.04.	एशियाई विकास बैंक					
7.01.04.01.	प्राप्तियां	6002	22026.52	18978.58	20789.10	21419.49
7.01.04.02.	पुनर्भदायगी	6002	-7270.96	-9344.00	-10133.80	-14070.50
<i>निवल</i>			<i>14755.56</i>	<i>9634.58</i>	<i>10655.30</i>	<i>7348.99</i>
7.01.05.	पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी)					
7.01.05.01.	प्राप्तियां	6002
7.01.05.02.	पुनर्भदायगी	6002	-9.03	-8.10	-9.80	-9.60
<i>निवल</i>			<i>-9.03</i>	<i>-8.10</i>	<i>-9.80</i>	<i>-9.60</i>
7.01.06.	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक)					
7.01.06.01.	प्राप्तियां	6002

पूंजी प्राप्तियां		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	(₹ करोड़ में) बजट 2024-2025
7.01.06.02.	पुनर्भूदायगी	6002	-17.74	-17.90	-18.30	-18.30
	<i>निवल</i>		-17.74	-17.90	-18.30	-18.30
7.01.07.	न्यू डेवलपमेंट बैंक					
7.01.07.01.	प्राप्तियां	6002	3221.75	5780.63	5447.58	5989.56
7.01.07.02.	पुनर्भूदायगी	6002	-299.56	-326.40	-620.20	-855.30
	<i>निवल</i>		2922.19	5454.23	4827.38	5134.26
7.01.08.	एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी)					
7.01.08.01.	प्राप्तियां	6002	6932.94	11086.13	9417.44	10464.21
7.01.08.02.	पुनर्भूदायगी	6002	-211.49	-574.30	-641.60	-1724.50
	<i>निवल</i>		6721.45	10511.83	8775.84	8739.71
	<i>निवल-बहुपक्षीय</i>		28707.49	18586.55	19947.30	13378.79
7.02.	द्विपक्षीय					
7.02.01.	जर्मनी					
7.02.01.01.	प्राप्तियां	6002	1265.99	2620.99	2699.66	3783.19
7.02.01.02.	पुनर्भूदायगी	6002	-1767.86	-2082.20	-2267.80	-2263.40
	<i>निवल</i>		-501.87	538.79	431.86	1519.79
7.02.02.	फ्रांस					
7.02.02.01.	प्राप्तियां	6002	1153.58	970.70	1417.19	1378.81
7.02.02.02.	पुनर्भूदायगी	6002	-528.07	-521.90	-694.90	-1523.00
	<i>निवल</i>		625.51	448.80	722.29	-144.19
7.02.04.	जापान					
7.02.04.01.	प्राप्तियां	6002	24696.12	18598.19	22840.20	23000.32
7.02.04.02.	पुनर्भूदायगी	6002	-6231.50	-6642.90	-6495.90	-6815.30
	<i>निवल</i>		18464.62	11955.29	16344.30	16185.02
7.02.06.	संयुक्त राज्य अमेरिका					
7.02.06.01.	प्राप्तियां	6002	84.04
7.02.06.02.	पुनर्भूदायगी	6002	-101.04	-95.70	-97.40	-85.70
	<i>निवल</i>		-17.00	-95.70	-97.40	-85.70
7.02.07.	रूसी परिसंघ					
7.02.07.01.	प्राप्तियां	6002	4180.56	4464.69	4600.79	4472.25
7.02.07.02.	पुनर्भूदायगी	6002	-60.56	-443.80	-481.80	-340.90
	<i>निवल</i>		4120.00	4020.89	4118.99	4131.35
7.02.08.	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)					
7.02.08.01.	प्राप्तियां	6002	2558.62	4030.30	3132.31	2223.35
7.02.08.02.	पुनर्भूदायगी	6002	-154.80	-198.80	-322.90	-265.00
	<i>निवल</i>		2403.82	3831.50	2809.41	1958.35
7.02.12.	दक्षिण कोरिया सरकार					
7.02.12.01.	प्राप्तियां	6002	50.00	500.00
7.02.12.02.	पुनर्भूदायगी	6002
	<i>निवल</i>		50.00	500.00
	<i>निवल-द्विपक्षीय</i>		25095.08	20699.57	24379.45	24064.62
7.03.	राज्यों की परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता के संदर्भ में घटाया गया व्यय	6002	-16678.82	-17168.60	-19495.12	-21491.12
	<i>निवल-विदेशी ऋण</i>		37123.75	22117.52	24831.63	15952.29
	जोड़-ऋण प्राप्तियां		1739376.83	1798603.36	1761424.24	1472914.92
8.	नकद शेष की आहरण द्वारा कमी					
8.01.	प्राप्तियां	9003	2403.90	5645.23	4026.02	176677.89

पूँजी प्राप्तियां	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट 2023-2024	संशोधित 2023-2024	(₹ करोड़ में)
					बजट 2024-2025
8.02. संवितरण	9003	-4026.02	-17432.09	-30677.28	-36280.84
निवल-नकद शेष की आहरण द्वारा कमी		-1622.12	-11786.86	-26651.26	140397.05
कुल जोड़		1809950.75	1870816.51	1790772.97	1691311.96

1.01. राज्य सरकारें: ये वसूलियां राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में हैं।

1.02. संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित): ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिए गए अग्रिम ऋणों के संबंध में हैं।

2. विविध पूँजी प्राप्तियां: इनमें विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से इक्विटी निवेशों और सार्वजनिक आस्तियों के प्रबंधन के कारण प्राप्तियां शामिल हैं।

3.1. बाजार ऋण: भारत सरकार वर्ष 1992-93 से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत अपने बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ने फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) भी जारी किए हैं जिन पर अर्ध-वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर अर्ध-वार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्ष 2002-03 से, केन्द्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक निर्देशात्मक बाजार उधार कैलेंडर की घोषणा करती रही है। वर्ष 2023-24 में अदायगियों का ब्यौरा भाग ख के विवरण 6 में दिया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रूपांतरण पूरा कर लिया है। रूपांतरित कर जारी की गई विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे भाग ख के विवरण 2 में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पुनःपूँजीकरण बॉण्डों को एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा कर लिया है (भाग-ख के 2क में ब्यौरा देखें)।

3.7. अल्पकालिक उधार: ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधि निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पष्टी बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी निर्देशात्मक त्रैमासिक कलेंडर में निर्दिष्ट की जाती है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा अल्पावधि नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां भी जारी करती है।

4. लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां: इस समय, जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत सावधिक जमा (1, 2, 3 तथा 5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत मासिक आय स्कीम खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता।

लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लिए निधियों का स्रोत बनते हैं। यह निवल संग्रहण केंद्रीय और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है जिसका एनएसएसएफ के अंतर्गत निधियों में किया जाता है। वर्ष 2021-22 के लिए, केंद्रीय और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों की अवधि 10 वर्ष है और कोई भुगतान स्थगन काल नहीं है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से प्रतिदान प्राप्तियों का वर्तमान ब्याज दरों पर केंद्रीय और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में 50:50 के अनुपात में पुनः निवेश किया जाता है, जबकि केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का पुनः निवेश पूरी तरह से केन्द्र सरकार के विशेष प्रतिभूतियों में किया जाता है।

एनएसएसएफ के अंतर्गत संगृहीत निवल राशि का निवेश विभिन्न सार्वजनिक अभिकरणों में किया जा रहा है। निधि के व्यय में लघु बचत योजनाओं के अभिदाताओं को ब्याज के भुगतान और प्रबंधन लागत शामिल हैं और निधि की आय में केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज तथा निधि की आय से सरकारी एजेंसियों को ऋण अग्रिम शामिल हैं। एनएसएसएफ के स्रोत तथा अनुप्रयोग अनुबंध 8 में दिए गए हैं और एनएसएसएफ के विविध घटकों का ब्यौरा भाग-ख के विवरण 3 में दिया गया है।

6.2. बचत बांड: जुलाई, 2020 में 07 वर्ष की सीमा के साथ फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, 2020 (कराधान योग्य) नागरिकों/एचयूएफ को बिना किसी मौद्रिक सीमा के अपनी बचतों में निवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था। बांडों पर ब्याज 01 जनवरी और 01 जुलाई को प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान योग्य है जिसमें प्रत्येक 06 महीने में रिसेटिंग खंड होता है जो मौजूदा एनएससी दर के साथ 35 बीपीएस के साथ जुड़ा होता है। पहला रिसेट 01 जनवरी, 2021 को किया गया था। संचयी आधार पर ब्याज अदायगी का कोई विकल्प नहीं है। बांड धारकों की मृत्यु हो जाने पर यह बांड उनके द्वारा नामित व्यक्तियों/कानूनी तौर पर उनके उत्तराधिकारियों अंतरण के अतिरिक्त यह बांड हस्तांतरणीय नहीं है। इनका द्वितीय बाजार में व्यापार भी नहीं हो सकता है। 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु सीमा के एकल निवेशकर्ता के लिए जारी करने की तिथि से न्यूनतम लॉक-इन अवधि के पश्चात परिपक्वतापूर्व इनकैशमेंट की अनुमति है।

6.6.01. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष: भारत का कोटा 2.75 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ 13,114.4 मिलियन एसडीआर है। आईएमएफ में कोटा धारिता के मद में भारत का आठवां स्थान है। 2016 के आरंभ में 146वीं सामान्य कोटा समीक्षा के अनुसार कोटा वृद्धि के लिए भारत ने 7292.9 मिलियन एसडीआर प्रदान किया। सभी सदस्यों के कोटा संसाधनों के अलावा, आईएमएफ गैर रियायती ऋण देने के प्रयोजन से संसाधन लाइन की दूसरी और तीसरी लाइन के रूप में उधार लेने की नई व्यवस्थाएं (एनबीए) और द्विपक्षीय उधार करारों का उपयोग करता है। एनएबी के प्रति भारतीय बचनबद्धता 8,881.8 मिलियन एसडीआर है, जिसमें से भारत ने अब तक 34 का संवितरण किया है और भारत के पास शेष राशि शून्य है। बीबीए के संबंध में, भारत की वर्तमान प्रतिबद्धता 3.9 बिलियन अमरीकी डालर है।

6.6.03. एशियाई विकास बैंक और निधि: एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक में रखता है जिन्हें यह भारत में अपने रुपया संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए समय-समय पर भुना सकता है।

7. विदेशी ऋण: बजट 2024-25 में ₹93,353 करोड़ की सकल प्राप्ति और ₹55,910 करोड़ की चुकौती की कल्पना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ₹37,443 करोड़ का निवल विदेशी ऋण होगा।

7.01. बहुपक्षीय: ब.अ. 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी), पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, न्यू विकास बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एफआईआईबी) से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹13,379 करोड़ रहने का अनुमान है।

7.01.03. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि: (क) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेंसी के रूप में 1977 में की गई थी। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन हेतु समर्पित है। 178 देश आईएफएडी के सदस्य हैं और इन्हें तीन वर्गों के देशों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें सूची क. विकसित देश, सूची ख. तेल उत्पादक देश और सूची ग. विकासशील देश की है। भारत सूची ग. में है।

(ख) भारत अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि का एक संस्थापक सदस्य है और इसने आईएफएडी संसाधनों के लिए अब तक 258 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है। वर्ष 2022-24 के दौरान भारत ने 12वें पुनःपूर्ति चक्र (आईएफएडी) के लिए 47 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान के रूप में किया है। इसके अलावा, भारत ने आईएफएडी11 में रियायती भागीदार ऋण (सीपीएल) के रूप में 20 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि का अंशदान दिया है और आईएफएडी12 में रियायती भागीदार ऋण (सीपीएल) के लिए भुगतान समय सूची के अनुसार 20 मिलियन अमरीकी डालर में से 13.32 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान कर दिया है। इसके अलावा आईएफएडीके 13वें पुनःपूर्ति चक्र (आईएफएडी13) में भारत ने आईएफएडी संसाधनों के लिए को अंशदान के रूप में 25 मिलियन डालर अंशदान का वचन दिया है।

(ग) भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य है। भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड के दो सहायक निकायों अर्थात् एवेल्युएशन कमिटी और वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रांजिशनल प्रेमवर्क का सदस्य भी है।

(घ) वर्ष 1979 से, आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में 33 परियोजनाओं को 1.35 बिलियन अमरीकी डालर (लगभग) की वचनबद्धता के साथ सहायता प्रदान की है। 24 अप्रैल, 2024 को, आईएफएडी कार्यकारी बोर्ड ने 100 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के निधियन के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के प्रतिस्पर्धी सुधार (जेकेसीआईपी) को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा, भारत सरकार के बिहार जल कृषि और पशुधन सुधार परियोजना के परियोजना प्रस्ताव को ₹830 करोड़ (लगभग 100 मिलियन अमरीकी डालर) की सहायता के लिए 05 जुलाई, 2024 को आईएफएडी को प्रस्तुत किया गया है।

7.02. द्विपक्षीय: ब.अ. 2024-25 में जर्मनी, फ्रांस, जापान, रूसी संघ और यूरोपियन निवेश बैंक (ईआईबी) से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹ 24,065 करोड़ रहने का अनुमान है।

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2015-2016	वास्तविक 2016-2017	वास्तविक 2017-18	वास्तविक 2018-19	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2020-21	वास्तविक 2021-22	वास्तविक 2022-23	संशोधित 2023-24	बजट 2024-25
राजस्व प्राप्तियां	1195025	1374203	1435232	1552915	1684059	1633919	2169906	2383207	2699713	3129200
क. कर राजस्व										
(राज्यों का निवल हिस्सा) (अनुबंध 2 में ब्यौरा)	943765	1101372	1242488	1317211	1356902	1426287	1804794	2097786	2323918	2583499
ख. कर-भिन्न राजस्व										
(अनुबंध 2 में ब्यौरा)	251260	272831	192744	235704	327157	207632	365112	285421	375795	545701
पूंजी प्राप्तियां	582579	609866	702649	763518	997301	1992149	1775753	1811574	1817424	1550915
1. आंतरिक ऋण-बाजार उधार (निवल)	404050	349657	410256	423267	473986	1146741	891530	1105836	1180456	1163182
1.01 सकल बाजार उधार	623300	624670	647158	599590	874822	1527366	1324276	1524066	1643000	1551000
क. सामान्य/नवीन	585000	582000	588000	571000	710000	1260116	968382	1421000	1543000	1401000
ख. स्वचिंम	38300	41625	59158	28590	164822	157042	196894	103066	100000	150000
ग. जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर में कमी रहने के कारण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निरंतर ऋण प्रदान करने के लिए ली गयी उधारी	110208	159000
घ. अन्य	...	1045
1.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	219250	275013	236902	176324	400835	380626	432746	418229	462544	387818
क. सामान्य/अनुसूची	144375	174846	137272	148265	236032	227208	264335	312740	440648	331174
ख. स्वचिंम	37349	40510	58075	28059	164803	153418	168411	105490	100000	150000
ग. वापस खरीद	37526	59657	41555	30248
घ. अन्य	-78104	-123604
2. विदेशी सहायता (निवल)	12748	17996	7931	5519	8682	70180	36147	37124	24832	15952
2.01 सकल विदेशी उधार	36054	44191	48517	50609	63180	123938	86665	93731	92200	93354
2.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	23306	26195	26685	30739	33891	34715	35782	39929	47873	55910
2.03 निवलित व्यय	13901	14351	20607	19042	14735	16679	19495	21491
3. अल्पकालिक ऋण	50693	5550	44949	6897	150103	203205	77438	112009	1323	-50000
4. पीओएलआईएफ(नेट) के अंतर्गत बची राशि की प्रतिभूति के एवज में जारी विशेष प्रतिभूति
4.01 प्राप्तियां	4000	7000	9894
4.02 घटाइए-अदायगी	4000	7000	9894
5. ऋण की वसूली	20835	17630	15633	18052	18316	19729	24732	26161	26000	28000
6. अल्प बचतें (निवल)	52465	67435	102628	125000	240000	483733	551269	395860	471317	420063
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	11858	17745	15799	16059	11635	18514	10317	5089	5200	5000
8. विशेष जमा (निवल)
9. विविध पूंजीगत प्राप्ति	42132	47723	100045	94727	50304	37897	14638	46035	30000	50000
10. पूंजी प्राप्तियों की अन्य मदें (निवल)#	-12202	86130	5407	73997	44273	12151	169677	83460	78296	-81282
जोड़-प्राप्तियां	1777604	1984069	2137881	2316433	2681360	3626068	3945659	4194780	4517137	4680115
राजस्व लेखे पर घाटा	342736	316381	443602	454484	666545	1449602	1031021	1069926	840527	580201
प्राथमिक घाटा	91133	54904	62112	66770	321580	1138423	779021	809238	679346	450372
बजट घाटा/नकद का कम आहरण	13170	-8895	4092	1321	4970	-7188	2543	-1622	-26652	140397
राजकोषीय घाटा	532792	535618	591064	649418	933651	1818291	1584520	1737755	1734772	1613312
* अर्थापय अग्रिमों की वसूली घटाकर	20000	23000	50000	12000	...	10000	...	10000	25000	50000
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	242	202	201	95	275	104	94	112	150	150
# इसमें ये प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं										
(क) पूंजी व्यय से प्रतिकंद्रा ओमिटेड आईएमएफ जारी	52714	2181	543	9793	1020	8936	4270	-506	7614	1640
(ख) जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले राज्यों को ऋण	110208	159000
(ग) भारत के आकस्मिकता निधि के धन को बढ़ावा देना	29500
(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रतिभूतियां	80000	106000	65443	20000
(ङ) सरकार के नियंत्रण में आने वाले अन्य बैंकिंग निकायों की रिस्कपिटलाइजेशन बाण्ड का जारी किया जाना	4500	10405
(च) आईडीबीआई की भारग्रस्त आस्तियों की वसूली	100	140	120	110	225	90	118

2020-21 और 2021-22 के दौरान जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर में कमी के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किए गए बारंबार ऋण की अदायगी के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति से वसूली।

अनुबंध - 2

अनुबंध - 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2015-16	वास्तविक 2016-17	वास्तविक 2017-18	वास्तविक 2018-19	वास्तविक 2019-20	वास्तविक 2020-21	वास्तविक 2021-22	वास्तविक 2022-23	संशोधित 2023-24	बजट 2024-25
क. कर राजस्व										
सकल कर राजस्व	1455648	1715822	1919008	2080465	2010059	2027104	2709316	3054192	3437211	3840170
1. निगम कर	453228	484924	571202	663572	556876	457719	712037	825834	922675	1020000
2. निगम कर से भिन्न आय पर कर	287628	349436	419880	472983	492593	487139	696238	833233	1022325	1187000
3. ब्याज कर	5	5	4	3	2	3	4	8
4. आय और व्यय पर अन्य कर	4	15163	10888	16	59	5	2	19
5. सीमा-शुल्क	210338	225370	129030	117813	109282	134750	199728	213372	218680	237745
6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क	288073	381756	258834	231045	239452	389667	390808	319000	303600	319000
7. सेवा कर	211414	254499	81228	6904	6029	1615	1012	431	500	100
8. सम्पदा शुल्क	1	1	1	1	2	1	2	1
9. धन कर	1079	184	62	40	18	11	11	727
10. गिफ्ट कर
11. माल एवं सेवा कर	442561	581559	598749	548777	698114	849132	956600	1061899
12. अन्य कर और शुल्क	...	338	597	937	1162	2081	3836	3724	4500	5000
13. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	3878	4146	4721	5592	5835	5336	7524	8711	8331	9426
14. घटाइए—राज्यों का हिस्सा	506193	608000	673005	761454	650677	594997	898392	948406	1104493	1247211
15. घटाइए—एनसीसीएफ/एनडीआरएफ व्यय प्राप्तियों से घटाकर	5690	6450	3515	1800	2480	5820	6130	8000	8800	9460
निवल-केंद्र का कर राजस्व	943765	1101372	1242488	1317211	1356902	1426287	1804794	2097786	2323918	2583499
1. राजकोषीय सेवाएं	630	765	460	744	1041	1169	193	1128	1769	1834
2. ब्याज प्राप्तियां	25379	16229	13574	12145	12349	17113	21874	27852	31778	38224
2.01 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज प्राप्तियां	7859	7608	7358	7403	7696	6317	6552	9702	11642	14575
2.02 रेलवे पूंजी पर ब्याज प्राप्तियां	10145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03 ब्याज प्राप्तियां अन्य ब्याज प्राप्तियां	7375	8621	6216	4742	4653	10796	15322	18150	20136	23649
3. लाभांश और लाभ	112127	123017	91361	113421	186133	96878	160647	99914	154407	289134
4. अन्य सामान्य सेवाएं	14373	16091	17565	19542	20308	14072	39788	24323	25059	23321
5. सामाजिक सेवाएं	4331	11928	2944	2998	3404	3790	4761	6888	6080	7144
6. आर्थिक सेवाएं	91001	101697	61369	83902	101787	71260	134798	121238	152734	182090
7. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	1538	1804	1890	1890	1762	1598	1745	2191	2526	2910
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	1881	1300	3582	1063	373	1752	1306	1887	1442	1044
जोड़-कर-भिन्न राजस्व**	251260	272831	192745	235705	327157	207632	365112	285421	375795	545701
जोड़-राजस्व प्राप्तियां	1195025	1374203	1435233	1552916	1684059	1633919	2169906	2383207	2699713	3129200
** वाणिज्यिक विभागों की निम्नलिखित प्राप्तियों का निवल										
(क) सामान्य सेवाएं	21140	24561	24500	27781	19112	17069	21008	25389	27675	28375
(ख) आर्थिक सेवाएं	187477	184221	195506	208886	191397	156864	209141	258381	277004	298955
जोड़	208617	208782	220006	236667	210509	173933	230149	283770	304679	327330

वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2022-2023	बजट अनुमान 2023-2024	संशोधित अनुमान 2023-2024	बजट अनुमान 2024-2025
राजस्व प्राप्तियां				
वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाई गई राजस्व प्राप्तियां	2713267.20	2980000.78	3058985.71	3504334.53
घटाइए:				
रेलवे की राजस्व प्राप्तियां	-240176.96	-265000.00	-258600.00	-278500.00
डाक की राजस्व प्राप्तियां	-10917.89	-13439.38	-11408.04	-12238.77
रक्षा की राजस्व प्राप्तियां	-8049.47	-6840.11	-7170.47	-6773.47
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की राजस्व प्राप्तियां	-32675.63	-32476.12	-34670.91	-36590.80
जूलोजिकल पार्क में प्रवेश शुल्क से प्राप्तियां	-1.10	-10.00	-16.00	-15.00
ब्याज प्राप्तियां	-30198.18	-20000.00	-37113.44	-30000.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान के लिए उक्त सरकार की प्राप्तियां	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में अंतरण /राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान	-8000.00	-8780.00	-8800.00	-9460.00
बीएसएनएल/एमटीएनएल के गारंटी शुल्क को बट्टे खाते डालना	-41.50	-174.20	-325.72	-556.37
एचआईएल के प्रति बकाया ऋण बट्टे खाते डालना	-104.25	...
राजस्थान ड्रम्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के प्रति बकाया ऋण बट्टे खाते डालना	-64.25	...
निवल राजस्व प्राप्तियां	2383206.47	2632280.97	2699712.63	3129200.12
ख. पूंजी प्राप्तियां				
भारत की संचित निधि (सीएफआई) की कुल प्राप्तियां (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हंडियां, अर्धोपाय अग्रिम तथा एमएसएस शामिल नहीं है)	3256701.31	3661242.02	3613175.20	3466143.70
कुल लोक लेखा प्राप्तियां	2921887.87	2650463.46	3052066.93	3143905.95
14/91 दिवसीय राजकोषीय हंडियां, अर्धोपाय अग्रिमों के माध्यम से अतिरिक्त वित्तपोषण आकस्मिक निधि	22096.63	13000.00	-35806.09	-19220.13
कुल	6200685.81	6324705.48	6629436.04	6590829.52
घटाइए:				
कुल लोक ऋण संवितरण (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हंडियां, अर्धोपाय अग्रिमों की वापसी अदायगी तथा एमएसएस शामिल नहीं है)	-1531298.93	-1824348.76	-1773219.73	-1736744.00
कुल लोक लेखा संवितरण	-2830517.97	-2573747.26	-2974275.20	-3229789.58
निवल	1838868.91	1926609.46	1881941.11	1624295.94
प्रतिभूतियां जारी करके एफडीएफ के मद में योगदान	-104.14	-52.38
प्रतिभूतियां जारी करके एफडीएफ के एमडीआरआई में योगदान	-5.71	-4.80	-4.80	-4.84
बोनस शेयर जारी करना	-12157.99	...
पूंजी प्रदान करने के लिए पीएसबी को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	...	-0.01	-0.01	-0.01
उधार लेने की नई व्यवस्थाओं (एनएबी) के तहत प्राप्तियां	...	-0.01	-0.01	-0.01
राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता की प्राप्तियां	-16678.82	-17168.60	-19495.12	-21491.12
जीएसटी प्रतिपूर्ति में कमी के बदले राज्यों /संघ राज्य क्षेत्र को ऋण की प्राप्तियां	...	-0.02	-0.02	...
सरकारी कर्मचारियों से ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	-111.50	-150.00	-150.00	-150.00
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को जारी प्रतिभूतियां	-500.00	-582.67	-582.67	-582.67
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियां	...	-1000.01	-6922.15	-1000.00
भारतीय खाद्य निगम को अर्धोपाय अग्रिम	-10000.00	-25000.00	-25000.00	-50000.00
राज्य सरकारों को अर्धोपाय अग्रिम	...	-100.00	-100.00	-100.00
निवल पूंजी प्राप्तियां	1811572.88	1882603.34	1817424.20	1550914.91
कुल प्राप्तियाँ	4194779.35	4514884.31	4517136.83	4680115.03
कुल व्यय	4193157.23	4503097.45	4490485.57	4820512.08
नकद शेष में (एमएसएस को छोड़कर) वृद्धि(+)/कमी(-)	1622.12	11786.86	26651.26	-140397.05

अनुबन्ध-4
(₹ करोड़)

बजट अनुमान 2024-25 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	सेवा कर (0044)	अन्य कर और शुल्क (0045)	कुल जोड़ # (4 से 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.047	15156.51	17455.93	15079.39	2228.46	469.73	1.66	82.96	50474.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.757	6580.18	7578.47	6546.70	967.48	203.93	0.72	36.02	21913.50
3.	असम	3.128	11714.75	13492.01	11655.14	1722.41	363.06	1.28	64.12	39012.77
4.	बिहार	10.058	37668.45	43383.19	37476.78	5538.38	1167.41	4.12	206.19	125444.52
5.	छत्तीसगढ़	3.407	12759.64	14695.42	12694.71	1876.04	395.44	1.40	69.84	42492.49
6.	गोवा	0.386	1445.62	1664.93	1438.26	212.55	44.80	0.16	7.91	4814.23
7.	गुजरात	3.478	13025.54	15001.66	12959.26	1915.14	403.68	1.43	71.30	43378.01
8.	हरियाणा	1.093	4093.42	4714.44	4072.59	601.85	126.86	0.45	22.41	13632.02
9.	हिमाचल प्रदेश	0.830	3108.45	3580.04	3092.64	457.03	96.34	0.34	17.02	10351.86
10.	झारखंड	3.307	12385.12	14264.09	12322.10	1820.98	383.84	1.36	67.79	41245.28
11.	कर्नाटक	3.647	13658.47	15730.61	13588.96	2008.20	423.30	1.50	74.76	45485.80
12.	केरल	1.925	7209.36	8303.11	7172.68	1059.99	223.43	0.79	39.46	24008.82
13.	मध्य प्रदेश	7.850	29399.22	33859.42	29249.62	4322.55	911.13	3.22	160.93	97906.09
14.	महाराष्ट्र	6.317	23657.94	27247.13	23537.56	3478.42	733.20	2.59	129.50	78786.34
15.	मणिपुर	0.716	2681.51	3088.32	2667.86	394.26	83.11	0.29	14.68	8930.03
16.	मेघालय	0.767	2872.51	3308.30	2857.89	422.34	89.02	0.31	15.72	9566.09
17.	मिजोरम	0.500	1872.56	2156.65	1863.03	275.32	58.03	0.21	10.25	6236.05
18.	नागालैण्ड	0.569	2130.98	2454.27	2120.13	313.32	66.04	0.23	11.66	7096.63
19.	ओडिशा	4.528	16957.92	19530.63	16871.63	2493.32	525.56	1.86	92.82	56473.74
20.	पंजाब	1.807	6767.44	7794.14	6733.00	995.01	209.74	0.74	37.04	22537.11
21.	राजस्थान	6.026	22568.11	25991.95	22453.28	3318.18	699.42	2.47	123.53	75156.94
22.	सिक्किम	0.388	1453.11	1673.56	1445.71	213.65	45.03	0.16	7.95	4839.17
23.	तमिलनाडु	4.079	15276.36	17593.96	15198.63	2246.08	473.44	1.67	83.62	50873.76
24.	तेलंगाना	2.102	7872.25	9066.56	7832.19	1157.45	243.98	0.86	43.09	26216.38
25.	त्रिपुरा	0.708	2651.55	3053.82	2638.06	389.86	82.18	0.29	14.51	8830.27
26.	उत्तर प्रदेश	17.939	67183.75	77376.30	66841.92	9878.00	2082.13	7.35	367.78	223737.23
27.	उत्तराखंड	1.118	4187.05	4822.27	4165.73	615.62	129.76	0.46	22.92	13943.81
28.	पश्चिम बंगाल	7.523	28174.56	32448.97	28031.20	4142.49	873.18	3.08	154.22	93827.70
	जोड़	100.00	374512.33	431330.15	372606.65	55064.38	11606.77	41.00	2050.00	1247211.28

ये आंकड़े अंतिम हैं और संघ या राज्य सरकारों से किसी भी देय या वसूली योग्य बकायों को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन हो सकता है।

* पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार राज्यों का हिस्सा, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों का 41% निश्चित किया गया है।

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

अनुबन्ध-4क

(रू करोड़)

संशोधित अनुमान 2023-24 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	हिरसा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केंद्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	सेवा कर (0044)	जोड़ (4 से 11)	2022-23 का अन्तर (वार्षिक-सं.अ.) सं.अ. 2023-24 में समायोजनीय	2021-22 का समायोजन (सी एण्ड एजी प्रमाणित संख्याएं एवं अनंतिम वार्षिक)	कुल जोड़ # (12 से 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.047	13730.93	15125.21	-0.37	13368.91	1527.69	574.11	74.67	8.43	44409.58	963.13	-673.72	44698.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.757	5961.27	6566.59	-0.16	5804.09	663.25	249.25	32.42	3.61	19280.32	418.14	-292.49	19405.97
3.	असम	3.128	10612.89	11690.55	-0.28	10333.07	1180.78	443.74	57.71	6.42	34324.88	744.42	-520.73	34548.57
4.	बिहार	10.058	34125.46	37590.65	-0.91	33225.71	3796.77	1426.83	185.57	20.62	110370.70	2393.67	-1674.39	111089.98
5.	छत्तीसगढ़	3.407	11559.50	12733.28	-0.31	11254.72	1286.10	483.32	62.86	7.01	37386.48	810.83	-567.18	37630.13
6.	गोवा	0.386	1309.65	1442.63	-0.03	1275.12	145.71	54.76	7.12	0.79	4235.75	91.86	-64.26	4263.35
7.	गुजरात	3.478	11800.39	12998.64	-0.31	11489.26	1312.90	493.39	64.17	6.97	38165.41	827.72	-579.00	38414.13
8.	हरियाणा	1.093	3708.40	4084.97	-0.10	3610.63	412.59	155.05	20.17	2.22	11993.93	260.12	-181.96	12072.09
9.	हिमाचल प्रदेश	0.830	2816.08	3102.03	-0.07	2741.83	313.31	117.74	15.31	1.64	9107.87	197.53	-138.17	9167.23
10.	झारखंड	3.307	11220.21	12359.54	-0.30	10924.38	1248.35	469.13	61.01	6.79	36289.11	787.02	-550.53	36525.60
11.	कर्नाटक	3.647	12373.79	13630.25	-0.33	12047.54	1376.70	517.36	67.29	7.47	40020.07	867.94	-607.13	40280.88
12.	केरल	1.925	6531.27	7194.47	-0.17	6359.07	726.66	273.08	35.52	3.98	21123.88	458.12	-320.46	21261.54
13.	मध्य प्रदेश	7.850	26634.01	29338.50	-0.71	25931.78	2963.28	1113.60	144.83	16.17	86141.46	1868.19	-1306.82	86702.84
14.	महाराष्ट्र	6.317	21432.74	23609.08	-0.57	20867.65	2384.59	896.13	116.55	12.58	69318.75	1503.36	-1051.61	69770.50
15.	मणिपुर	0.716	2429.29	2675.97	-0.06	2365.24	270.28	101.57	13.21	1.47	7856.97	170.40	-119.20	7908.17
16.	मेघालय	0.767	2602.33	2866.58	-0.07	2533.72	289.53	108.81	14.15	1.57	8416.62	182.54	-127.69	8471.47
17.	मिजोरम	0.500	1696.43	1868.69	-0.05	1651.71	188.74	70.93	9.23	1.04	5486.72	119.00	-83.24	5522.48
18.	नागालैण्ड	0.569	1930.54	2126.57	-0.05	1879.64	214.79	80.72	10.50	1.17	6243.88	135.41	-94.72	6284.57
19.	ओडिशा	4.528	15362.90	16922.89	-0.41	14957.85	1709.26	642.34	83.54	9.49	49687.86	1077.60	-753.79	50011.67
20.	पंजाब	1.807	6130.91	6753.46	-0.16	5969.26	682.12	256.34	33.34	3.67	19828.94	430.04	-300.82	19958.16
21.	राजस्थान	6.026	20445.42	22521.50	-0.54	19906.36	2274.74	854.85	111.18	12.26	66125.77	1434.11	-1003.17	66556.71
22.	सिक्किम	0.388	1316.43	1450.11	-0.03	1281.72	146.47	55.04	7.16	0.80	4257.70	92.34	-64.59	4285.45
23.	तमिलनाडु	4.079	13839.51	15244.81	-0.37	13474.61	1539.77	578.65	75.26	8.59	44760.83	970.75	-679.05	45052.53
24.	तेलंगाना	2.102	7131.81	7855.99	-0.19	6943.77	793.48	298.19	38.78	4.37	23066.20	500.25	-349.93	23216.52
25.	त्रिपुरा	0.708	2402.15	2646.07	-0.06	2338.82	267.26	100.44	13.06	1.45	7769.19	168.49	-117.86	7819.82
26.	उत्तर प्रदेश	17.939	60864.65	67045.01	-1.65	59259.89	6771.75	2544.82	330.96	36.75	196852.18	4269.24	-2986.35	198135.05
27.	उत्तराखंड	1.118	3793.23	4178.40	-0.10	3693.21	422.07	158.60	20.63	2.26	12268.30	266.07	-186.12	12348.25
28.	पश्चिम बंगाल	7.523	25524.54	28116.37	-0.68	24851.56	2839.84	1067.21	138.80	15.41	82553.05	1790.37	-1252.38	83091.04
	जोड़	100.00	339286.73	373738.81	-9.04	330341.12	37748.78	14186.00	1845.00	205.00	1097342.40	23798.66	-16647.35	1104493.71

ये आंकड़े अनंतिम हैं और संघ या राज्य सरकारों से किसी भी देय या वसूली योग्य बकायों को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन हो सकता है।
 * पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, राज्यों का हिस्सा, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों का 41% निश्चित किया गया है।
 @ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

अनुबन्ध-4ख
(₹ करोड़)

वार्षिक 2022-23 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	हिरसा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर (0021)	घन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	व्यय कर (0028)	कुल (4 से 11)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (12 + 13)	सं.अ. 2022-23 के अनुसार राज्यों के हिस्से की सुधुर्वनी (अतिरिक्त अंतरण सहित) समायोजनीय (14-15)	2022-23 के अंतर (वास्तविक सं.अ. 2023-24 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.047	12255.59	12296.56	11.71	11823.08	2343.57	545.65	61.80	0.31	39338.27	6.85	39345.12	38381.98	963.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.757	5320.75	5338.54	5.09	5132.97	1017.46	236.89	26.83	0.13	17078.66	2.98	17081.64	16663.49	418.15
3.	असम	3.128	9472.57	9504.24	9.05	9138.27	1811.39	421.74	47.76	0.24	30405.26	5.30	30410.56	29666.13	744.43
4.	बिहार	10.058	30458.79	30560.61	29.11	29383.87	5824.47	1356.09	153.58	0.76	97767.28	17.04	97784.32	95390.66	2393.66
5.	छत्तीसगढ़	3.407	10317.47	10351.96	9.86	9953.36	1972.96	459.36	52.02	0.26	33117.25	5.77	33123.02	32312.19	810.83
6.	गोवा	0.386	1168.93	1172.84	1.12	1127.68	223.53	52.04	5.89	0.03	3752.06	0.65	3752.71	3660.85	91.86
7.	गुजरात	3.478	10532.48	10567.69	10.07	10160.78	2014.07	468.93	53.11	0.26	33807.39	5.89	33813.28	32985.55	827.73
8.	हरियाणा	1.093	3309.95	3321.01	3.16	3193.14	632.94	147.37	16.69	0.08	10624.34	1.85	10626.19	10366.08	260.11
9.	हिमाचल प्रदेश	0.830	2513.50	2521.90	2.40	2424.80	480.64	111.91	12.67	0.06	8067.88	1.41	8069.29	7871.77	197.52
10.	झारखंड	3.307	10014.64	10048.12	9.57	9661.21	1915.05	445.87	50.50	0.25	32145.21	5.60	32150.81	31363.78	787.03
11.	कर्नाटक	3.647	11044.26	11081.19	10.56	10654.50	2111.94	491.71	55.69	0.28	35450.13	6.18	35456.31	34588.36	867.95
12.	केरल	1.925	5829.51	5848.99	5.57	5623.78	1114.75	259.54	29.39	0.15	18711.68	3.26	18714.94	18256.81	458.13
13.	मध्य प्रदेश	7.850	23772.27	23851.74	22.72	22933.33	4545.85	1058.39	119.86	0.60	76304.76	13.30	76318.06	74449.86	1868.20
14.	महाराष्ट्र	6.317	19129.86	19193.82	18.28	18454.75	3658.10	851.70	96.46	0.48	61403.45	10.70	61414.15	59910.80	1503.35
15.	मणिपुर	0.716	2168.27	2175.52	2.07	2091.75	414.63	96.54	10.93	0.05	6959.76	1.21	6960.97	6790.59	170.38
16.	मेघालय	0.767	2322.72	2330.48	2.22	2240.75	444.16	103.41	11.71	0.06	7455.51	1.30	7456.81	7274.27	182.54
17.	मिजोरम	0.500	1514.16	1519.22	1.45	1460.72	289.54	67.41	7.63	0.04	4860.17	0.85	4861.02	4742.03	118.99
18.	नागालैण्ड	0.569	1723.11	1728.87	1.65	1662.30	329.50	76.72	8.69	0.04	5530.88	0.96	5531.84	5396.43	135.41
19.	ओडिशा	4.528	13712.21	13758.05	13.11	13228.29	2622.11	610.50	69.14	0.34	44013.75	7.67	44021.42	42943.82	1077.60
20.	पंजाब	1.807	5472.16	5490.46	5.23	5279.05	1046.41	243.63	27.59	0.14	17564.67	3.06	17567.73	17137.69	430.04
21.	राजस्थान	6.026	18248.62	18309.63	17.44	17604.61	3489.59	812.47	92.01	0.46	58574.83	10.21	58585.04	57150.93	1434.11
22.	सिक्किम	0.388	1174.99	1178.92	1.12	1133.52	224.69	52.31	5.92	0.03	3771.50	0.66	3772.16	3679.81	92.35
23.	तमिलनाडु	4.079	12352.49	12393.79	11.81	11916.56	2362.10	549.96	62.28	0.31	39649.30	6.91	39656.21	38685.47	970.74
24.	तेलंगाना	2.102	6365.52	6386.80	6.08	6140.87	1217.24	283.41	32.10	0.16	20432.18	3.56	20435.74	19935.49	500.25
25.	त्रिपुरा	0.708	2144.05	2151.22	2.05	2068.38	410.00	95.46	10.81	0.05	6882.02	1.20	6883.22	6714.71	168.51
26.	उत्तर प्रदेश	17.939	54324.90	54506.52	51.92	52407.77	10388.27	2418.68	273.94	1.37	174373.37	30.36	174403.73	170134.52	4269.21
27.	उत्तराखंड	1.118	3385.66	3396.98	3.24	3266.17	647.42	150.74	17.07	0.08	10867.36	1.89	10869.25	10603.18	266.07
28.	पश्चिम बंगाल	7.523	22782.01	22858.17	21.78	21978.01	4356.48	1014.31	114.87	0.57	73126.20	12.74	73138.94	71348.57	1790.37
	जोड़	100.00	302831.44	303843.84	289.44	292144.27	57908.86	13482.74	1526.94	7.59	972035.12	169.36	972204.48	948405.82	23798.66

* पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार राज्यों का हिस्सा, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों का 41% निश्चित किया गया है।
 @ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एस्टीमेट) शामिल है।

जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)
(एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्टिंग वर्ष 2022-2023, के अंत तक की स्थिति के अनुसार)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादास्पद राशियां (₹ करोड़)					विवादरहित राशियां (₹ करोड़)					कुल जोड़
		1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से अधिक	10 वर्ष से अधिक	जोड़	1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से अधिक	10 वर्ष से अधिक	जोड़	
	आय एवं व्यय											
	पर कर	6,21,026.00	3,49,828.00	50,385.00	27,037.00	10,48,276.00	4,16,216.00	2,05,531.00	1,20,560.00	1,36,764.00	8,79,071.00	19,27,347.00
0020	निगम कर	3,63,281.00	1,99,666.00	30,585.00	4,528.00	5,98,060.00	2,17,264.00	1,49,291.00	10,913.00	19,918.00	3,97,386.00	9,95,446.00
0021	निगम कर को छोड़कर आय पर कर	2,57,745.00	1,50,162.00	19,800.00	22,509.00	4,50,216.00	1,98,952.00	56,240.00	1,09,647.00	1,16,846.00	4,81,685.00	9,31,901.00
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	37,928.08	70,174.40	54,413.52	11,184.41	1,73,700.41	6,978.96	7,764.19	8,722.85	5,893.67	29,359.67	2,03,060.08
0005	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	1,030.67	840.75	81.52	11.41	1,964.35	321.66	21.49	8.68	5.67	357.50	2,321.85
0008	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	335.41	17.65	-	-	353.06	61.30	4.70	7.17	-	73.17	426.23
0037	सीमा शुल्क	6,654.00	4,786.00	7,252.00	3,385.00	22,077.00	3,607.00	2,556.00	1,989.00	1,537.00	9,689.00	31,766.00
0038	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	7,542.00	15,982.00	21,042.00	4,801.00	49,367.00	489.00	1,789.00	2,952.00	3,955.00	9,185.00	58,552.00
0044	सेवा कर	22,366.00	48,548.00	26,038.00	2,987.00	99,939.00	2,500.00	3,393.00	3,766.00	396.00	10,055.00	1,09,994.00
	जोड़	6,58,954.08	4,20,002.40	1,04,798.52	38,221.41	12,21,976.41	4,23,194.96	2,13,295.19	1,29,282.85	1,42,657.67	9,08,430.67	21,30,407.08

टिप्पणी: लगाए गए कर राजस्व को नकदी में उगाहें न जाने और इसे विवाद श्रेणी के अंतर्गत नहीं लाए जाने के कारण हैं - वसूली के लिए कोई आस्ति नहीं होना या अपर्याप्त आस्ति होना, कर दाता का पता न लग पाना आदि।

कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि
(एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्टिंग वर्ष 2022-23 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

विवरण	लंबित धनराशि					जोड़
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	
राजकोषीय सेवाएं [(i)+(ii)]	4016.45	3415.63	2245.66	8760.56	30578.13	49016.43
(i) ब्याज प्राप्ति						
जिसमें (क+ख+ग+घ)	3976.56	3415.63	2245.66	8760.56	30578.13	48976.54
(क) राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से	0.00	6.30	3.36	0.00	1695.62	1705.28
(ख) रेलवे से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	5.34
(घ) सरकारी क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से	3976.56	3409.33	2242.30	8760.56	28877.17	47265.92
(ii) लाभांश एवं लाभ	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	39.89
2 सामान्य सेवाएं	7717.01	9429.38	7673.80	14889.04	13559.13	53268.36
पुलिस प्राप्ति	7717.01	9429.38	7673.80	14889.04	13559.13	53268.36
3 आर्थिक सेवाएं [(i)+(ii)]	178.38	278.35	662.51	1786.97	139263.98	142170.19
(i) पेट्रोलियम उपकर/रायल्टी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) संचार	178.38	278.35	662.51	1786.97	139263.98	142170.19
4 अन्य प्राप्ति	9458.00	2493.88	12935.34	10662.80	47348.70	82898.72
जोड़ [1+2+3+4]	21369.84	15617.24	23517.31	36099.37	230749.94	327353.70

**केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का विवरण:
वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23**

किसी कराधान कानून और उसके संचालन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी व्यय के वित्तपोषण के लिए राजस्व जुटाना है। सृजित राजस्व की मात्रा का निर्धारण करने वाली मुख्य परिवर्तनशील कारक सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरें होती हैं। इन दो कारकों को निर्धारित करने वाले उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला में विशेष कर दरें, छूट, कटौती, रिबेट, आस्थगन और क्रेडिट शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर प्रोत्साहन' या 'कर वरीयताएं' कहा जाता है। ये सरकारी आमदनी पर असर डालते हैं और सरकार की एक महत्वपूर्ण नीति को भी दर्शाते हैं।

सरकार द्वारा प्रदान किए गए कर प्रोत्साहनों का उसके राजस्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसे पसंदीदा करदाताओं के लिए अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी माना जा सकता है और इसे 'कर व्यय' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कर नीति न केवल कुशल होनी चाहिए बल्कि पर्याप्त रूप से पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसके लिए कर प्रोत्साहनों का विस्तृत विश्लेषण तथा सुव्यक्त निरूपण और सरकार की विशिष्ट नीतिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभिप्रेत आवश्यक कार्यक्रम आयोजना अपेक्षित होती है। इसके अलावा, पारदर्शी बजट प्रस्तुति के लिए संबंधित कार्यक्रम शीर्षकों के तहत सृजित हो रहे राजस्व प्रभावों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित होता है। सरकार की आय को प्रभावित करने वाले ये कर प्रोत्साहन, कर नीति में उल्लिखित व्यय कार्यक्रमों का अंतर्निहित हिस्सा होते हैं।

वर्तमान विवरण सरकार द्वारा कराधान प्रणाली के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व विवक्षाओं का एक विस्तृत विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों की ऐसी राजस्व विवक्षाएं पहली बार बजट 2006-07 के दौरान परित्यक्त राजस्व के विवरण के रूप में प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में संसद के समक्ष रखी गई थी। इसका सभी पक्षों द्वारा स्वागत किया गया और इससे राजकोषीय नीति से संबंधित सभी मुद्दों पर रचनात्मक बहस की प्रक्रिया शुरू हुई। इसने कर नीति और कर व्यय के मामले में पारदर्शिता लाने की सरकार की मंशा को भी बल दिया। इस विवरण का दूसरा संस्करण बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के जरिए और साथ ही, एक पृथक बजट दस्तावेज के रूप में रखा गया जिसका शीर्षक "परित्यक्त राजस्व का विवरण" था। उसके बाद, इसे 2008-09 से 2014-15 तक के बजट के दौरान हर साल संसद के समक्ष रखा गया था। बजट 2015-16 में, इसे "केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से निरूपित किया गया है, क्योंकि इसमें वास्तव में राजस्व प्रभाव का विश्लेषण शामिल है। बजट 2015-16 और 2016-17 में, इसे अनुबंध-15 के रूप में प्राप्ति बजट का हिस्सा बनाया गया था, जबकि बजट 2017-18 में यह अनुबंध-13 के रूप में था। बजट 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में, यह अनुबंध -7 के रूप में प्राप्ति बजट का हिस्सा था।

पूर्व में उल्लेख किए गए अनुसार इस विवरण में कर प्रोत्साहन या कर सब्सिडी के राजस्व प्रभाव को दर्शाने का प्रयास किया गया है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का एक हिस्सा हैं। अधिकतर "कर वरीयताओं" के संबंध में ऐसे कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का आकलन किया गया है। ये आकलन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हैं, जो सबसे हालिया वर्ष है जिसके लिए डेटा उपलब्ध है। यह निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए दर्ज किए गए रिटर्न पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के कर व्यय आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व प्रभाव को दर्शाने का भी प्रयास किया गया है।

कर व्यय का आकलन निम्नलिखित पूर्वधारणाओं के आधार पर किया गया है: -

- (क) प्राक्कलनों और अनुमानों का अभिप्राय छूट, कटौती, भारित कटौती और इसी तरह के उपायों को हटाए जाने की दशा में संभावित राजस्व लाभ को इंगित करना है। ये प्राक्कलन अल्पकालिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित होते हैं। उन्हें यह मानकर तैयार किया जाता है कि ऐसे उपायों को हटाने से अंतर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। चूंकि आर्थिक एजेंटों का व्यवहार, समग्र आर्थिक गतिविधि या अन्य सरकारी नीतियां विशिष्ट कर वरीयता को हटाए जाने के साथ बदल सकती हैं, इसलिए राजस्व विवक्षाएं उस सीमा तक भिन्न हो सकती हैं।
- (ख) प्रत्येक कर प्रोत्साहन के प्रभाव का यह मानते हुए अलग से निर्धारण किया जाता है कि अन्य सभी कर प्रावधान अपरिवर्तित बने हुए हैं। हालांकि, कई कर रियायतें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए, कर प्रोत्साहनों का अंतःक्रियात्मक प्रभाव, प्रत्येक प्रावधान के लिए प्राक्कलनों और अनुमानों को जोड़कर परिकलित कर व्यय से भिन्न हो सकता है।

हालांकि, राजस्व प्रभाव का कर व्यय की दृष्टि से निर्धारण किया गया है, फिर भी, इससे यह अर्थ नहीं निकलता है कि सरकार द्वारा राजस्व की इस मात्रा का अधित्याग किया गया है। बल्कि, इन्हें कुछ लक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछ मामलों में, इस तरह की अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित की गई आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ वास्तव में शुरू नहीं की गई हो सकती हैं या ऐसे प्रोत्साहनों के अभाव में काफी कम पैमाने पर चल रही हो सकती हैं। विभिन्न कर प्रोत्साहनों पर हुए कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई पूर्वधारणाएं और कार्यपद्धति इस विवरण में प्रासंगिक स्थानों पर दर्शाई गई हैं।

प्रत्यक्ष कर

आयकर अधिनियम के माध्यम से, प्रत्यक्ष कर नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात को बढ़ावा देने; संतुलित क्षेत्रीय विकास; बुनियादी सुविधाओं के निर्माण; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र, लोगों द्वारा बचत किए जाने और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान को प्रोत्साहित करता है। त्वरित मूल्यहास की व्यवस्था पूंजी निवेश को प्रोत्साहित भी प्रदान किया जाता है। इनमें से अधिकांश कर लाभ कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विवरण में कॉर्पोरेट क्षेत्र, गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र (फर्म, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों की निकाय आदि); और व्यक्ति/एचयूएफ करदाताओं के संबंध में अलग से कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। जिन शीर्षों के तहत राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है, वे मोटे तौर पर कॉर्पोरेट और गैर- कॉर्पोरेट आदि के लिए समान हैं। हालांकि, व्यक्तियों के मामले में, कुछ अन्य शीर्षों को भी शामिल किया गया है क्योंकि ये केवल उन्हीं के प्रति विशिष्ट हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए विवरण विभिन्न लाभ स्लैबों में कंपनियों के लिए प्रभावी कर दरों के प्रसार का भी विश्लेषण करता है। प्रभावी कर दरों के क्षेत्रगत विश्लेषण का भी प्रयास किया गया है। इसके अलावा, धर्मार्थ गतिविधियों में लगे संस्थानों का विवरण भी "धर्मार्थ संस्थान" शीर्षक के तहत अलग से दिया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान चार वर्षों (वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2021-22 और 2022-23)¹ के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को हिसाब में लेने के बाद लगाया गया है।

क. कॉर्पोरेट क्षेत्र

बड़े व्यवसाय मुख्य रूप से कंपनियों के रूप में संगठित होते हैं। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-22 [अर्थात् आकलन वर्ष 2022-23] के लिए 31 दिसम्बर, 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से 1,025,717 कॉर्पोरेट रिटर्न प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक कंपनी के लिए अपेक्षित है कि वह अपनी आय का रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करें। इन कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की अपनी आय के लिए 6,40,395.75 करोड़ रु. [अधिभार और शिक्षा उपकर सहित] की कॉर्पोरेट कर देयता की सूचना दी। उन्होंने अधिनियम की धारा 115ठक के तहत शेयरों के बॉय-बैक के संबंध में 'वितरित आय' पर 8,350.40 करोड़ रु. के अतिरिक्त कर का भुगतान किया है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के उद्देश्य से, इन कंपनियों से संबंधित डेटा को विश्लेषण के लिए डेटाबेस से लिया गया था और इसे विवरण के तालिका 1 से 5 और परिशिष्ट में दर्शाया गया है। तालिका 1 इन कंपनियों को विभिन्न लाभ श्रेणियों में दर्शाया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं-

- 4,95,939 कंपनियों (48.32 प्रतिशत) ने 28,59,437.10 करोड़ रु. कर -पूर्व लाभ और कुल आय (कर योग्य आय) के रूप में 22,13,914.06 करोड़ रु. की सूचना दी है।
- 4,83,246 कंपनियों (97.11 प्रतिशत) ने 7,85,036.88 करोड़ रु. की हानि की सूचना दी है।
- 46,832 कंपनियों (4.57 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की सूचना दी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ की सूचना देने वाली कंपनियों के पूरे आधार की प्रभावी कर दर² 23.26 प्रतिशत थी [जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिपोर्ट की गई दर 22.20 प्रतिशत थी], वही एक करोड़ रु. तक की आय वाली कंपनियों के मामले में वैधानिक कर की दर 31.20 प्रतिशत (उप कर सहित), 10 करोड़ रु. तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत (उप कर और अधिभार सहित) और 10 करोड़ रु. से अधिक की आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत (उप कर और अधिभार सहित) थी। इसके अलावा, मौजूदा कंपनियों के लिए जिन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 115खक के तहत नई रियायती कर व्यवस्था (कटौती और छूट के बिना न्यूनतर कर दर) का विकल्प चुना, वैधानिक कर

¹ वित्त वर्ष 2020-21 को औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का आलोकन करने के लिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण एक असाधारण वर्ष था।

² कंपनियों के मामले में प्रभावी कर दर कुल करों (सरचार्ज और शिक्षा उपकर सहित) और करों से पूर्व लाभों (पीबीटी) का अनुपात है और प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

की दर 25.17 प्रतिशत थी। 500 करोड़ रु और उससे अधिक के कर-पूर्व लाभ, (इसके बाद पीबीटी), वाली कंपनियों का कुल पीबीटी में हिस्सा 62.54 प्रतिशत और कुल कॉर्पोरेट आयकर देयता का कुल 54.90 प्रतिशत था। लाभ की सूचना देने वाली कंपनियों के पूरे आधार के लिए 23.26 प्रतिशत की प्रभावी दर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22.20 प्रतिशत की प्रभावी कर दर से कम है।

500 करोड़ रु. से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों की प्रभावी कर दर 20.42 प्रतिशत है, जो उन सभी कंपनियों की तुलना में कम है, जिनका कर-पूर्व लाभ 500 करोड़ रु. से कम है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि बड़ी कंपनियां उच्च कटौती और प्रोत्साहन का लाभ उठा रही हैं या इन्होंने 22 प्रतिशत और उपकर और अधिभार की न्यूनतर कर दर की नई व्यवस्था का चयन किया है। छोटी कंपनियों में कुल आय और पीबीटी के उच्च अनुपात से इसकी पुष्टि होती है। 0-1 करोड़ रु. की रेंज में पीबीटी देने वाली कंपनियों के मामले में यह अनुपात 93.35 प्रतिशत है जबकि 500 करोड़ रु. से अधिक पीबीटी वाली कंपनियों के मामले में यह 73.01 प्रतिशत है। कम अनुपात इंगित करता है कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों की तुलना में अधिक कटौती और प्रोत्साहन का लाभ उठा रही हैं।

**तालिका 1: कर-पूर्व लाभ की श्रेणी में कंपनियों की प्रोफाइल
(वित्तीय वर्ष 2021-22) (कंपनियों की संख्या - 10,25,717)**

क्र.सं.	कर पूर्व लाभ	कंपनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	कुल कॉर्पोरेट आय-कर देयता में हिस्सा (में %)	कर पूर्व कुल आय और लाभ का अनुपात (% में)	कुल आय की तुलना में कर का अनुपात (में %)	प्रभावी कर दर (% में) (कर लाभ अनुपात)
1	शून्य से कम	483,246	लागू नहीं	0.51	0.49	लागू नहीं	23.24	लागू नहीं
2	शून्य	46,832	लागू नहीं	19.04	8.62	लागू नहीं	10.93	लागू नहीं
3	0-1 करोड़ रु.	422,389	1.91	1.86	1.98	93.35	25.83	24.11
4	1-10 करोड़ रु.	56,472	6.18	5.66	6.11	88.24	26.07	23.01
5	10-50 करोड़ रु.	11,888	8.95	8.02	8.75	86.29	26.36	22.75
6	50-100 करोड़ रु.	2,110	5.11	4.54	4.96	85.58	26.38	22.58
7	100-500 करोड़ रु.	2,102	15.31	12.93	14.19	81.19	26.54	21.55
8	500 करोड़ रु. से अधिक	678	62.54	47.44	54.90	73.01	27.96	20.42
सभी कंपनियां		10,25,717	100.00	100.00	100.00	96.25	24.16	23.26

तालिका 2 में प्रभावी कर दरों में कंपनियों का प्रतिदर्श दर्शाया गया है। यह ध्यान दिया जाए है कि 20 प्रतिशत तक औसत प्रभावी कर दरों वाली 6,46,949 कंपनियों का, कर-पूर्व कुल लाभ का 34.84 प्रतिशत, कुल कर-योग्य आय का 16.01 प्रतिशत और कुल करों का 17.985 प्रतिशत हिस्सा था। दूसरे शब्दों में, बड़ी संख्या में कंपनियों (6,46,949 यानी 63.07 प्रतिशत) ने अपने मुनाफे के प्रति करों के रूप में अनुपातहीन रूप से कम राशि का योगदान दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिन 47,005 कंपनियों ने कुल लाभ का 4.54 प्रतिशत और कुल करों का 9.30 प्रतिशत हिस्सा दिया, उनकी प्रभावी कर दर 34.69 प्रतिशत की औसत वैधानिक दर के करीब थी। इससे पता चलता है कि कंपनियों में कर देयता असमान रूप से वितरित हुई है। यह मुख्य रूप से क्रानून में प्रदत्त विभिन्न कर वरीयताओं, जिन्हें इन कंपनियों ने प्राप्त किया है, के कारण है।

यह भी उल्लेखनीय है कि 20-30% के प्रभावी कर दर के दायरे में 2,63,911 के प्राप्ति आती है, कर पूर्व लाभ में जिनकी हिस्सेदारी 50% (56.39%) से अधिक है और कर देयता में जिनकी हिस्सेदारी 66.5% है। ईटीआर के दायरे में आने वाली के प्राप्ति की प्रतिशतता 27.72% है। यह कुल कर में इन के प्राप्ति की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 की तुलना में 4% की वृद्धि को दर्शाता है। यह परिणाम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115खकक और 115खकख में निहित व्यवस्था के माध्यम से कारपोरेट कर दर के युक्तिसंगत बनाए जाने के सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है।

तालिका 2: प्रभावी कर दरों की श्रेणी में कंपनियों का प्रोफाइल*

क्र.सं.	प्रभावी कर दर (% में)	कंपनियों की सं.	कर पूर्व लाभ में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	कुल कर देयता में हिस्सा (% में)
1	शून्य और शून्य से कम	530,987	8.17	0.63	0.54
2	0-20	115,962	26.66	15.38	17.45
3	20-25	57,506	23.52	26.79	25.49
4	25-30	206,405	32.87	42.44	41.01
5	30-33	21,020	4.24	5.98	6.21
6	>33	47,005	4.54	8.78	9.30
7	अनिर्धारित(पीबीटी = 0)	46,832			
	कुल	10,25,717	100.00	100.00	100.00

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

तालिका 3 में निजी कंपनियों के साथ सार्वजनिक कंपनियों (केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों) की प्रभावी कर दर की तुलना की गई है। जबकि प्रभावी दर दोनों श्रेणियों के लिए वैधानिक दर से कम है, निजी क्षेत्र की कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में भुगतान करती हैं।

तालिका 3: सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर*
(वित्तीय वर्ष 2021-22) [कंपनियों की संख्या - 10,25,717]

क्र. सं.	क्षेत्र	कंपनियों की सं.	कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल कर देयता में हिस्सा (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (% में) [कर से लाभ अनुपात]
1	सार्वजनिक #	10,25,516	82.54	86.93	24.18
2	निजी	201	17.46	13.07	18.89
	सभी कंपनियां	10,25,717	100	100	23.26

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

निर्धारित कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के रूप में) द्वारा उनके संबंधित रिटर्न में दी गई जानकारी के आधार पर।

तालिका 4 में कंपनियों के संबंध में विनिर्माण क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की प्रभावी कर दर के बीच तुलना दर्शाया गया है। विनिर्माण क्षेत्र की 22.64 प्रतिशत की तुलना में गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में 23.62 प्रतिशत का उच्चतर प्रभावी कर दर है। दोनों क्षेत्रों में एक प्रभावी कर दर है जो औसत वैधानिक दर 34.69 प्रतिशत से काफी कम है।

तालिका 4: विनिर्माण और गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर*
(वित्तीय वर्ष 2021-22) [कंपनियों की संख्या-10,25,717]

क्र. सं.	क्षेत्र	कंपनियों की सं.	कुल लाभ में हिस्सा (प्रतिशत में)	कुल कर देयता में हिस्सा (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (% में) [कर से लाभ अनुपात]
1	विनिर्माण	1,51,225	36.76	35.78	22.64
2	गैर-विनिर्माण	8,74,492	63.24	64.22	23.62
	सभी कंपनियां	10,25,717	100.00%	100	23.26

* प्रभावी कर की दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल हैं।

तालिका 5 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमान के संदर्भ में कॉर्पोरेट करदाताओं के संबंध में प्रमुख कर व्यय का विवरण दर्शाया गया है। यह विश्लेषण 31 मार्च, 2023 तक दायर कॉर्पोरेट रिटर्न पर आधारित है, जिसमें निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए दायर सभी रिटर्न शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक कर रियायत के राजस्व प्रभाव का परिकलन प्रत्येक कटौती की राशि पर भारत औसत वैधानिक कॉर्पोरेट कर दर 34.69 प्रतिशत³ लागू करके की गई है। वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए त्वरित मूल्यहास,

³ एक करोड़ रु. तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 31.20 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत की भारत औसत कर दर लेने के बाद औसत वैधानिक कर दर निकाली गई है।

कटौती/भारित कटौती के राजस्व प्रभाव का परिकलन पहले कंपनियों द्वारा लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यहास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके किया गया है। तत्पश्चात कर व्यय के आंकड़े पर पहुंचने के लिए इस अंतर पर 34.69 प्रतिशत की भारित औसत कॉर्पोरेट कर दर लागू की गई है।

कर व्यय का एक अन्य पहलू कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब किया जाता है जब करदाता, कर कानून के तहत उच्च कटौती की अनुमति के कारण कम समय अवधि में कटौती की अनुमति (जैसे मूल्यहास में अनुमति) का दावा करके अपनी कर देयता को स्थगित करने में सक्षम होता है, जबकि वह एक ही मूल्यहास का दावा कई वर्षों में अपने ही खातों में फैला सकता है। चूंकि मूल्यहास में नकद व्यय नहीं होता है, यह एक कर आस्थगन है। दूसरी ओर, कर कानून के तहत कंपनियों पर एमएटी (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, अंकित लाभ पर 15 प्रतिशत की दर से) कंपनी द्वारा रिपोर्ट किए गए इसके शेयरधारकों को होने वाले लाभ पर (कुछ समायोजन के अध्वधीन) पर लगता है, और यह तब लगता है जब यह देयता सामान्य दरों पर गणना की गई कर देयता से अधिक हो। एमएटी के कारण अतिरिक्त देयता को बाद के उस वर्ष में क्रेडिट (15 वर्ष तक) के रूप में अनुमति दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता एमएटी देयता से अधिक होती है। इसलिए, एमएटी के कारण भुगतान किया गया अतिरिक्त कर, भविष्य की कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्यहास के दावों के कारण करों के आस्थगन की अवधि को प्रतिबंधित करता है और अन्य कटौतियों, जैसे कि लाभ से जुड़ी कटौतियों, के राजस्व प्रभाव में लंबी समयावधि में उसी दावे का विस्तार करके कम करता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर व्यय को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2021-22 और 2022-23] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके अनुमानित किया गया है। औसत जीडीपी वृद्धि दर की गणना 12.84% की गई थी।

तालिका 5 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमान के संदर्भ में कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय को दर्शाया गया है।

**तालिका 5: कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
(वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23)
[कंपनियों की संख्या - 10,25,717]**

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रु. में) [2021-22]	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रु. में) [2022-23]
1	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10कक)	24,677.18	27,845.73
2	त्वरित मूल्यहास (धारा 32)	21,477.69	24,235.43
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1),(2कक) और (2कख))	2,557.02	2,885.34
4	निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	1,517.96	1,712.87
5	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	1,132.90	1,278.36
6	राजनीतिक दलों को योगदान के कारण कटौती (धारा 80छछख)	1,775.46	2,003.43
7	बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80-झक)	8,213.25	9,267.83
8	बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक)	15,286.40	17,249.17
9	बिजली संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के मुनाफे की कटौती (धारा 80- झक)	102.22	115.34
10	एसईजेड अधिनियम, 2005 (धारा 80- झकख) के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती	695.25	784.52
11	जम्मू और कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80- झख)	265.93	

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रु. में) [2021-22]	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रु. में) [2022-23]
12	खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	123.12	138.93
13	आवासीय परियोजनाओं से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभ की कटौती (धारा 80- झख)	12.99	14.66
14	खाद्यान्न के संचालन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	5.61	6.33
15	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झख)	125.78	141.93
16	आवासीय परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80- झखक)	410.68	463.41
17	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झड)	1,977.92	2,231.89
18	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झड)	3,866.06	4,362.46
19	जैव-अवक्रमणीय कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभ की कटौती (धारा 80जकक)	8.62	9.73
20	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 जकक)	2,632.94	2,971.01
21	अपतटीय बैंकिंग इकाइयों [ओबीयू] और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आय के संबंध में कटौती(धारा 80-ठक)	1.04	1.17
22	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के कुछ आय को संबंध में कटौती 80-ठक (1क)	178.16	201.04
23	कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती (80छकक)	12.37	13.96
24	निर्माता कंपनियों की कुछ आय के संबंध में कटौती (80तक)	18.46	20.83
कुल		87,075.01	98,255.44
घटाएं : एमएटी के कारण निवल अतिरिक्त कर		(-9817.38)	-11,077.93
एमएटी के कारण अतिरिक्त कर देयता के रूप में गणित ` 24613.44 करोड़			लागू नहीं
(-) दावा किए गए एमएटी क्रेडिट द्वारा घटाया गया ` 34430.82 करोड़			लागू नहीं
कुल परित्यक्त राजस्व		96,892.39	109,333.38

विभिन्न क्षेत्रों में, एसईजेड में स्थित इकाइयों द्वारा हासिल कटौती (क्रम सं.1), त्वरित मूल्यहास (क्रं.सं.2), विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में संलग्न उपक्रमों के लाभ की कटौती (सं.8), अवसंरचना सुविधाओं के विकास में संलग्न उपक्रम (क्रम.सं.7), सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (क्र.सं.18), नए कारीगरों को रोजगार के संबंध में कटौती (सं.20), वैज्ञानिक अनुसंधान पर कटौती (क्र.सं.3) उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (सं.17), विनिर्दिष्ट व्यवसाय (क्र.सं.4), कुल कर प्रोत्साहन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों के दानों के कारण कटौती वित्त वर्ष 2020-21 (1274.99 करोड़) के दान की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 (1132.90 करोड़) कम हुई है।

कंपनियों के प्रभावी कर-दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरण के परिशिष्ट की तालिका में दिया गया है। चाय उगाने और विनिर्माण (15.57%), इस्पात उत्पादों का विनिर्माण (18.11%) और कागज एवं कागज उत्पाद के विनिर्माण (20.21%) के लिए प्रभावी कर-दर कम दर समूह में हैं। प्रभावी कर दरों की तुलना में कम कर-दरों का लाभ लेने वाले कुछ अन्य क्षेत्र हैं हार्ड कोल का एग्लोमेरेशन (17.65%) और संशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण (21.15%)। प्रभावी कर दर कर-पूर्व लाभ के लिए देय सकल कर के योग का अनुपात है।

इसके अलावा, कुछ घरेलू कंपनियों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल स्थापित करने, नए निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और समग्र अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास में, धारा 115खकक और 115खकख को कराधान कानून (संशोधन)

अधिनियम 2019 (टीएलएए) के माध्यम से अधिनियम में अंतःस्थापित किया गया था। इसमें ऐसी मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22% की रियायती कर दर और ऐसी नव-निगमित घरेलू कंपनियों (01 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद स्थापित और पंजीकृत) के लिए 15% की रियायती कर दर की व्यवस्था की गई है, जो इस तरह की विनिर्मित मद या वस्तुओं का निर्माण, उत्पादन, अनुसंधान या वितरण 31 मार्च, 2024 से शुरू करती हैं। यह रियायत कतिपय शर्तों के अधीन है जिनमें वे कंपनियां भी शामिल हैं, जो कोई विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौतियों का लाभ नहीं उठाती हैं। यह भी प्रावधान किया गया है कि रियायती करारोपित व्यवस्था का विकल्प चुनने वाली घरेलू कंपनियों के लिए यह अपेक्षित नहीं होगा कि वे किसी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करें।

इस रियायती कर प्रोत्साहन के प्रभाव के विश्लेषण (तालिका 5.1 में किया गया) से यह स्पष्ट होता है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कारपोरेट विवरणी में से अधिनियम की धारा 115खकक के तहत करारोपित कुल आय 15,48,040.43 करोड़ रुपए है, जो पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में समान धारा के तहत करारोपित आय (11,92,851.30 करोड़ रुपए) से 29.77% अधिक है। इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 115खकख के अधीन करारोपित कुल आय 2360.64 करोड़ है जो वित्त वर्ष 2020-21 में धारा 115खकख के अधीन करारोपित आय (770.13 करोड़) से 206.5% अधिक है। इस प्रकार, कंपनियों द्वारा नई रियायती कर व्यवस्था अपनाने की प्रवृत्ति जारी है, जो उत्साहजनक है।

तालिका 5.1 : रियायती कर व्यवस्था के तहत आय और पुरानी कर व्यवस्था के तहत आय की तुलना (वित्तीय वर्ष 2021-22)

क्र.सं.	कुल आय के स्लैब (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 कंपनियों की संख्या (115बीएए के तहत)	वित्तीय वर्ष 2020-21 कंपनियों की संख्या (115बीएबी के तहत)	वित्तीय वर्ष 2021-22 कंपनियों की संख्या (पहले की कर दर 30% और अधिभार और उपकर के तहत)	वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल आय (115बीएए के तहत) (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 कुल आय (115बीएबी के तहत) (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल आय (पहले की टैक्स दर 30% और अधिभार और उपकर के तहत) (करोड़ में)
1	0-1	15,227.55	17,086.42	235.08	171.73	33,123.58	24,655.94
2	1-10	81,588.75	77,903.02	843.57	418.52	82,328.45	51,162.16
3	10-50	1,45,239.29	1,24,743.04	1,066.09	179.87	1,13,796.76	72,888.96
4	50-100	94,167.00	72,638.16	215.91	-	65,764.04	42,349.08
5	100-500	2,95,164.99	2,30,990.20	0	-	2,15,906.21	1,32,004.85
6	>500	9,16,652.84	6,69,490.46	0	-	6,90,333.22	4,27,711.70
	कुल	15,48,040.43	11,92,851.30	2,360.64	770.13	12,01,252.25	7,50,772.69

ख. गैर-कार्पोरेट क्षेत्र [फर्म/एओपी/बीओआई आदि]

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा, बड़े व्यवसाय को साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के संघ [एओपी] या व्यक्तियों के निकाय [बीओआई] के रूप में भी संगठित किया जाता है। इन पर कर व्यय उतना बड़ा नहीं है जितना कि कंपनियों के मामले में है। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-2022 की आय के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल 17,24,125 रिटर्न प्राप्त हुए हैं। कर व्यय की गणना के उद्देश्य से, इन 17,24,125 फर्मों/एओपी/बीओआई से संबंधित आंकड़ों को डेटाबेस से निकाला गया था।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य सामने आए: -

- सभी फर्मों/एओपी/बीओआई ने 3,55,649.81 करोड़ रु. करों से पहले लाभ के रूप में और 5,00,936.81 करोड़ रुपये की कुल आय (कर योग्य आय) घोषित की। लगभग 3,46,591 रिटर्न से नुकसान दर्ज किया गया जो कुल का 20.10 प्रतिशत है।
- इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देय आयकर के रूप में [अधिभार और उपकर सहित] 1,22,094.90 करोड़ रुपये दर्ज किए हैं।

प्रत्येक कटौती की राशि पर फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत के राजस्व प्रभाव की गणना 34.09 प्रतिशत की आय कर दर (एक करोड़ से कम आय वाली फर्मों के लिए भारित औसत दर की गणना 31.20 प्रतिशत की दर से और प्रत्येक कर दर स्लैब में आने

वाले देय सकल कर के साथ एक करोड़ से अधिक आय वाली फर्मों के लिए 34.94 प्रतिशत की दर से की जाती है) को लागू करके की गई है। त्वरित मूल्यहास के कारण कर व्यय कटौती; वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती की गणना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा लाभ और हानि खातों में डेबिट किए गए मूल्यहास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यहास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके की गई है। इसके बाद, प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव पर पहुंचने के लिए इस अंतर पर 34.09 प्रतिशत की आयकर दर लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन के लिए राजस्व प्रभाव के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2021-22 और 2022-23] के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमान लगाया गया है। औसत जीडीपी विकास दर की गणना 12.84 % की गई थी।

तालिका 6 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमान के संदर्भ में गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की तरह, उच्चतम कर व्यय सहकारी समितियों के लाभों में कटौती के कारण है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 61.02 प्रतिशत की तुलना में कुल राजस्व प्रभाव का 53.89 प्रतिशत है। एसईजेड में स्थापित इकाइयों (धारा 10एए के तहत), आवासन परियोजनाओं (धारा 80-झख के तहत) और त्वरित मूल्यहास (धारा 32 के तहत) के कारण कर व्यय, छोड़े गए कुल राजस्व का क्रमशः 19.16 प्रतिशत, 8.63 प्रतिशत और 3.47 प्रतिशत था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र, यानी फर्मों/एओपी/बीओआई के लिए कुल कर व्यय 7,731.61 करोड़ रुपए होगा।

तालिका 6: गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं [फर्म/एओपी/बीओआई] के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव [2021-22] (करोड़ रुपए में)	राजस्व प्रभाव [2022-23] (करोड़ रुपए में)
1	एसईजेड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10कक)	1,727.95	1,949.82
2	त्वरित मूल्यहास (धारा 32)	312.83	353.00
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) और (2कख)	5.92	6.68
4	निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	65.08	73.44
5	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	180.18	203.32
6	राजनीतिक दलों को योगदान पर कटौती (धारा 80छछग)	90.15	101.73
7	बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	84.73	95.61
8	विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झक)	357.38	403.27
9	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती(धारा 80-झकख)	108.72	122.68
10	आवासीय परियोजनाओं से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभ की कटौती (धारा 80-झख)	56.98	64.30
11	खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन के समेकित व्यवसाय से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	8.29	9.35
12	फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, संरक्षण और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	72.64	81.97
13	आवासीय परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80-झखक)	778.79	878.79

14	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	209.30	236.18
15	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	30.55	34.47
16	अतराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	0.807	0.91
17	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	0.128	0.14
18	जैव-अवक्रमणीय कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से लाभ की कटौती (धारा 80जकक)	11.02	12.43
19	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80 जककक)	46.12	52.04
20	विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयों [ओबीयू] तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आयों के संबंध में कटौती (धारा 80-ठक)	0.14	0.16
21	सहकारी संस्थाओं के लाभों के संबंध में कटौती (धारा 80त)	4,860.33	5,484.40
22	बैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कतिपय दान के लिए कटौती (धारा 80छछक)	6.3	7.11
23	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों के कतिपय आय के संबंध में कटौती (80ठक(1क)	4.34	4.90
कुल		9,018.68	10,176.68

*कोविड प्रभावित होने के कारण 2020-21 की गणना नहीं की गई है।

ग. व्यष्टि/हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) करदाता

आयकर अधिनियम का अध्याय VI-क मुख्य रूप से कतिपय भुगतानों पर कटौती और कतिपय आयों पर कटौती प्रदान करता है। व्यष्टि/एचयूएफ करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनके पास कई प्रकार की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, चूंकि 50 प्रतिशत से अधिक व्यष्टि करदाता अपनी आय मुख्य रूप से वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए लाभ से जुड़ी कटौतियों [अर्थात् कतिपय व्यावसायिक आय पर कटौती] पर उनके द्वारा दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वैतनिक व्यक्तियों का समूह दोनों प्रकार की कटौती का दावा करता है। व्यष्टि करदाताओं को दिए गए कर प्रोत्साहन तालिका 7 में प्रस्तुत किए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर प्रभाव की गणना वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक आयकर विभाग में व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की गई 7,12,70,191 विवरणियों में कर विकल्पों के लिए विभिन्न दावों के आधार पर की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर व्यय का आनुमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को चार वर्षों [वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2021-22 और 2022-23] के औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से गुणा करके किया गया है। औसत जीडीपी विकास दर 12.84% आंकी गई थी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 (एवाई 2022-23) के लिए दायर कुल 7,12,70,191 आय विवरणियों के आंकड़ों के आधार पर, करदाताओं की पूरी जनसंख्या के लिए कर व्यय तैयार किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं :-

- (i) उच्च बुनियादी छूट सीमा के प्रभाव, (तालिका 7 की क्रम संख्या 27 और 28), की गणना प्रति वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक पर कर व्यय को उनकी संबंधित संख्याओं से गुणा करके की गई है। इन विवरणियों के आंकड़ों के मुताबिक, 11.64 प्रतिशत विवरणियों को वरिष्ठ नागरिकों द्वारा और 0.74 प्रतिशत विवरणियां अति वरिष्ठ नागरिकों द्वारा फाइल की गयी। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध उच्चतम छूट सीमा के राजस्व प्रभाव की गणना को 250,000 रुपये की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्चतम बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 300,000 रुपये) के बीच के अंतर को ध्यान में रखकर की गई है और अंतर पर 5 प्रतिशत (जमा उपकर) की न्यूनतम कर दर को लागू करते हुए परिकलित किया गया है।
- (ii) व्यष्टियों के मामले में, अधिनियम की धारा 80ग के अनुसार कुछ लिखतों में निवेश के लिए कटौती के दावे के कारण अधिकतम कर व्यय 90,546.13 करोड़ रूपए की राशि है।
- (iii) वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यष्टि करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय अधिनियम की धारा 87क के तहत छूट के कारण 36,292.90 करोड़ रूपए की राशि है।

(iv) धारा 80गघ के अधीन नई पेंशन योजना में अंशदान पर कटौती और धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा किश्त के लिए कटौती का भी समग्र आंकड़ों में क्रमशः 11,354.776 करोड़ और 9,783.68 करोड़ का योगदान था।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, तालिका 7 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमानों के लिए, कर व्यय के संदर्भ में, व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

**तालिका 7 : व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23**

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2021-22]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2022-23]
1	कुछ निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	90,546.13	102,172.25
2	कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	313.02	353.21
3	नई पेंशन योजना में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	11,354.76	12,812.71
4	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (धारा 80घ)	9,783.68	11,039.90
5	दिव्यांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघ)	1,350.08	1,523.43
6	विशिष्ट रोगों के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघख)	1,867.71	2,107.52
7	उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ड)	1,388.41	1,566.68
8	रिहायसी आवास संपत्ति के लिए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80डड)	400.13	451.51
9	कतिपय आवासीय संपत्ति के लिए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80डडक)	771.48	870.54
10	इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के संबंध में कटौती (धारा 80डडख)	222.69	251.28
11	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दिए गए दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	1,594.97	1,799.76
12	आवास मकान के लिए भुगतान किए गए किराए के कारण कटौती (धारा 80छछ)	1,715.79	1,936.10
13	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान देने पर कटौती (धारा 80छछक)	13.75	15.52
14	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान पर कटौती (धारा 80छछग)	1,650.46	1,862.38
15	एसईजेड और औद्योगिक पार्कों के विकास, बिजली उत्पादन और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झक)	79.77	90.01
16	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झकख)	1.27	1.43
17	आवास परियोजनाओं से लाभ और मुनाफे की कटौती (धारा 80-झखक)	155.29	175.23
18	आवास परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास, खाद्यान्न के प्रबंधन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय तथा जम्मू और कश्मीर तथा अन्य पिछड़े क्षेत्र में स्थित	22.72	25.64

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2021-22]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2022-23]
	औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80-झख)		
19	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	27.07	30.55
20	जैव-अवक्रमणीय कचरे के संग्रह और प्रसंस्करण के व्यवसाय से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80जजक)	4.11	4.64
21	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80जजकक)	14.77	16.67
22	पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80थथख)	7.95	8.97
22	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (धारा 80ददख)	0.37	0.42
23	बचत खाते पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ननक)	2,064.93	2,330.07
24	निवासी वरिष्ठ नागरिकों के मामले में जमा धनराशि पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80टीटीवी)	3,463.70	3,908.44
25	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (धारा 80प)	618.09	697.45
26	धारा 87क के अंतर्गत छूट	36,292.90	40,952.91
27	वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक छूट सीमा	2,157.43	2,434.44
28	अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक छूट सीमा	682.87	770.55
	कुल	168,566.30	190,210.21

व्यष्टि करदाताओं के मामले में विभिन्न बचत लिखतों में निवेश करने, आवास ऋण की अदायगी और बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के तहत आते हैं) के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करने का राजस्व प्रभाव सबसे बड़ा एकल कर व्यय है जिसके बाद पांच लाख रुपये तक की आय वाले निवासी व्यष्टियों के मामले में कर पर छूट, नई पेंशन योजना में अंशदान और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर कटौती का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक बुनियादी छूट सीमाओं के कारण कर व्यय भी महत्वपूर्ण हैं। लाभ-आधारित कटौतियों के संबंध में, अधिकतम कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-झक और धारा 80-झग के कारण है।

घ. धर्मार्थ संस्थान

आयकर अधिनियम में सरकार द्वारा वित्त पोषित धर्मार्थ प्रकृति के कार्य में लगे संस्थानों सहित विभिन्न संस्थानों को छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया है। इसके अलावा, सामाजिक प्रयोजनों को पूरा करने वाले कतिपय क्रियाकलापों में संलग्न संस्थानों के लिए विशिष्ट छूट भी उपलब्ध है। इन संस्थानों को दान, स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त होते हैं और धर्मार्थ प्रकृति के क्रियाकलापों से अन्य आय प्राप्त होती है। ऐसे संस्थानों की कुल प्राप्तियों को उन प्रयोजनों के लिए लागू करने की अपेक्षा है जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है। इन संस्थानों को आयकर विवरणी फाइल करना अपेक्षित है। 31 दिसम्बर, 2023 तक ऐसे संस्थानों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की गई विवरणियों की कुल संख्या, निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 207,675 है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान धर्मार्थ और धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसे संस्थानों द्वारा प्रयुक्त कुल राशि 8,17,187.15 करोड़ रुपये है।

परिशिष्ट

पूरे उद्योग में कंपनियों की प्रभावी कर दर, अधिभार और शिक्षा उपकर सहित
(वित्तीय वर्ष 2021-22) (कंपनियों की संख्या - 10,25,717)

य	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियां	जीटीआई	पीबीटी (धनात्मक), पीबीटी > 0	प्रभावी कर की दर
1	कृषि, पशुपालन और वानिकी	कृषि और पशुपालन सेवाएं	7711	386.61	1254.27	30.82
2	कृषि, पशुपालन और वानिकी	मुर्गी पालन और अंडे का उत्पादन	750	354.51	1411.05	25.12
3	कृषि, पशुपालन और वानिकी	चाय का उत्पादन और विनिर्माण	1167	226.43	1454.32	15.57
4	कृषि, पशुपालन और वानिकी	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	13593	699.06	4069.58	17.18
5	मत्स्य पालन	समुद्री और ताजे पानी की मात्स्यिकी, फिश हैचरी और मत्स्य पालन से संबंधित सेवाएं	96	6.38	28.49	22.41
6	मत्स्य पालन	अन्य	744	86.88	538.97	16.12
7	खनन और उत्खनन	कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण	157	13338.33	58512.64	22.80
8	खनन और उत्खनन	कठोर कोयले का खनन और ढेर	128	6374.15	36123.92	17.65
9	खनन और उत्खनन	यूरेनियम और थोरियम अयस्क के अतिरिक्त अलौह धातु अयस्कों का खनन	50	7516.65	34654.76	21.69
10	खनन और उत्खनन	लौह अयस्क का खनन	226	3211.47	12375.51	25.95
11	खनन और उत्खनन	अन्य	4081	2429.64	8226.43	29.53
12	विनिर्माण	परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	387	25246.12	119357.42	21.15
13	विनिर्माण	फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वानस्पतिक उत्पादों का विनिर्माण	7260	27939.89	115068.76	24.28
14	विनिर्माण	मोटर वाहनों का विनिर्माण	600	9368.91	35454.08	26.43
15	विनिर्माण	मोटर वाहन और इंजन के पुर्जे और सहायक उपकरण का विनिर्माण	3313	10044.36	42849.53	23.44
16	विनिर्माण	इस्पात उत्पादों का विनिर्माण	4128	27885.63	153999.71	18.11
17	विनिर्माण	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	4657	12337.84	49505.73	24.92
18	विनिर्माण	तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण	351	5251.30	22297.71	23.55
19	विनिर्माण	वस्त्रों का विनिर्माण (हथकरघा से किए जाने के अलावा)	9548	8786.49	38706.71	22.70
20	विनिर्माण	विद्युत मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण	2675	1100.73	5270.86	20.88
21	विनिर्माण	सीमेंट, चूना और प्लास्टर का विनिर्माण	707	6807.24	28377.62	23.99

य	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियां	जीटीआई	पीबीटी (धनात्मक), पीबीटी > 0	प्रभावी कर की दर
22	विनिर्माण	अन्य खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	4871	2615.72	10799.91	24.22
23	विनिर्माण	रेडियो, टेलीविजन, संचार सामग्री और उपकरण का विनिर्माण	308	2223.62	8416.26	26.42
24	विनिर्माण	साबुन और डिटर्जेंट का विनिर्माण	370	1129.44	4349.32	25.97
25	विनिर्माण	उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिकों का विनिर्माण	1168	3420.19	15982.00	21.40
26	विनिर्माण	रबर उत्पादों का विनिर्माण	1180	1999.81	8125.87	24.61
27	विनिर्माण	पेंट, वार्निश और समान कोटिंग्स का विनिर्माण	801	2033.57	7690.43	26.44
28	विनिर्माण	प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	3684	2488.03	10279.37	24.20
29	विनिर्माण	कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण	2828	1432.38	7087.19	20.21
30	विनिर्माण	इंजन और टर्बाइन का विनिर्माण	218	1492.93	5279.52	28.28
31	विनिर्माण	अन्य	102171	84327.64	362232.22	23.28
32	विद्युत, गैस और जल	गैस का निर्माण और वितरण	389	4335.36	18494.61	23.44
33	विद्युत, गैस और जल	अन्य आवश्यक वस्तु सेवा एन.ई.सी	1777	442.73	3315.07	13.36
34	निर्माण	सड़कों, रेल, पुल, सुरंगों, पत्तनों, बंदरगाह, रनवे आदि का निर्माण और रखरखाव	5807	10987.30	49555.19	22.17
35	निर्माण	पूर्ण निर्माण या पार्ट्स सिविल ठेकेदार का भवन	19028	3285.32	16644.13	19.74
36	स्थावर सम्पदा एवं रेंटिंग सेवाएं	लॉट में अचल संपत्ति का विकास और उप-विभाजन	9484	1734.44	17699.48	9.80
37	स्थावर सम्पदा एवं रेंटिंग सेवाएं	स्व-स्वामित्व भवन (आवासीय और गैर-आवासीय) वाली अचल संपत्ति का संचालन	3787	1278.28	6479.40	19.73
38	स्थावर सम्पदा और रेंटिंग सेवाएं	पट्टे पर दिए गए भवनों (आवासीय और गैर-आवासीय) की खरीद, बिक्री और किराये पर देना	6203	1228.61	5995.42	20.49
39	स्थावर सम्पदा और रेंटिंग सेवाएं	शुल्क पर या अनुबंध के आधार पर अचल संपत्ति गतिविधियां	6253	406.53	1855.08	21.91
40	थोक एवं खुदरा व्यापार	थोक में इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और उपकरण	3815	1651.03	6239.41	26.46
41	थोक एवं खुदरा व्यापार	मोटर वाहनों की थोक और खुदरा बिक्री	4028	1206.90	5940.73	20.32
42	थोक एवं खुदरा व्यापार	अन्य मशीनरी, उपकरण और आपूर्ति का थोक	3100	900.05	3398.97	26.48

य	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियां	जीटीआई	पीबीटी (धनात्मक), पीबीटी > 0	प्रभावी कर की दर
43	थोक एवं खुदरा व्यापार	अन्य	179716	34137.87	146041.60	23.38
44	परिवहन एवं संभारतंत्र सेवाएं	परिवहन एवं संभारतंत्र सेवाएं - सड़क मार्ग द्वारा माल परिवहन	4330	1179.79	4887.71	24.14
45	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और बट्टा घर	376	42297.64	158827.13	26.63
46	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक ऋण गतिविधियाँ	2283	5862.62	25579.52	22.92
47	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	49249	114360.32	418220.58	27.34
48	कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं	सॉफ्टवेयर विकास	26318	50603.50	214645.88	23.58
49	कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं	अन्य आईटी सक्षम सेवाएं	25837	15117.34	68502.31	22.07
50	कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं	बीपीओ सेवाएं	2207	2961.98	11516.14	25.72
51	कंप्यूटर एवं संबंधित सेवाएं	अन्य	19165	3674.43	12568.08	29.24
52	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप एन.ई.सी.	1930	572.14	2474.87	23.12
53	व्यवसाय	इंजीनियरिंग और तकनीकी परामर्श	4983	1493.14	4913.91	30.39
54	व्यवसाय	व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियां	7971	1715.19	8057.42	21.29
55	व्यवसाय	विज्ञापन	2472	448.90	1869.90	24.01
56	व्यवसाय	वास्तुकला व्यवसाय	1135	58.31	218.38	26.70
57	व्यवसाय	अन्य	23092	1889.32	7298.88	25.89
58	शिक्षा सेवाएं	प्राथमिक शिक्षा	734	43.94	153.10	28.70
59	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	2334	2151.14	9457.47	22.75
60	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	निदान केंद्र	1919	688.03	2965.21	23.20
61	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ	सामान्य अस्पताल	2883	609.06	2584.79	23.56
62	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ	अन्य	14686	1446.81	5644.55	25.63
63	संस्कृति और खेल	टेलीविजन चैनल प्रसारण	488	2907.82	10690.54	27.20
64	संस्कृति और खेल	गैर-वर्गीकृत सहित अन्य	6620	1170.02	5772.48	20.27
65	होटल, रेस्तरां और स्वागत सेवाएं	स्टार रेटेड होटल	20775	1297.01	7020.81	18.47
66	परिवहन और संभारतंत्र सेवाएं	ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर	18521	6177.14	28383.87	21.76
67	डाक और दूरसंचार	डाक और कुरियर कार्यकलाप	2771	3325.82	35690.77	9.32
68	अनुसंधान और विकास	प्रकृति विज्ञान और यांत्रिकी	351	51.45	190.88	26.95

य	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	कंपनियां	जीटीआई	पीबीटी (धनात्मक), पीबीटी > 0	प्रभावी कर की दर
69	शिक्षा सेवाएं	सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी शिक्षा	13996	1086.84	3781.59	28.74
70	सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	आवास सहित सामाजिक कार्य के कार्यक्रमलाप (अनाथालय तथा वृद्धों के लिए घर)	4678	26.99	89.06	30.31
71	अन्य सेवाएं	हेयर ड्रेसिंग और अन्य सुंदरता उपचार	236855	33883.77	117416.18	28.86
72	विद्युत, गैस और जल	विद्युत का उत्पादन संग्रहण और वितरण	8063	7020.73	61626.81	11.39
73	निर्माण	भवन संस्थापन	46793	7183.13	33629.96	21.36
74	रियल स्टेट और किराया (रेंटिंग) सेवाएं	अन्य रियल स्टेट/रेंटिंग सेवाएं एन.ई.सी	38483	4552.78	26122.43	17.43
75	मशीनरी किराए पर देना	भूमि परिवहन उपकरण किराए पर देना	2299	284.58	1345.08	21.16
76	होटल, रेस्तरा और आतिथ्य सेवाएं-होटल	होटल नॉनस्टार रेटेड	2	4.05	10.10	40.06
77	परिवहन और संचार	पैसेंजर भूमि परिवहन सेवाएं	11	730.00	3561.71	20.50
78	डाक और दूरसंचार	आधारभूत टेलीकॉम सेवाएं	4	3253.89	19973.22	16.29
79	अन्य सेवाएं-अन्य सेवाएं एन.ई.सी	अन्य सेवाएं एन.ई.सी.	22	1893.66	4535.95	41.75
80	विद्युत, गैस और जल	विद्युत का उत्पादन, संग्रहण और वितरण	23	7956.76	43898.73	18.13
81	रियल स्टेट और रेंटिंग सेवाएं	अन्य रियल स्टेट/रेंटिंग सेवाएं एन.ई.सी.	2	14.35	57.40	25.00

*केवल लाभ कमाने वाली कंपनियों (अर्थात् पीबीटी > 0) पर इस विश्लेषण में विचार किया गया है।

वर्ष 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए सीमाशुल्क पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई दरों पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत माल पर सीमाशुल्क वसूला जाता है (इसे आम तौर पर मूल सीमाशुल्क - बीसीडी कहा जाता है)। कतिपय मदों पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्यात शुल्क भी वसूला जाता है।

2.1 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में व्यष्टि टैरिफ की सीमा के लिए विनिर्दिष्ट इन दरों को आम तौर पर "टैरिफ दरें" कहा जाता है। इसके अलावा, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या संबंधित वित्त अधिनियमों में टैरिफ दरों से कमतर सीमाशुल्क दरें अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दिया जाता है [सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत, जिसे विभिन्न वित्त अधिनियमों के तहत वसूले जाने वाले शुल्कों पर भी लागू किया गया है]। ऐसी छूट संबंधी अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित की गई इन दरों को "प्रभावी दरें" कहा जाता है।

2.2 इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी की गई छूट संबंधी अधिसूचनाओं को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(i) सशर्त छूट अधिसूचनाएं; और

(ii) बिना शर्त की छूट अधिसूचनाएं।

2.3 बिना शर्त की छूट अधिसूचनाओं में किसी माल के लिए सीमाशुल्क की सामान्य प्रभावी दरें निर्धारित की जाती हैं। ये दरें उक्त माल के सभी आयातों पर बिना किसी शर्त के लागू होती हैं। अन्य शब्दों में, ऐसी बिना शर्त की छूटें किसी सामान के लिए प्रभावतः एमएफएन दर निर्धारित करती हैं।

2.4 सशर्त छूटें, दूसरी ओर, जैसाकि ऊपर चर्चा की गई है, उच्च टैरिफ दर या एफएन दर की तुलना में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रभावी दरों को निर्धारित करती हैं। ऐसी सशर्त अधिसूचनाएं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हैं, उदाहरण के लिए, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, रक्षा खरीद, आदि। ऐसे मामलों में, केवल ऐसी दरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने संबंधी आयात ही ऐसी प्रभावी दरों के पात्र होंगे। वस्तुतः, ऐसी छूटों के परिणामस्वरूप प्रासंगिक टैरिफ/ एमएफएन दर की तुलना में परित्यक्त राजस्व होता है।

2.5 **निर्यात योजनाओं के तहत सीमाशुल्क रहित आयात:** निर्यात सामानों में लगने वाले कच्चे माल और इनपुट की खरीद के लिए कुछ छूटें प्रदान की गई हैं। वस्तुतः, ऐसी छूटें निर्यातों की शून्य रेटिंग के लिए निर्यातों पर कर को निष्प्रभावी करने मात्र का कार्य करती हैं। निर्यातों की शून्य रेटिंग पर लक्षित की जा रही ये छूटें प्रभावी रूप से, बीसीडी रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व का कारण नहीं बनती हैं।

2.6 **स्क्रिप दर के माध्यम से प्रदान की गई निर्यात से जुड़ी छूटें या प्रोत्साहन :** निर्यातकों को छूट या प्रोत्साहन प्रदान करने वाली कुछ योजनाएं हैं। निर्यात सामानों पर राज्यों और केंद्र के कुछ निहित करों वसूलियों के बदले छूट दी जाती है। आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल जैसी कुछ योजनाएं हैं जो प्रोत्साहन आधारित होती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, मुक्त रूप से व्यापार योग्य स्क्रिप के रूप में ऋण अनुमत है। इस ऋण को आयातों पर मूल सीमाशुल्क (सीबीडी) के किसी भुगतान के लिए समाप्त किया जा सकता है। बीसीडी के भुगतान के लिए स्क्रिप के उपयोग को वर्ष 2020-21 तक परित्यक्त राजस्व के रूप में माना गया था। तथापि, परिवर्तित लेखांकन प्रक्रिया में, वास्तविक प्रकृति पर विचार करते हुए स्क्रिप के माध्यम से किए गए सीमाशुल्क भुगतान को अब राजस्व के रूप में माना जाता है और निर्यातकों को इस प्रकार अनुमत किए गए सीमाशुल्क ऋण को व्यय के रूप में गिना जाता है। यह संशोधित पद्धति 2021-22 से अपनाई गई है और वर्ष 2023-24 में भी यही पद्धति जारी है।

3. **एफटीए :** भारत ने कई देशों या देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौते, समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते और समग्र आर्थिक सहयोग समझौते किए हैं। समान रूप से, भारत सूचना प्रौद्योगिकी समझौता-1 का भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। इस समझौते के तहत, भारत ने ऐसे समझौते के तहत शामिल किए गए विशिष्ट सामानों पर कमतर दर/छूट हेतु स्वयं को बाध्य कर लिया है। ये वरीय टैरिफ सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत भी अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित किए गए हैं। स्वतंत्र दायित्वों के भाग के रूप में प्रदान की गई ऐसी वरीय टैरिफ दरें, ऐसे समझौतों में शामिल आयातों के लिए लागू सामान्य दर भी होती हैं।

4. इसलिए, ऊपर स्पष्ट किए गए अनुसार, चूंकि बिना शर्त की छूटें और स्वतंत्र देयताओं के तहत प्रदत्त छूटें संबंधित माल के लिए प्रभावतः एमएफएन (प्रभावी दर) निर्धारित करती हैं, इसलिए कर छूटों के राजस्व प्रभाव के लिए अधिक उपयुक्त अनुमान मात्र सशर्त छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व ही होगा।

5. **वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए राजस्व प्रभाव मूल्यांकन :** विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के तहत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान आयातकों द्वारा विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) स्थानों पर सीमाशुल्क इलैक्ट्रॉनिक इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) में दायर की गई आगम पत्र (बिल्स ऑफ एंट्री) से किया जाता है। आईसीईएस में दर्ज नहीं किए गए आयातों के मामले में परित्यक्त राजस्व का बाह्यकलन करने के लिए अतिरिक्त प्रक्षेप किया जाता है। वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए कुल आयातों का 96% और वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए कुल आयातों का 95% आईसीईएस के माध्यम से किया गया।

6.1 ऊपर दी गई कार्यपद्धति के आधार पर, वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिए सीमाशुल्क पक्ष पर कर छूटों का राजस्व प्रभाव नीचे दिया गया है:

तालिका I : मूल सीमाशुल्क संबंधी कर छूटों के कारण राजस्व प्रभाव

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	सूत्र	राजस्व प्रभाव (2022-23)	राजस्व प्रभाव (2023-24) (अनुमानित)
क.	ईडीआई डाटा के अनुसार टैरिफ दर के कम विभिन्न दरों पर बीसीडी संग्रहण के कारण	क.1+क.2+क.3	3,81,520	3,55,204
के कारण :-				
क.1	ईडीआई डाटा के अनुसार बिना किसी शर्त/ तकनीकी बीसीडी छूटें	-	2,69,900	2,30,610
क.2	ईडीआई डाटा के अनुसार एफटीए/पीटीए/ सीईसीए/ सीईपीए (तालिका II देखें)	-	78,993	89,205
क.3	सशर्त बीसीडी छूटें- ईडीआई अवस्थान (तालिका III देखें)	-	32,627	35,389
ख.	सशर्त बीसीडी छूटों का परित्यक्त राजस्व (ईडीआई + गैर-ईडीआई अवस्थान)	(क.3)x100/ड#	33,986	37,252
ग.	इनपुट कर निष्प्रभावीकरण योजना के कारण राजस्व प्रभाव (संदर्भ तालिका IV)	-	68,380	96,325
घ.	सकल परित्यक्त सीमाशुल्क (सीमाशुल्क टैरिफ छूटों के कारण)	-	33,986	37,252

स्रोत: डीजी (प्रणा.), सीबीआईसी एवं मुख्य सीसीए

#ड अतिरिक्त बाह्यकलन कारक हैं जो वर्ष 2022-23 के लिए 96 प्रतिशत के समान तथा वर्ष 2023-24 के लिए 95 प्रतिशत के समान है इन्हें आईसीईएस में दर्ज नहीं किए गए आयतों को शामिल करने के लिए बनाया गया है।

6.2 ईडीआई डाटा के अनुसार वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के संबंध में राजस्व प्रभाव का विवरण (ऊपर की तालिका I में क्र.सं. क.2 का संदर्भ लें) नीचे दिया गया है:

तालिका II: एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के संबंध में राजस्व प्रभाव

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए देश/क्षेत्र	राजस्व प्रभाव (2022-23)	राजस्व प्रभाव (2023-24)
1	एसईएन देशों से आयातित विशिष्ट माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	32,609	37,269
2	जापान से आयातित माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	9,504	10,312
3	कोरिया से आयातित विशिष्ट माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	10,462	9,873
4	एलडीसी से आयातित माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	9,994	9,235
5	आस्ट्रेलिया से आयातित विशेष माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण (दिनांक 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी)	1,537	6,416
6	वांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एवं अफगानिस्तान से आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	6,447	6,404
7	यूएई(सीईपीए) से आयातित विशिष्ट माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण (दिनांक 1 सई 2022 से प्रभावी)	713	1,847
8	मलेशिया से आयातित माल के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	962	1,189
9	अन्य	6,765	6,660
कुल		78,993	89,205

स्रोत: डीजी (प्रणा.), सीबीआईसी

6.3 वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव का विवरण (ऊपर तालिका I में क्र.सं. क.3 का संदर्भ लें) नीचे दिया गया है: -

तालिका III: सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव (ईडीआई)

		(रुपए करोड़ में)	
क्र.सं.	शीर्ष	राजस्व प्रभाव (2022-23)	राजस्व प्रभाव (2022-23)
1	मोबाइल फोन के विनिर्माण में उपयुक्त विशिष्ट माल को दी गई छूट के कारण (अधिसूचना सं 57/2017-सीमाशुल्क)	3,467	3,418
2	आईटीए बाउंड माल के विनिर्माण को बीसीडी छूटे के कारण (अधिसूचना सं 24/2005-सीमाशुल्क और 25/2005-सीमाशुल्क)	721	743
3	खनिज ईंधनों/खनिज तेल आदि पर बीसीडी छूटों के कारण (अधिसूचना सं 52/2017-सीमाशुल्क)	591	245
4	सार्वजनिक वित्तपोषण या सरकारी विभाग आदि द्वारा आयातित अनुसंधान उपकरणों को दी गई छूट के कारण (अधिसूचना सं 51/1996-सीमाशुल्क)	212	225
5	अन्य मदों के लिए दी गई छूट और सीमाशुल्क की प्रभावी दरों के कारण (क्र.सं. 1 से 4 तक में उल्लिखित के अलावा)	27,636	30,758
कुल (ईडीआई)		32,627	35,389
कुल (ईडीआई + गैर ईडीआई)*		33,986	37,252

स्रोत: डीजी (प्रणा.), सीबीआईसी

6.4 वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार आयात संवर्धन योजनाओं के कारण राजस्व प्रभाव का विवरण (ऊपर तालिका I में क्र.सं. ग का संदर्भ लें) नीचे दिया गया है: -

तालिका IV: आयात संवर्धन योजनाओं के कारण राजस्व प्रभाव

		(रुपए करोड़ में)	
क्र.सं.	योजना का नाम	राजस्व प्रभाव (2022-23)	राजस्व प्रभाव (2023-24)
1	उन्नत प्राधिकरण योजना	17,531	25,119
2	ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी	7,783	7,443
3	ईपीसीजी	4,198	5,257
4	सीईजेड	37,951	57,345
5	शुल्क रहित आयात प्राधिकरण योजना	917	1,161
कुल		68,380	96,325

स्रोत: डीजी (प्रणा.), सीबीआईसी

@एसईजेड के संबंध में वाणिज्य विभाग से आंकड़े प्राप्त हुए।

राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग
31 मार्च ,2024 के अनुसार

अनुबंध - 8

(₹ करोड़)

विवरण	वास्तविक 2022-2023	संशोधित अनुमान 2023-2024	बजट अनुमान 2024-2025
क निधियों का स्रोत :			
बचत जमा राशि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	1252537.92	1418963.20	1684864.47
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	166425.28	265901.27	232268.06
बचत पत्र			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	333957.61	367600.28	431186.68
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	33642.67	63586.40	48879.40
लोक भविष्य निधि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	834147.64	939449.02	1046793.45
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	105301.38	107344.43	107077.54
कुल जमा राशियां	2726012.50	3162844.60	3551069.60
वर्ष के दौरान निवल संग्रहण	305369.33	436832.10	388225.00
ख निधियों का उपयोग :			
31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष के विरुद्ध विशेष केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	64569.19	64569.19	64569.19
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	-64569.19
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	-	-
1.4.99 से संग्रह के विरुद्ध विशेष केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	1209421.52	1422550.55	1674118.85
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	350808.99	424329.15	372138.00
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-137679.96	-172760.85	-213162.42
1.4.99 से जारी विशेष विशेष राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	390929.97	353833.98	316667.82
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	13675.74	13824.44	15297.68
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-50771.73	-50990.60	-52418.90
विशेष केंद्रीय/राज्य सरकारी प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त राशि का पुनः निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	609929.97	792660.67	1012409.30
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	182730.70	279725.36	388409.61
कम : वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	-59976.73	-62753.00
सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अधिशेष	85570.00	85350.00	85000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	350.00
घटाएं : वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	-570.00	-350.00	...
(क) एमटीएनएल में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अधिशेष	570.00	350.00	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	350.00	...	-
घटाएं : वर्ष के दौरान अदायगियां	-570.00	-350.00	-
(ख) अन्य			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अधिशेष	85000.00	85000.00	85000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	-

घटाएं : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	-	-
कुल निवेश			
संचित संतुलन आय (-)/ व्यय (+) लेखा	14659.83	10079.44	15362.66
नकद शेष	(7611.72)	...	-
घटाएं : वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	-59976.73	-62753.00
जोड़	2726012.50	3162844.60	3551069.60

भाग ख

आस्ति और देयता विवरण

1. भारत सरकार के ऋण की स्थिति

भारत सरकार के बकाया आंतरिक और बाह्य ऋण और अन्य देनदारियों की राशि, 2023-2024 (सं.अ.) के अंत के 168,72,554.17 करोड़ रुपए की तुलना में 2024-25 के अंत में 181,68,456.91 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2025 को
आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	163,35,070.06	175,93,529.40
बाह्य ऋण #	5,37,484.10	5,74,927.51
जोड़	168,72,554.16	181,68,456.91

बाह्य ऋण मूल विनिमय दर पर।

टिप्पणी : केन्द्र सरकार के ऋण/देनदारियों के, जिनमें चालू विनिमय-दर पर बाह्य ऋण, ईबीआर और समायोज्य नकदी शेष सम्मिलित है, 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार क्रमशः ₹172.37 लाख करोड़ और ₹185.27 लाख करोड़ होने का अनुमान है।

आंतरिक ऋण के अंतर्गत खुले बाजार से जुटाए गए ऋण, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं। इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य निवेशकों के नाम जारी की गई राजकोषीय ढुंडियों सहित राजकोषीय ढुंडियों के जरिए उधारियां तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गई अपरक्राम्य, ब्याज सहित रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, और वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2022-23 तक के प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर बकाया सरकारी ऋण तथा 2023-24 और 2024-2025 की समाप्ति पर अनुमानित बकाया सरकारी ऋण का विश्लेषण देनदारी विवरण में दिया गया है। आंतरिक और बाह्य ऋण के अंतर्गत बकाया राशि सरकार की देनदारी को प्रदर्शित करती हैं जैसा कि बकाया ऋण के अंकित मूल्य में दिखाया गया है। बाह्य देनदारियों के बकाया स्टॉक का अंकन मूल विनिमय दरों पर किया जाता है जिस पर देयता का हिसाब चालू विनिमय दरों पर की गई पुनर्दायगी को घटाने के बाद प्रारंभिक तौर पर लेखा बही में लिया गया था।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों, तेल विपणन कम्पनियों, उर्वरक कम्पनियों, भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि की मूल्यहास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों आदि, स्थानीय निधियों की जमा राशि और सिविल जमा राशि की बकाया राशि की पुनर्दायगी के लिए दायी है। ऐसी देनदारियों का ब्यौरा भी देनदारियों के विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2022-2023 के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों की स्थिति, जो एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत परिकल्पित है, गारंटी संबंधी विवरण में दी गयी है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर के विवरण, जो एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत परिकल्पित है, को भी शामिल किया गया है।

परिसम्पत्तियों के विवरण में सरकार द्वारा जुटाई गई उसी धनराशि को दिखाया गया है जो परिसम्पत्ति निर्माण प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई है। इन परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य में भी दिखाया गया है, अर्थात् इसमें चालू बाजार दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य में हास/वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और इसमें वैसी परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार की अनुदान सहायता से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है।

1 (i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
क लोक ऋण	2054.33	8319740.38	10298015.02	11901697.58	13566889.05	15199526.44	16657852.01
1. आंतरिक ऋण	2022.30	8020490.14	9909542.57	11462342.80	13073731.70	14662042.34	16082924.50
(i) बाजार ऋण (अनुबंध 2, 2क, 2ख)	1444.95	5986127.21	7135144.44	8026724.96	9141232.64	10251584.99	11291162.75
(ii) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां (अनुबंध 2 ग)	...	35687.95	33410.99	33359.99	24687.95	16687.95	16687.95
(iii) पीएसबी को जारी विशेष प्रतिभूतियां (अनुबंध 2 ङ)	...	251443.00	263562.00	268162.00	268162.00	268162.01	268162.02
(iv) पुनः पूंजीकृत बांड, अन्य सरकारी नियंत्रित बैंकिंग संस्थाएं (अनुबंध 2ड, 2ढ, 2ण)	...	14904.60	22785.60	22785.60	22785.60	22785.60	22785.60
(v) प्रतिपूर्ति एवं अन्य बांड	6.73	53225.94	72906.22	85643.34	80814.61	67641.39	68625.83
(vi) सांवरन स्वर्ण बांड 2015	...	9652.77	25690.02	38498.21	44646.65	69998.65	84998.65
(vii) स्वर्ण मौद्रिक योजनाएं	...	4406.14	5670.74	7060.43	8129.75	9430.48	10863.48
(viii) 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडिया	...	154910.84	205575.74	216766.00	213983.94	213983.94	213983.94
(ix) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडिया	358.02	82583.38	93296.60	138735.95	114937.64	127808.55	108588.42
(x) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडिया	...	158156.60	139413.74	210666.06	263091.60	284354.40	254109.14
(xi) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडिया	...	217670.00	458240.00	407796.43	445283.50	461149.79	460615.18
(xii) अर्थोपाय अग्रिम	48677.00
(xiii) नकद प्रबंधन हुंडियां	...	80000.00
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	212.60	101908.83	100301.07	101329.47	96624.74	96463.58	90287.53
(xv) लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां	...	848919.20	1332651.73	1883920.68	2279780.41	2751097.34	3171160.34
(xvii) पीओएलआईएफ के तहत शेष के प्रतिभूतिकरण के लिए निर्गमित विशेष (अनुबंध 2घ)	...	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68
2. विदेशी ऋण*	32.03	299250.24	388472.45	439354.78	493157.35	537484.10	574927.51
ख. अन्य देनदारियां#	811.07	1878733.26	1761272.38	1644217.40	1656798.53	1673027.71	1510604.91
1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि	336.87	932963.66	754794.88	536722.52	446232.08	411747.25	379909.25
2 राज्य भविष्य निधियां	95.05	228430.17	246943.77	257260.43	262348.99	267548.99	272548.99
3 अन्य खाते	16.10	412895.84	425585.47	430468.95	410080.26	367390.26	275596.47
(i) सब्सिडियों के बदले विशेष प्रतिभूतियां (ओएमसी, उर्वरक कंपनियां और एफसीआई) (अनुबंध 2ड., 2च, 2छ)	...	162827.90	162827.90	124104.90	110831.04	91365.04	46663.87
(ii) अन्य मदें	16.10	250067.94	262757.57	306364.05	299249.22	276025.22	228932.60
4 आरक्षित निधियां और जमाराशियां	363.05	304443.59	333948.26	419765.50	538137.20	626341.21	582550.20
(i) सब्याज	260.85	160861.89	215479.55	248846.45	263790.47	306286.31	311539.97
(ii) निर्व्याज	102.20	143581.70	118468.71	170919.05	274346.73	320054.90	271010.23
जोड़-देनदारियां	2865.40	10198473.64	12059287.40	13545914.98	15223687.58	16872554.15	18168456.91
विभाजन-पूर्व ऋण में पाकिस्तान द्वारा देय रकम का हिस्सा (लगभग)	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
केन्द्रीय सरकार की निवल देनदारियां	2565.40	10198173.64	12058987.40	13545614.98	15223387.58	16872254.15	18168156.91
देनदारियों की अपेक्षा पूंजी परिव्यय और ऋणों का आधिक्य							
जोड़ (निवल)	2565.40	10198173.64	12058987.40	13545614.98	15223387.58	16872254.15	18168156.91

* शेष राशि अंकित मूल्य के अनुसार है।

**1 (ii) परिसम्पत्तियों का विवरण
(केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश और ऋण)**

(₹ करोड़ में)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
क. पूंजी परिव्यय							
1. सामान्य सेवाएं	496.74	1360383.43	1503332.81	1657397.50	1818937.51	2000518.37	2196865.57
(i) रक्षा सेवाएं	260.93	1208236.16	1342541.08	1480539.49	1623468.06	1780696.26	1952696.26
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	235.81	152147.27	160791.73	176858.01	195469.45	219822.11	244169.31
2. सामाजिक सेवाएं	26.25	82931.73	90542.73	100276.73	112952.91	122389.02	132133.72
3. आर्थिक सेवाएं	965.02	1844559.53	2036368.68	2376822.83	2826768.38	3451891.90	4128122.45
(i) कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	7.78	26480.25	28829.39	37529.66	40967.95	41236.15	41507.43
(ii) ग्रामीण विकास	...	95.77	116.56	149.46	212.41	212.41	233.45
(iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	...	6139.43	7134.87	9364.44	11491.83	36867.50	62544.64
(iv) जल और विद्युत विकास	5.59	67254.77	70370.04	74241.79	76486.36	83806.99	88715.58
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5.59	1661.08	1801.62	1974.01	2129.76	2400.61	2742.43
(ख) ऊर्जा	...	65593.69	68568.42	72267.78	74356.60	81406.38	85973.15
(v) उद्योग और खनिज	34.34	94404.67	99202.10	105562.78	111922.44	118864.98	124492.52
(vi) परिवहन	830.40	906119.54	1028853.95	1293236.50	1664486.42	2157457.88	2669107.66
(क) रेलवे	817.93	429780.79	522589.51	622815.26	782063.38	1022031.79	1273924.87
(ख) अन्य परिवहन सेवाएं	12.47	476338.75	506264.44	670421.24	882423.04	1135426.09	1395182.79
(vii) संचार	49.98	35536.41	40464.95	44407.07	100025.67	170447.76	254839.47
(क) डाक सेवाएं	49.98	5422.24	6099.66	6785.21	7861.89	9059.72	9973.17
(ख) दूरसंचार सेवाएं	...	4719.38	4719.38	4719.38	4719.38	4719.38	4719.38
(ग) अन्य संचार सेवाएं	...	25394.79	29645.91	32902.48	87444.40	156668.66	240146.92
(viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	...	58527.83	64558.90	74555.84	82349.30	89726.97	97154.89
(ix) सामान्य आर्थिक सेवाएं	36.93	650000.86	696837.92	737775.29	738826.00	753271.26	789526.81
संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरण	4148.83	9521.82
कुल जोड़	1488.01	3287874.69	3630244.22	4134497.06	4758658.80	5578948.12	6466643.56
(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण							
राज्य सरकारें	195.58	176514.13	199046.78	207691.71	297186.38	424135.69	603674.25
जीएसटी के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को एक के बाद एक ऋण	...	0.00	110208.00	269208.00	269208.00	191104.00	67500.00
संघ राज्य सरकारें	...	4300.04	4256.33	15313.29	15171.72	15129.79	15270.21
विदेशी सरकारें	0.01	14227.78	14456.20	14461.81	15295.43	16620.00	17354.51
राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अधीन राज्यों के विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	440437.97	415506.35	390929.97	353833.97	316667.81	279546.59
अन्य लिखतों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि का निवेश	...	366546.00	125636.00	85570.00	85350.00	85000.00	85000.00
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को हानियां	...	109461.53	78524.46	40724.84	14659.82	10079.43	15362.65
फण्ड मैनेजर सहित डाकघर बीमा कोष और हाथ-नकद	...	82963.24	92177.86	105362.82	116808.50	106669.47	95516.53
सरकारी क्षेत्र के उद्यम, रेलवे विकास और राजस्व प्रारक्षित निधि, प्रारक्षित निधि, पत्तन न्यास, नगरपालिकाएं तथा सांविधिक निकाय, सहकारी और शैक्षणिक संस्थाएं, विस्थापित व्यक्तियों और निजी संस्थाओं आदि	24.58	143246.57	230201.22	256720.36	272270.99	280652.81	286071.02
सरकारी कर्मचारियों	0.51	182.83	224.64	298.12	346.37	421.37	496.37
जोड़	220.68	1337880.09	1270237.84	1386280.92	1440131.19	1446480.38	1465792.14
जोड़ पूंजी परिव्यय तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण	1708.69	4625754.78	4900482.06	5520777.98	6198789.99	7025428.50	7932435.70
एमएसएस के तहत नकद शेष
कुल जोड़	1708.69	4625754.78	4900482.06	5520777.98	6198789.99	7025428.50	7932435.70
पूंजीगत परिव्यय और ऋण अग्रिम की तुलना में देयताओं की अधिकता	856.71	5572418.86	7158505.34	8024837.00	9024597.59	9846825.65	10235721.21
जोड़	2565.40	10198173.64	12058987.40	13545614.98	15223387.58	16872254.15	18168156.91

1 (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियाँ
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2022-23 के अंत की स्थिति के अनुसार)
 ₹ करोड़ में

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीयुक्त अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियाँ (वर्ष के दौरान आवेदित राशि को छोड़कर)	वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण		
										वर्ष के अंत में बकाया	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					बुकाई गई	नहीं बुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त		
1.	भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की अदायगी और ब्याज का भुगतान: नाकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और/अथवा कंपनियों, निगमों, साइकलरी समितियों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियाँ।	40500.00 (2)	40500.00 (2)	40500.00 (2)
	2 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग *	48319.50 (74)	46744.65 (74)	1574.85	35152.10 (62)	13167.40 (12)	83.41	77.06	...
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग **	0.01 (1)	0.01 (1)	0.01 (1)
	राजस्व विभाग	9495.00 (1)	9495.00 (1)	...	3495.00	6000.00 (1)
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	1346.15 (1)	597.31 (1)	748.84	1346.15 (1)	5.97	5.97	...
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	1195.83 (4)	1180.11 (4)	15.72	1195.83 (4)	97.53
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय भेषज विभाग \$	100856.49 (83)	98517.08 (83)	2339.41	38647.10 (62)	62209.39 (21)	186.91	83.03	...
	जोड़
2.	शेयर पूंजी की अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभार्थ के भुगतान और सांविधिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी अथवा जुटाए गए बांडों अथवा ऋणों, ऋण पत्रों की अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियाँ।	3034.50 (1)	7000.00 (2)	3034.50 (1)	3034.50 (1)	1.47	1.49	...
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग	7000.00 (2)	7000.00 (2)	7000.00 (2)	70.00	140.00	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	37000.00 (5)	37000.00 (5)	...	300.00 (1)	36700.00 (4)	...	0.00	...
	संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग *	37608.67 (12)	22513.97 (10)	15094.70 (2)	1005.00 (1)	36603.67 (11)	221.19	211.50	...
	जोड़	84643.17 (19)	66513.97 (17)	18129.20 (3)	1305.00 (2)	83338.17 (18)	299.69	352.99	...

1 (iv) आस्तियां रजिस्टर
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) नियमावली, 2004 के नियम 6 के अधीन

(रिपोर्टिंग वर्ष 2022-23, के अंत तक की स्थिति के अनुसार)
लागत (₹ करोड़ में)

	2022-23 के आरंभ में आस्तियाँ	वर्ष 2022-23 के दौरान अधिग्रहीत आस्तियाँ	वर्ष 2022-23 के अंत में आस्तियाँ का संचित योग
वास्तविक आस्तियाँ:			
भूमि	398397.68	-12775.50	385622.18
भवन			
कार्यालय	41801.65	2731.20	44532.85
रिहायशी	20286.24	594.66	20880.90
सड़कें	266807.12	31812.21	298619.33
पुल	12103.52	478.20	12581.72
सिंचाई परियोजनाएं	1349.16	2.33	1351.49
विद्युत परियोजनाएं	844.05	-210.02	634.03
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	4123.49	63.87	4187.36
मशीनरी और उपस्कर	34761.55	6823.05	41584.60
कार्यालय उपस्कर	3861.44	1279.80	5141.24
वाहन	2467.08	441.25	2908.33
जोड़	786802.98	31241.05	818044.03
वित्तीय आस्तियाँ			
इक्विटी निवेश			
शेयर	625457.84	-2639.98	622817.86
बोनस शेयर	365.83	861.53	1227.36
ऋण और अग्रिम			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण	5130.63	-10.79	5119.84
विदेशी सरकारों को ऋण	15855.27	673.15	16528.42
कम्पनियों को ऋण	66333.25	-933.43	65399.82
अन्य को ऋण	121311.61	14113.87	135425.48
अन्य वित्तीय निवेश			
रेलवे	622262.79	159248.15	781510.94
अन्य	186287.79	80.85	186368.64
जोड़	1643005.01	171393.35	1814398.36
कुल जोड़	2429807.99	202634.40	2632442.39

टिप्पणियां:

- ₹ 2 लाख के न्यूनतम मूल्य से ऊपर की आस्तियों को ही दर्ज किया गया है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के अनुसार इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग की आस्तियाँ शामिल नहीं हैं।
- संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित ये आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ आस्तियों के मूल्यांकन और आंकड़े संगृहीत करने में सुधारों से संबंधित किसी चालू मिलान/परिसमापन/न्याय निर्णयन/प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समापन शेष (₹ 21,42,050.67 करोड़) और वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष (₹ 24,21,901.07 करोड़) के बीच अंतर मुख्यतया सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय के कारण है, जिन्होंने कुल आस्तियों का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया चलाई (अंतर ₹ 2,54,318.44 करोड़ है), सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय के पूंजीगत परिव्यय का मुख्य आबंटन सड़क अवसंरचना के निर्माण के लिए है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने सूचित किया है कि वर्ष के दौरान मुख्यतः चैन्नई क्षेत्र में सॉल्ट लैंड के दिशानिर्देश मूल्य में संशोधन के कारण भूमि के मूल्य में ₹ 24,370.79 करोड़ रूपए की वृद्धि हो गई है। भेषज विभाग (₹ 1,422.811 करोड़), उर्वरक विभाग (₹ 301.24 करोड़), कृषि और किसान कल्याण विभाग (₹ 290 करोड़) इत्यादि नामक कुछ मंत्रालयों/विभागों ने गलत रिपोर्टिंग/मिलान के कारण सुधार किए हैं।

2 - केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित 2023-2024	बजट 2024-2025
		1950-1951	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023		
बाजार ऋण								
3.00% ऋण, 1951-54	15.09.1951	86.73
3.00% ऋण, 1953-55	15.07.1953	114.60
2.25% ऋण, 1954	15.11.1954	35.06
3.50% ऋण, 1954-59	15.12.1954	12.87
4.50% ऋण, 1955-60	15.09.1955	9.06
2.50% ऋण, 1955	01.10.1955	60.45
3.00% विक्टरी ऋण, 1957	01.09.1957	114.07
4.50% ऋण, 1958-68	01.06.1958	5.85
3.00% द्वितीय विक्टरी ऋण, 1959-61	15.08.1959	113.66
2.75% ऋण, 1960	15.07.1960	45.63
4.00% ऋण, 1960-70	15.09.1960	63.30
2.50% ऋण, 1961	01.08.1961	57.01
2.75% ऋण, 1962	15.11.1962	75.87
3.00% ऋण, 1963-65.	01.06.1963	116.17
3.00% ऋण, 1964	15.06.1964	30.33
3.00% वित्तपोषण ऋण, 1966-68	01.10.1966	110.12
3.00% प्रथम विकास ऋण, 1970-75	15.10.1970	115.06
2.75% ऋण, 1976	16.09.1976	14.77
6.65% सरकारी स्टॉक, 2020	09.04.2020	...	29608.43
10.70% सरकारी स्टॉक, 2020	22.04.2020	...	6000.00
7.80% सरकारी स्टॉक, 2020	03.05.2020	...	49962.43
8.27% सरकारी स्टॉक, 2020	09.06.2020	...	52867.57
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2020	21.12.2020	...	13000.00
8.12% सरकारी स्टॉक, 2020	10.12.2020	...	49493.16
11.60% सरकारी स्टॉक, 2020	27.12.2020	...	5000.00
7.00% सरकारी स्टॉक, 2021	21.01.2021	...	29145.06
7.80% सरकारी स्टॉक, 2021	11.04.2021	...	67047.66	53272.44
7.94% सरकारी स्टॉक, 2021	24.05.2021	...	48555.00	38700.55
10.25% सरकारी स्टॉक, 2021	30.05.2021	...	26213.32	13213.32
6.17% सरकारी स्टॉक, 2021	15.07.2021	...	41206.57	34069.94
8.79% सरकारी स्टॉक, 2021	08.11.2021	...	82330.46	75300.45
8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	51984.54	48089.54
5.09% सरकारी स्टॉक, 2022	13.04.2022	59054.88	27354.88
8.35% सरकारी स्टॉक, 2022	14.05.2022	...	77000.00	51095.00	47965.83
8.15% सरकारी स्टॉक, 2022	11.06.2022	...	79000.00	73786.12	59669.12
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	66000.00	61019.71	35727.94
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	68000.00	61311.49	42506.49
3.96% सरकारी स्टॉक, 2022	09.11.2022	19545.05	28410.11
6.84% सरकारी स्टॉक, 2022	19.12.2022	...	99000.00	88347.51	56967.76
6.30% सरकारी स्टॉक, 2023	09.04.2023	...	13000.00	12710.00	12710.00	12710.00
7.37% सरकारी स्टॉक, 2023	16.04.2023	...	39987.81	35782.81	35642.81	27848.81
4.26% सरकारी स्टॉक, 2023	17.05.2023	38887.27	38887.27
7.16% सरकारी स्टॉक, 2023	20.05.2023	...	77100.00	77100.00	74275.00	66165.00
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	6000.00	4000.00	4000.00	4000.00
4.48% सरकारी स्टॉक, 2023	02.11.2023	55925.29	55925.29	53925.29
8.83% सरकारी स्टॉक, 2023	25.11.2023	...	83000.00	68642.22	63142.22	56572.72
4.56% सरकारी स्टॉक, 2023	29.11.2023	12500.00	32500.00
7.68% सरकारी स्टॉक, 2023	15.12.2023	...	88132.01	88132.01	87089.01	78834.23
7.32% सरकारी स्टॉक, 2024	28.01.2024	...	87000.00	72710.38	66060.38	59532.89
7.35% सरकारी स्टॉक, 2024	22.06.2024	...	52448.33	52448.33	52448.33	52448.33	51838.33	...
6.69% सरकारी स्टॉक, 2024	27.06.2024	56000.00	56000.00	...
8.40% सरकारी स्टॉक, 2024	28.07.2024	...	79533.53	79533.53	79533.53	70959.70	65264.70	...
6.18% सरकारी स्टॉक, 2024	04.11.2024	...	48552.51	102090.28	102090.28	79480.28	79480.28	...

(₹ करोड़ में)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति						संशोधित	बजट
		1950-1951	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024		
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2024	07.11.2024	...	116965.03	116965.03	89635.03	60635.03	18826.39	...	
9.15% सरकारी स्टॉक, 2024	14.11.2024	...	84062.54	84062.54	84062.54	78012.54	78012.54	...	
6.89% सरकारी स्टॉक, 2025	16.01.2025	12000.00	12000.00	...	
7.72% सरकारी स्टॉक, 2025	25.05.2025	...	90031.81	90031.81	90031.81	90031.81	76834.71	76834.71	
5.22% सरकारी स्टॉक, 2025	15.06.2025	118000.00	118000.00	118000.00	118000.00	115700.00	
8.20% सरकारी स्टॉक, 2025	24.09.2025	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	80775.00	71424.74	
5.15% सरकारी स्टॉक, 2025	09.11.2025	116465.24	116465.24	116465.24	116465.24	116465.24	
7.59% सरकारी स्टॉक, 2026	11.01.2026	...	119000.00	119000.00	119000.00	119000.00	116892.33	110297.33	
7.27% सरकारी स्टॉक, 2026	08.04.2026	...	55000.00	60248.95	60248.95	60248.95	60248.95	58248.95	
5.63% सरकारी स्टॉक, 2026	12.04.2026	149503.14	149503.14	149453.14	147453.14	
6.99% सरकारी स्टॉक, 2026	17.04.2026	56000.00	53299.04	
8.33% सरकारी स्टॉक, 2026	09.07.2026	...	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	85920.00	82770.00	
6.97% सरकारी स्टॉक, 2026	06.09.2026	...	89743.39	89743.39	89743.39	89743.39	89743.39	89743.39	
10.18% सरकारी स्टॉक, 2026	11.09.2026	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	
7.33% सरकारी स्टॉक, 2026	30.10.2026	24000.00	52000.00	
5.74% सरकारी स्टॉक, 2026	15.11.2026	36000.00	81000.00	68439.69	63765.59	
8.15% सरकारी स्टॉक, 2026	24.11.2026	...	82963.85	82963.85	82963.85	82963.85	81963.85	79153.63	
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	107000.00	107000.00	107000.00	107000.00	104032.79	100439.50	
6.79% सरकारी स्टॉक, 2027	15.05.2027	...	121000.00	121000.00	121000.00	121000.00	121000.00	119500.00	
7.02% सरकारी स्टॉक, 2027	27.05.2027	12000.00	
7.38% सरकारी स्टॉक, 2027	20.06.2027	142000.00	142000.00	130000.00	
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	96299.29	96299.29	96299.29	96299.28	96299.29	91954.96	
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	88748.48	88748.48	90614.19	90614.19	90614.19	90614.19	
7.17% सरकारी स्टॉक, 2028	08.01.2028	...	113148.45	113148.45	115583.73	115583.73	115583.73	113632.93	
7.10% एसजीआर बांड, 2028	27.01.2028	8000.00	8000.00	8000.00	
6.01% सरकारी स्टॉक, 2028	25.03.2028	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	
7.06% सरकारी स्टॉक, 2028	10.04.2028	111000.00	111000.00	
8.60% सरकारी स्टॉक, 2028	02.06.2028	...	84000.00	84000.00	106230.30	106230.30	106230.30	106230.30	
6.13% सरकारी स्टॉक, 2028	04.06.2028	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2028	04.10.2028	28816.46	52816.46	52816.46	52816.46	
7.37% सरकारी स्टॉक, 2028	23.10.2028	49000.00	75000.00	
7.25% भारत सरकार एसजीआर बांड, 2028	14.01.2029	5000.00	5000.00	
7.26% सरकारी स्टॉक, 2029	14.01.2029	...	118830.80	118830.80	130708.88	130708.88	130708.88	130708.88	
7.59% सरकारी स्टॉक, 2029	20.03.2029	...	96236.79	96236.79	124321.03	132853.74	132853.74	132853.74	
7.10% सरकारी स्टॉक, 2029	18.04.2029	158598.21	158598.21	158598.21	
7.04% सरकारी स्टॉक, 2029	03.06.2029	24000.00	
6.45% सरकारी स्टॉक, 2029	07.10.2029	...	95840.16	114840.16	114840.16	114840.16	114840.16	114840.16	
6.79% सरकारी स्टॉक, 2029	26.12.2029	...	118801.13	118801.13	118801.12	119829.67	119829.66	119829.66	
7.88% सरकारी स्टॉक, 2029	19.03.2029	...	89000.00	89000.00	117289.11	128713.55	128713.55	128713.55	
7.17% सरकारी स्टॉक, 2030	17.04.2030	103000.00	103000.00	
7.61% सरकारी स्टॉक, 2030	09.05.2030	...	100989.44	100989.44	100989.44	100989.44	100989.44	100989.44	
5.79% सरकारी स्टॉक, 2030	11.05.2030	111618.58	111618.59	111618.59	111618.59	111618.59	
5.77% सरकारी स्टॉक, 2030	03.08.2030	123000.00	123000.00	123000.00	123000.00	123000.00	
9.20% सरकारी स्टॉक, 2030	30.09.2030	...	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55	63725.43	65560.49	
7.32% सरकारी स्टॉक, 2030	13.11.2030	36000.00	70000.00	
5.85% सरकारी स्टॉक, 2030	01.12.2030	74405.32	119270.51	119270.51	120831.69	120831.69	
8.97% सरकारी स्टॉक, 2030	05.12.2030	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	93709.82	93709.82	
7.02% सरकारी स्टॉक, 2031	18.06.2031	11000.00	
6.10% सरकारी स्टॉक, 2031	12.07.2031	148000.00	148085.84	148085.84	152365.96	
6.68% सरकारी स्टॉक, 2031	17.09.2031	...	93251.70	105397.51	105397.51	108956.93	113082.98	115659.89	
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2031	07.12.2031	...	106000.00	120000.00	139915.72	139915.72	139915.72	139915.72	
6.54% सरकारी स्टॉक, 2032	17.01.2032	39000.00	156000.00	156000.00	156000.00	
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	88000.00	88000.00	88000.00	109025.91	121106.29	123858.05	
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	102356.15	102356.15	
7.26% सरकारी स्टॉक, 2032	22.08.2032	148000.00	148000.00	148000.00	
7.95% सरकारी स्टॉक, 2032	28.08.2032	...	121000.00	121000.00	121000.00	140505.55	142914.47	142914.47	
7.29% भारत सरकार एसजीआर बांड, 2033	27.01.2033	8000.00	8000.00	8000.00	
7.26% सरकारी स्टॉक, 2033	06.02.2033	24000.00	150000.00	150000.00	

(₹ करोड़ में)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति						संशोधित	बजट
		1950-1951	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024		
7.57% सरकारी स्टॉक, 2033	17.06.2033	...	94790.60	120790.60	120790.58	133292.47	133636.03	134443.95	
7.18% सरकारी स्टॉक, 2033	14.08.2033	169000.00	201000.00	
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2033	22.09.2033	94581.16	149481.97	149481.97	149481.97	149481.97	
8.24% सरकारी स्टॉक, 2033	10.11.2033	...	99275.00	99275.00	99275.00	99579.03	101474.61	105189.31	
6.57% सरकारी स्टॉक, 2033	05.12.2033	...	66655.89	95960.48	95960.48	95960.48	95960.48	95960.48	
7.24% भारत सरकार एसजीआर बांड 2033	11.12.2033	5000.00	5000.00	
7.10% सरकारी स्टॉक, 2034	08.04.2034	100000.00	
7.50% सरकारी स्टॉक, 2034	10.08.2034	...	99101.13	99101.13	99101.13	101254.67	104484.03	106941.83	
6.19% सरकारी स्टॉक, 2034	16.09.2034	127000.00	127000.00	127000.00	128749.14	128749.14	
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2034	30.10.2034	42800.05	54800.05	54800.05	54800.05	
7.73% सरकारी स्टॉक, 2034	19.12.2034	...	100000.00	100000.00	100000.00	104000.91	108785.08	110706.54	
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2035	25.01.2035	...	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	
6.22% सरकारी स्टॉक, 2035	16.03.2035	112654.57	112654.57	112654.55	113756.23	113756.23	
6.64% सरकारी स्टॉक, 2035	16.06.2035	145353.98	145353.99	146431.30	146431.30	
7.40% सरकारी स्टॉक, 2035	09.09.2035	...	99245.00	99245.00	99245.00	99245.00	119221.54	125838.98	
6.67% सरकारी स्टॉक, 2035	15.12.2035	121421.11	153549.69	153549.70	155151.87	
7.54% सरकारी स्टॉक, 2036	23.05.2036	149000.00	149009.45	149009.45	
8.33% सरकारी स्टॉक, 2036	07.06.2036	...	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86641.07	89123.94	
7.41% सरकारी स्टॉक, 2036	19.12.2036	66000.00	150000.00	155079.64	
7.18% सरकारी स्टॉक, 2037	24.07.2037	142000.00	172000.00	
6.83% सरकारी स्टॉक, 2039	19.01.2039	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	17606.63	
7.23% सरकारी स्टॉक, 2039	15.04.2039	56000.00	
7.62% सरकारी स्टॉक, 2039	15.09.2039	...	38150.91	38150.91	38150.91	38150.90	38150.90	38150.90	
8.30% सरकारी स्टॉक, 2040	02.07.2040	...	90000.00	90000.00	90000.00	92941.19	93015.68	93015.68	
8.83% सरकारी स्टॉक, 2041	12.12.2041	...	90000.00	90000.00	90000.00	91771.39	91771.39	91771.39	
8.30% सरकारी स्टॉक, 2042	31.12.2042	...	104529.44	104529.44	104529.44	105699.94	105699.94	105699.94	
7.69% सरकारी स्टॉक, 2043	17.06.2043	...	37000.00	37000.00	37000.00	37000.00	38364.13	38920.29	
9.23% सरकारी स्टॉक, 2043	23.12.2043	...	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.29	
8.17% सरकारी स्टॉक, 2044	01.12.2044	...	97000.00	97000.00	97000.00	97000.00	97772.51	98958.74	
8.13% सरकारी स्टॉक, 2045	22.06.2045	...	98000.00	98000.00	98000.00	98000.00	98000.00	98000.00	
7.06% सरकारी स्टॉक, 2046	10.10.2046	...	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	101592.30	105500.13	
7.72% सरकारी स्टॉक, 2049	15.06.2049	...	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84540.30	84540.30	
7.16% सरकारी स्टॉक, 2050	20.09.2050	99798.36	99798.36	99798.36	99798.36	102695.81	
6.67% सरकारी स्टॉक, 2050	17.12.2050	43664.07	149162.33	149162.33	149162.33	149162.33	
6.62% सरकारी स्टॉक, 2051	28.11.2051	...	55000.00	55000.00	55000.00	55000.00	57122.87	58315.17	
6.99% सरकारी स्टॉक, 2051	15.12.2051	50525.00	146525.00	146835.36	148358.61	
7.36% सरकारी स्टॉक, 2052	12.09.2052	106000.00	161000.00	161966.57	
7.30% सरकारी स्टॉक, 2053	19.06.2053	148000.00	195000.00	
7.37% भारत सरकार एसजीआर बांड, 2054	23.01.2054	10000.00	
7.72% सरकारी स्टॉक, 2055	26.10.2055	...	100000.00	100000.00	100000.00	100969.24	100969.24	100969.24	
7.63% सरकारी स्टॉक, 2059	17.06.2059	...	83461.95	83461.95	83461.95	83461.95	83461.95	83461.95	
7.19% सरकारी स्टॉक, 2060	15.09.2060	98381.04	98381.04	98381.04	98381.04	98381.04	
6.80% सरकारी स्टॉक, 2060	15.12.2060	101176.43	101176.43	101176.43	104139.00	105856.19	
6.76% सरकारी स्टॉक, 2061	22.02.2061	12859.10	146999.93	147578.39	148753.89	149021.97	
6.95% सरकारी स्टॉक, 2061	16.12.2061	48000.00	148236.34	149559.87	153137.95	
7.40% सरकारी स्टॉक, 2062	19.09.2062	108549.03	156549.03	156549.03	
7.25% सरकारी स्टॉक, 2063	12.06.2063	192000.00	240000.00	
7.34% सरकारी स्टॉक, 2064	22.04.2064	68000.00	
7.46% सरकारी स्टॉक, 2073	06.11.2073	20000.00	64000.00	
3.00% ऋण, 1896-97		8.93	
3.00% परिवर्तन ऋण, 1946		248.92	
परिपक्व ऋण परन्तु वर्ष के अंत तक धारक द्वारा नहीं लिया गया		6.49	18.98	18.18	16.32	15.58	
अन्वेषण/सामंजस्य/ लेखांकन के अंतर्गत भिन्नता			-0.07	3.33	-356.92	-356.92	
ओ/एस परिपक्वता प्रतिभूति आदि के लिए प्रावधान								...	
2023-24 के शेष भाग में उधार		170000.00	...	

(₹ करोड़ में)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति						संशोधित	बजट
		1950-1951	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024		
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	1162.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	805.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	1313.00	-	-	-	-	-	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	912.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00	1466.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	
7.40 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	31.01.2033	-	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	
7.40 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	21.02.2033	-	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	
ब्याज भिन्न वाले (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	24.02.2033	-	-	-	766.00	766.00	766.00	766.00	
6.23 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	20.03.2033	-	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	
7.40 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	28.03.2033	-	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	
ब्याज भिन्न वाले (अहस्ता.)विशेष जीएस 2036	31.03.2033	-	-	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00	
8.11 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	23.07.2033	-	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00	
8.11 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	19.09.2033	-	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	
8.11 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	27.09.2033	-	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	905.00	
6.65 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	27.09.2033	-	5481.00	5481.00	5481.00	5481.00	5481.00	5481.00	
6.65 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	27.09.2033	-	3807.00	3807.00	3807.00	3807.00	3807.00	3807.00	
8.11 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	22.10.2033	-	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00	
8.11 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	12.11.2033	-	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	
ब्याज भिन्न वाले (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	14.12.2033	-	-	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	
7.45 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	31.12.2033	-	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00	
6.60 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2034	03.01.2034	-	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00	
7.45 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2034	31.01.2034	-	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	
7.45 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2034	21.02.2034	-	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00	
ब्याज भिन्न वाले (अहस्ता.)विशेष जीएस 2034	24.02.2034	-	-	-	766.00	766.00	766.00	766.00	
6.23 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2034	20.03.2034	-	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	
7.45 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2034	28.03.2034	-	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	
ब्याज भिन्न वाले (अहस्ता.)विशेष जीएस 2036	31.03.2034	-	-	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00	
6.70 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2034	27.09.2034	-	5481.00	5481.00	5481.00	5481.00	5481.00	5481.00	
6.70 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2034	27.09.2034	-	3807.00	3807.00	3807.00	3807.00	3807.00	3807.00	
ब्याज भिन्न वाले (अहस्ता.)विशेष जीएस 2034	14.12.2034	-	-	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	
6.65 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2035	03.01.2035	-	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00	1475.00	
6.28 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2035	20.03.2035	-	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	
ब्याज भिन्न वाले (अहस्ता.)विशेष जीएस 2036	31.03.2035	-	-	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00	
ब्याज भिन्न वाले (अहस्ता.)विशेष जीएस 2035	14.12.2035	-	-	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	
ब्याज भिन्न वाले (अहस्ता.)विशेष जीएस 2035	24.02.2035	-	-	-	766.00	766.00	766.00	766.00	
ब्याज भिन्न वाले (अहस्ता.)विशेष जीएस 2036	24.02.2036	-	-	-	766.00	766.00	766.00	766.00	
ब्याज भिन्न वाले (अहस्ता.)विशेष जीएस 2036	31.03.2036	-	-	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00	2416.00	
ब्याज भिन्न वाले (अहस्ता.)विशेष जीएस 2037	24.02.2037	-	-	-	766.00	766.00	766.00	766.00	
2023-24 में प्रावधान		-	-	-	-	-	-	0.01	
जोड़		...	251443.00	263562.00	268162.00	268162.00	268162.00	268162.01	

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित	बजट
		1950-1951	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023		

**अन्य सरकार द्वारा नियंत्रित बैंकिंग संस्था के लिए पुनः पूंजीकरण बांड
2ठ - एक्जिम बैंक को पुनःपूंजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां**

7.30 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2029	22.03.2029	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.45 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2029	15.11.2029	-	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2030	22.03.2030	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.50 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2030	15.11.2030	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2028	22.03.2031	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.50 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2031	15.11.2031	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2028	22.03.2032	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2032	15.11.2032	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2028	22.03.2033	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	15.11.2033	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2028	22.03.2034	-	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2034	15.11.2034	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
जोड़		...	5050.00	5050.00	5050.00	5050.00	5050.00	5050.00

2ड - आईडीबीआई बैंक लि. को पुनःपूंजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां

7.35 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2028	29.01.2028	-	-	1316.00	1316.00	1316.00	1316.00	1316.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2029	29.01.2029	-	-	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00
6.64 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2029	23.09.2029	-	762.00	762.00	762.00	762.00	762.00	762.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2030	29.01.2030	-	-	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00
6.69 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2030	23.09.2030	-	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2031	29.01.2031	-	-	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00
6.69 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2031	23.09.2031	-	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2032	29.01.2032	-	-	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00
6.74 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2032	23.09.2032	-	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	29.01.2033	-	-	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00	1313.00
6.74 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	23.09.2033	-	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00
6.74 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2034	23.09.2034	-	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00	759.00
जोड़		...	4557.00	12438.00	12438.00	12438.00	12438.00	12438.00

2द - आईआईएफसीएल को पुनःपूंजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां

6.29 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2030	30.03.2030	...	887.60	887.60	887.60	887.60	887.60	887.60
6.34 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2031	30.03.2031	-	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00
6.34 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2032	30.03.2032	-	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00
6.39 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2033	30.03.2033	-	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00
6.39 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2034	30.03.2034	-	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00
6.44 (अहस्ता.)विशेष जीएस 2035	30.03.2035	-	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00
जोड़		...	5297.60	5297.60	5297.60	5297.60	5297.60	5297.60

**2ण - जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान राज्य सरकारों/
संघ राज्य सरकारों को बैंक-टू-बैंक ऋण प्रदान करने के लिए उधार**

5.22% सरकारी स्टॉक 2025	15.06.2025	6000.00
4.48% सरकारी स्टॉक 2023	02.11.2023	55104.00
5.15% सरकारी स्टॉक 2025	09.11.2025	49104.00
5.63% सरकारी स्टॉक 2026	12.04.2026	136000.00
4.26% सरकारी स्टॉक 2023	17.05.2023	23000.00
जोड़		110208.00	159000.00

2 - त - जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की कमी को पूरा करने के दौरान राज्य सरकारों/
संघ राज्य सरकारों को बैंक-टू-बैंक ऋण प्रदान करने के लिए उधार

राज्य का नाम	जारी ऋण	3 वर्षीय ऋण	5 वर्षीय ऋण	जारी ऋण	2 वर्षीय ऋण	5 वर्षीय ऋण	2020-21 एवं 2021-22 में जारी कुल ऋण
आन्ध्र प्रदेश	2311.00	1155.50	1155.50	3272.19	473.32	2798.87	5583.19
अरुणाचल प्रदेश
असम	994.00	497.00	497.00	1773.87	256.62	1517.25	2767.87
बिहार	3905.00	1952.50	1952.50	6815.63	985.99	5829.64	10720.63
छत्तीसगढ़	3109.00	1554.50	1554.50	4965.15	718.23	4246.92	8074.15
गोवा	840.00	420.00	420.00	846.91	122.53	724.38	1686.91
गुजरात	9222.00	4611.00	4611.00	13040.21	1886.34	11153.87	22262.21
हरियाणा	4352.00	2176.00	2176.00	7393.79	1069.60	6324.19	11745.79
हिमाचल प्रदेश	1717.00	858.50	858.50	2695.22	389.86	2305.36	4412.22
झारखंड	1689.00	844.50	844.50	2484.41	359.33	2125.08	4173.41
कर्नाटक	12407.00	6203.50	6203.50	18108.91	2619.59	15489.32	30515.91
केरल	5766.00	2883.00	2883.00	8739.31	1264.16	7475.15	14505.31
मध्य प्रदेश	4542.00	2271.00	2271.00	7011.17	1014.19	5996.98	11553.17
महाराष्ट्र	11977.00	5988.50	5988.50	13782.36	1993.67	11788.69	25759.36
मणिपुर
मेघालय	112.00	56.00	56.00	141.16	20.39	120.77	253.16
मिजोरम
नागालैंड
ओडिशा	3822.00	1911.00	1911.00	6430.20	930.15	5500.05	10252.20
पंजाब	8359.00	4179.50	4179.50	12132.41	1754.98	10377.43	20491.41
राजस्थान	4604.00	2302.00	2302.00	7268.29	1051.38	6216.91	11872.29
सिक्किम
तमिलनाडु	6241.00	3120.50	3120.50	8095.25	1171.01	6924.24	14336.25
तेलंगाना	2380.00	1190.00	1190.00	4569.49	660.94	3908.55	6949.49
त्रिपुरा	226.00	113.00	113.00	401.37	58.00	343.37	627.37
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	5865.00	2932.50	2932.50	6192.67	895.87	5296.80	12057.67
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर	2272.00	1136.00	1136.00	3845.49	556.21	3289.28	6117.49
संघ राज्य क्षेत्र पुद्दुचेरी	742.00	371.00	371.00	1096.29	158.55	937.74	1838.29
उत्तर प्रदेश	6007.00	3003.50	3003.50	8139.94	1177.52	6962.42	14146.94
उत्तराखण्ड	2316.00	1158.00	1158.00	3333.03	482.15	2850.88	5649.03
पश्चिम बंगाल	4431.00	2215.50	2215.50	6425.28	929.42	5495.86	10856.28
जोड़	110208.00	55104.00	55104.00	159000.00	23000.00	136000.00	269208.00

टिप्पणी : जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि से वर्ष 2023-24 के दौरान 78,104 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई तथा वर्ष 2024-25 में 1,23,604 करोड़ रुपये की राशि वसूली जाएगी।

3. राष्ट्रीय लघु बचत निधि

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023		बजट अनुमान 2023-2024		संशोधित बजट 2023-2024		बजट अनुमान 2024-2025	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
क. संग्रहण, उन्मोचन और निवेश:								
अधिशेष (ओ)								
(i) प्रारंभिक जमा (ओ)	2420643.17	...	2769144.44	...	2726012.50	...	3162844.60	...
1 संग्रहण एवं संवितरण								
(i) बचत जमा राशि	900413.72	733988.44	1029360.92	783573.03	1186477.19	920575.92	1080049.34	847781.28
(ii) बचत पत्र	76539.24	42896.57	90866.77	44085.06	132283.27	68696.87	168540.14	119660.74
(iii) लोक भविष्य निधि	147956.04	42654.66	161835.43	44863.12	156068.75	48724.32	177243.19	70165.65
जोड़ संग्रहण एवं संवितरण वर्ष में (सी)	1124909.00	819539.67	1282063.12	872521.21	1474829.21	1037997.11	1425832.67	1037607.67
जोड़ (1)=(ओ)+(सी)	3545552.17	819539.67	4051207.56	872521.21	4200841.71	1037997.11	4588677.27	1037607.67
2 निवेश								
(i) 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	...	2360420.65	...	2764608.64	...	2718964.39	...	3152765.16
(ii) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष के विरुद्ध विशेष केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	64569.19	...
(iii) 1.4.99 से संग्रह के विरुद्ध विशेष केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	137679.96	350808.99	176950.70	424198.42	172760.85	424329.15	213162.42	372138.00
(iv) 1.4.99 से जारी विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	50771.73	13675.74	51180.23	21052.66	50990.60	13824.44	52418.90	15297.68
(v) विशेष केंद्रीय/राज्य सरकारी प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त राशि का पुनः निवेश	...	182730.70	...	224069.28	59976.73	279725.36	62753.00	388409.61
(vi) सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश	570.00	350.00	350.00
(क) एमटीएनएल में निवेश	570.00	350.00	350.00
वर्ष में कुल निवेश एवं अदायगी(I)	189021.69	547565.43	228130.93	669320.36	284078.18	717878.95	392903.51	775845.29
जोड़ (2)=(i)+(II)	189021.69	2907986.08	228130.93	3433929.00	284078.18	3436843.34	392903.51	3928610.45
ख. एनएसएसएफ की आय और व्यय:								
3 ब्याज आय (I I)								
(i) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष के विरुद्ध विशेष केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	6779.76	...	6779.76	...	6779.76
(ii) 1.4.99 से संग्रह के विरुद्ध विशेष केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	95680.75	...	113951.64	...	111832.01	...	127435.06	...
(iii) 1.4.99 से जारी विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	36784.77	...	33954.34	...	33839.82	...	30051.96	...
(iv) केंद्र/राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त राशि के सापेक्ष केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	53807.77	...	64108.99	...	66759.64	...	83086.26	...
(v) सार्वजनिक एजेंसियों में निवेश	7301.75	...	6927.16	...	6868.51	...	6860.00	...
उप जोड़[(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)] (II)	200354.80	...	225721.89	...	226079.74	...	247433.28	...
3 एनएसएसएफ (ओआई) की अन्य आय								
(i) अन्य प्राप्तियां	354.28	...	360.00	...	511.23	...	536.79	...
जोड़ (3)= (II)+(ओआई)	200709.08	0.00	226081.89	0.00	226590.97	0.00	247970.07	0.00
4 ब्याज भुगतान (आईपी)								
(i) बचत जमा राशि	...	86671.76	...	93546.56	...	117098.08	...	133019.21
(ii) बचत पत्र	...	13841.35	...	22691.34	...	19711.97	...	25783.09

	...	63456.84	...	67563.87	...	74322.33	...	83087.01
	...	163969.95	...	183801.77	...	211132.38	...	241889.31
5 प्रबंधन लागत								
(i) डाक विभाग को एजेंसी शुल्क का भुगतान	...	6186.71	...	6439.38	...	6447.43	...	6708.15
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी शुल्क का भुगतान	...	257.42	...	276.84	...	247.88	...	260.27
(iii) एजेंटों को एजेंसी कमीशन का भुगतान	...	3726.22	...	3871.38	...	4122.29	...	4328.90
(iv) मुद्रण की लागत	...	85.11	...	45.00	...	60.60	...	66.66
जोड़ (5)	...	10255.46	...	10632.60	...	10878.20	...	11363.98
6 निधि(एनएसएसएफ) की कुल आय और व्यय (3)+(4)+(5)	200709.08	174225.41	226081.89	194434.37	226590.97	222010.58	247970.07	253253.29
7 वर्ष में निवल आय (-)/व्यय(+)	...	-26483.67	...	-31647.52	...	-4580.39	...	5283.22

4. वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता

एफआरबीएम नियम, 2004 के नियम 6 के तहत विवरण

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण								
निर्माण, संचालन अंतरण (बीओटी) (वार्षिकी परियोजना)								
1	एपी/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रॉसिंग और देवेनहल्ली (केएनटी-1)	402.34	1185.84	20-04-2009	25-03-2027	18.0	65.88	289.46
2	मोकामा-मुंगेर	351.54	998.50	19-07-2013	14-05-2026	12.5	79.88	223.89
3	बिहार राज्य में एनएच-31 के 270 किमी से 410 किमी तक पूर्णिया- खगराई खंड के पक्के खड़जे के साथ दो लेन का निर्माण	664.00	1624.00	02-04-2014	02-10-2028	14.5	112.00	606.11
4	तांबरम - तिंडीवनम	564.30	1255.80	03-05-2005	09-11-2019	15.0	83.72	0.00
5	एनएच77 पर हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड को 0.000 किमी से 46.300 किमी तक 4 लेन का बनाना और 16.870 किमी नए बाईपास का निर्माण, 46.300 किमी से शुरू होकर बिहार राज्य में 515.045 किमी पर एनएच- 28 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ना।	671.70	2365.00	01-03-2017	01-09-2029	12.5	189.20	1124.82
6	एनएच-57 पर कोसी नदी	418.04	1084.60	04-04-2010	04-04-2027	17.0	63.80	350.90
7	महाराष्ट्र सीमा - बेलगाम	542.80	1515.30	20-06-2005	20-12-2019	15.0	101.02	0.00
8	गोरखपुर बाईपास	600.24	1701.00	04-04-2010	04-04-2027	17.5	97.20	586.07
9	एनएच-3 में 42.033 किमी से 103 किमी तक ग्वालियर बाईपास	300.93	928.55	06-10-2009	06-04-2027	17.5	53.06	244.41
10	कोट्टाकाटा-कुर्नूल (हैदराबाद बेंगलुरु खंड) (एनएस-2/बीओटी/एपी-5) 135.740-किमी से 211 किमी	611.00	1978.20	15-03-2009	13-09-2026	17.5	113.04	390.73
11	हज़ारीबाग-रांची	625.07	1986.48	14-03-2013	25-09-2028	15.5	128.16	643.98
12	अमृतसर-बाघा बॉर्डर	205.88	664.20	13-06-2010	30-06-2028	18.0	36.90	193.72
13	जम्मू उधमपुर खंड (जम्मू बाईपास) (उधमपुर बाईपास) (एनएचडीपी/चरण- II/बीओटी/VI/जम्मू-कश्मीर)	1500.00	6864.60	01-06-2014	01-06-2031	17.0	403.80	2980.36
14	जम्मू-कश्मीर राज्य में बीओटी वार्षिकी आधार पर समानांतर एस्केप सुरंग के साथ 9 किमी लंबी सुरंग (2 लेन) सहित एनएच-1ए में चेनानी से नाशरी खंड का पुनर्वास, सुदृढीकरण और चार लेन (एनएचडीपी/चरण- II/ बीओटी/VI जम्मू और कश्मीर)	2519.00	9423.76	07-09-2017	08-03-2032	15.0	635.04	5715.36
15	झाँसी से ललितपुर (एनएस-1/ बीओटी/यूपी-2)	355.06	1048.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	59.90	233.84
16	झाँसी से ललितपुर (एनएस-1/ बीओटी/यूपी-3)	276.09	838.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	47.90	186.67
17	उरई-भोगनीपुर (220 किमी से 255 किमी) और भोगनीपुर-बाराह (421.20 किमी से 449 किमी)	465.00	1344.60	24-10-2009	24-04-2024	15.0	89.64	105.69

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
18	एनएच 210 में त्रिची कराईकुडी खंड के पक्के खरंजे के साथ दो लेन और एनएच 677 पर त्रिची बाईपास भी शामिल है	374.00	554.97	16-08-2014	15-02-2027	13.0	42.69	0.00
19	वार्षिकी आधार पर डीबीएफओटी पर एनएच-24बी के 12.700 किमी से 82.700 किमी तक लखनऊ-रायबरेली खंड को 4 लेन का बनाना।	635.90	1461.60	16-07-2015	15-07-2029	14.5	100.80	655.20
20	0 किमी से 89 किमी तक मुजफ्फरपुर-सोनबर्ष खंड को 2 लेन का बनाना	512.00	1834.00	25-11-2013	24-05-2031	17.5	104.80	854.12
21	एनएच-69 के नागपुर-साओनेर-बैतूल खंड को चार लेन का बनाना	2498.76	9596.40	18-08-2015	18-08-2031	16.5	581.60	4945.65
22	लखनादौन-एमएच सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2)	263.17	673.12	26-09-2009	26-03-2027	17.5	39.60	158.40
23	एमपी एनएस-1/बीओटी/एमपी-3 में लखनादौन-एमपी/एमएच सीमा (एनएच-7 का 596.75 किमी - 653.225 किमी)	407.60	762.65	22-05-2010	24-11-2027	17.5	44.86	201.87
24	कदल से आर्मूर (एनएस-2/बीओटी/एपी-8)	271.73	856.80	29-04-2010	29-10-2027	18.0	47.60	214.24
25	इस्लाम नगर से कदतल (एनएस-2/बीओटी/एपी-7)	518.46	1597.32	03-08-2010	29-02-2028	18.0	88.74	437.87
26	एमएच/एपी सीमा से इस्लाम नगर (एनएस-2/बीओटी/एपी-6)	360.42	1133.28	02-05-2010	02-11-2027	18.0	62.96	284.25
27	आर्मूर-कलकल्लु गांव (एनएस-2/एपी-2)	546.15	1896.30	26-03-2009	25-09-2026	18.0	108.36	360.97
28	पालनपुर से स्वरूपगंज	498.00	1296.30	24-03-2009	24-03-2024	15.0	86.42	86.42
29	एसएआरडीपी-एनई के तहत बीओटी (वार्षिक) आधार पर मेघालय और असम राज्य में एनएच-40 के 0 किमी से 61.800 किमी तक जोराबाट-शिलांग (बारापानी) खंड को चार लेन का बनाना	536.00	2465.34	28-07-2016	28-01-2031	17.0	145.02	1224.74
30	शिलांग बाईपास	226.00	596.88	25-09-2013	25-03-2025	12.0	49.74	90.19
31	रींगस से सीकर खंड 298.075 किमी से 341.962 किमी तक	333.51	544.39	01-09-2014	01-09-2028	14.5	37.54	218.73
32	जम्मू और कश्मीर राज्य में एनएच 1-ए के 187 किमी से 189.350 किमी (बनिहाल बाईपास) और 220.700 किमी से 286.110 किमी तक श्रीनगर से बनिहाल खंड का पुनर्वास, सुदृढीकरण और चार लेन का बनाना (पैकेज संख्या: एनएचडीपी-चरण- II / बीओटी) /आई/जम्मू एवं कश्मीर)	1600.00	4583.88	27-03-2018	27-03-2035	17.0	269.64	2907.87
33	डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (वार्षिकी) पर एनएचडीपी चरण IV-ए के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-231 के रायबरेली से जौनपुर खंड (0 किमी से 166.400 किमी) को पक्की सड़क के साथ दो लेन का बनाना	569.36	1929.00	02-12-2016	02-06-2031	15.0	128.60	1050.70

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
34	डीबीएफओटी (वार्षिकी) आधार पर एनएचडीपी-III के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-34 के 115 किमी से 193 किमी तक कृष्णानगर-बहरामपुर खंड को चार लेन का बनाना। [जारी. पैकेज. एनएचडीपी-III/बीओटी/डब्ल्यूबी/02]	702.16	1530.00	04-01-2015	04-01-2027	12.5	122.40	968.48
35	जम्मू और कश्मीर राज्य में एनएच-1ए के 189.350 किमी से 204.700 किमी तक काज़ीगुंड से बनिहाल खंड का पुनर्वास, सुदृढीकरण और चार लेन का बनाना, जिसमें डीबीएफओटी (वार्षिक) आधार पर 8.45 किमी लंबाई की सुरंग (2-लेन) शामिल है (एनएचडीपी-चरण) II/बीओटी/II/जम्मू एवं कश्मीर)	1987.00	7350.00	04-12-2016	04-06-2031	15.0	490.00	4486.83
हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) परियोजनाएं जहां वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) जारी की जाती हैं								
36	दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेसवे पैकेज-1	841.50	504.90	12-09-2018	12-09-2033	15.0	33.66	396.60
37	एनएच-65 का सालासर-नागूर खंड	480.00	288.00	26-09-2018	26-09-2033	15.0	19.20	226.22
38	नागपुर रिंग रोड पैकेज-II	547.99	328.79	14-10-2018	14-10-2033	15.0	21.92	258.27
39	नागपुर रिंग रोड पैकेज-I	495.56	297.34	14-10-2018	14-10-2033	15.0	19.82	233.56
40	रामपुर - काठगोदाम पैकेज-I	738.00	442.80	28-10-2018	28-10-2033	15.0	29.52	347.82
41	रामपुर - काठगोदाम पैकेज-II	657.00	394.20	28-10-2018	28-10-2033	15.0	26.28	309.64
42	दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेसवे-पैकेज-III	1,057.60	634.56	21-11-2018	21-11-2033	15.0	42.30	498.45
43	एनएच-95 में खरड़ से लुधियाना खंड	1,600.00	960.00	21-11-2018	21-11-2033	15.0	64.00	754.08
44	एनएच-8ई में भावनगर-तलाजा खंड (पैकेज-I)	819.00	491.40	15-12-2018	15-12-2033	15.0	32.76	385.99
45	एनएच-361 में यवतमाल से वर्धा (पैकेज-III) खंड	1,043.28	625.97	15-12-2018	15-12-2033	15.0	41.73	491.70
46	कागवादर - एनएच-8ई में ऊना खंड (पैकेज-IV)	555.00	333.00	13-01-2019	13-01-2034	15.0	22.20	270.50
47	एनएच-8ई में ऊना से कोडिनार (पैकेज-V)	623.00	373.80	28-01-2019	28-01-2034	15.0	24.92	303.64
48	फगवाड़ा से रूप नगर खंड एनएच-344-ए	1,169.61	701.77	02-03-2019	02-03-2034	15.0	46.78	570.04
49	एनएच-8ई में तलाजा-महुवा खंड (पैकेज-II)	834.64	500.78	10-03-2019	10-03-2034	15.0	33.39	406.79
50	एनएच-75/76 में झाँसी-खजुराहो खंड (पैकेज-I)	1,410.00	846.00	10-03-2019	10-03-2034	15.0	56.40	687.21
51	एनएच-56 में लखनऊ-सुल्तानपुर	2,016.00	1,209.60	15-03-2019	15-03-2034	15.0	80.64	982.56
52	एनएच-8ई में महुवा-कागरबदर पैकेज-III	723.64	434.18	31-03-2019	31-03-2034	15.0	28.95	352.69
53	एनएच-11ए में दौसा-लालसोट-कौथून खंड	688.71	413.23	03-04-2019	03-04-2034	15.0	27.55	335.66
54	दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेसवे पैकेज-II	1,989.00	1,193.40	10-04-2019	10-04-2034	15.0	79.56	969.40
55	लाडोवाल बाईपास	392.00	235.20	26-04-2019	26-04-2034	15.0	15.68	191.05
56	बीआरटी टाइगर रिजर्व सीमा से एनएच-209 के बैंगलुरु खंड तक	1,008.00	604.80	05-05-2019	05-05-2034	15.0	40.32	491.28

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
57	एनएच-48 का दावणगेरे-हावेरी खंड (पुराना एनएच-4)	1,177.00	706.20	03-07-2019	03-07-2034	15.0	47.08	592.01
58	एनएच-8ई का गाडु-पोरबंदर खंड	370.00	222.00	19-07-2019	19-07-2034	15.0	14.80	186.10
59	एनएच-361 का तुलजापुर औसा (तुलजापुर बाईपास सहित) खंड	911.07	546.64	26-09-2019	26-09-2034	15.0	36.44	458.25
60	राणास्तलम से आनंदपुरम (विशाखापत्तनम)	1,187.10	712.26	28-09-2019	28-09-2034	15.0	47.48	597.09
61	एनएच-22 का शिमला बाईपास	1,480.00	888.00	29-09-2019	29-09-2034	15.0	59.20	744.41
62	एनएच-2 का हंडिया से वाराणसी खंड	2,447.00	1,468.20	03-10-2019	03-10-2034	15.0	97.88	1,230.79
63	एनएच-8ई खंड पर कोडिनार वेरावल खंड	670.00	402.00	27-10-2019	27-10-2034	15.0	26.80	337.00
64	एनएच-76 के बीच उदयपुर बाईपास कनेक्शन	891.00	534.60	30-10-2019	30-10-2034	15.0	35.64	448.16
65	महागांव-यवतमाल - पैकेज-II	1,160.64	696.38	01-11-2019	01-11-2034	15.0	46.43	583.78
66	एनएच 48 (पुराना एनएच4) का हुबली-हावेरी खंड	1,200.00	720.00	01-11-2019	01-11-2034	15.0	48.00	603.58
67	एनएच-75/76 का झाँसी-खजुराहो खंड (पैकेज-II)	1,310.00	786.00	02-11-2019	02-11-2034	15.0	52.40	658.90
68	एनएच-361 का वारंगा से महागांव खंड (पैकेज-I)	1,071.00	642.60	02-11-2019	02-11-2034	15.0	42.84	538.69
69	चित्रदुर्गा-दावेंजरे जिसमें एनएच-48 (पुराना एनएच-4) का चित्रदुर्गा बाईपास भी शामिल है	1,434.00	860.40	07-11-2019	07-11-2034	15.0	57.36	721.27
70	वर्धा-बुटीबोरी	1,065.51	639.31	20-11-2019	20-11-2034	15.0	42.62	535.93
71	एनएच-49 का बिंझबहल से तेलेबानी खंड)	1,161.40	696.84	20-11-2019	20-11-2034	15.0	46.46	584.16
72	एनएच 73 का गागलहेड़ी-सहारनपुर- यमुनानगर खंड	1,184.00	710.40	29-11-2019	29-11-2034	15.0	47.36	595.53
73	छुटमलपुर-गणेशपुर	942.00	565.20	29-11-2019	29-11-2034	15.0	37.68	473.81
74	सिंधारा से बिंझबहाल	1,420.00	852.00	05-12-2019	05-12-2034	15.0	56.80	714.23
75	पोरबंदर-द्वारका	1,600.00	960.00	27-12-2019	27-12-2034	15.0	64.00	804.77
76	पंडोह बाईपास से टकोली	2,604.00	1,562.40	04-01-2020	04-01-2035	15.0	104.16	1,349.13
77	एनएच-45 का चोलोपुरम-तंजावुर खंड	1,345.60	807.36	11-03-2020	11-03-2035	15.0	53.82	697.16
78	एनएच-31 का औंटा-सिमरिया खंड	1,161.00	696.60	19-03-2020	19-03-2035	15.0	46.44	601.51
79	चिकली-तरसोद	1,048.10	628.86	26-03-2020	26-03-2035	15.0	41.92	543.02
80	सेठियाहापु चोलोपुरम	1,461.00	876.60	08-04-2020	08-04-2035	15.0	58.44	756.94
81	दराह-झालावाड़-तीनधार	1,123.63	674.18	12-04-2020	12-04-2035	15.0	44.95	582.15
82	एनएच-65 नागौर रोड के डांगीवास से जजीवाल तक) जोधपुर रिंग रोड का खंड पैकेज I	1,161.00	696.60	02-07-2020	02-07-2035	15.0	46.44	618.58
83	भीमसर जंक्शन से अंजार भुज	1,152.00	691.20	21-08-2020	21-08-2035	15.0	46.08	613.79
84	एनएच-5 का चंडीखोल-भद्रक खंड (नया एनएच-16)	1,522.00	913.20	03-09-2020	03-09-2035	15.0	60.88	810.92
85	भद्रक बालेश्वर	999.00	599.40	05-09-2020	05-09-2035	15.0	39.96	532.27
86	मेरठ-बुलंदशहर	868.77	521.26	11-09-2020	11-09-2035	15.0	34.75	462.88

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
87	एनएच-16 का गुंडगोलानु देवारापल्ली कोव्वुरु खंड	1,827.00	1,096.20	13-09-2020	13-09-2035	15.0	73.08	973.43
88	गुडगांव - सोहना (राजीव चौक से गुरुग्राम) (पैकेज. I)	707.00	424.20	13-09-2020	13-09-2035	15.0	28.28	376.69
89	एनएच-45ए का विल्लपुरम-पुडुचेरी खंड (नया एनएच-332)	962.20	577.32	16-09-2020	16-09-2035	15.0	38.49	512.66
90	कल्लागम से मीनसुरुट्टी	1,071.00	642.60	17-09-2020	17-09-2035	15.0	42.84	570.63
91	गुडगांव - सोहना पैकेज II	606.00	363.60	19-09-2020	19-09-2035	15.0	24.24	322.88
92	चकेरी इलाहाबाद	2,159.00	1,295.40	19-09-2020	19-09-2035	15.0	86.36	1,150.32
93	एनएच-2 का खैराटुंडा-बरवा अड्डा खंड	860.10	516.06	23-09-2020	23-09-2035	15.0	34.40	458.26
94	सांपा से पादरा	1,865.00	1,119.00	24-09-2020	24-09-2035	15.0	74.60	993.67
95	एनएच-8 का शामलाजी से मोटाचिलोडा खंड	1,361.00	816.60	25-09-2020	25-09-2035	15.0	54.44	725.14
96	एनएच-150ए का बायरापुरा से चल्लकेरे (पैकेज. II) खंड	841.70	505.02	26-09-2020	26-09-2035	15.0	33.67	448.46
97	पूडियनकुप्पम से सतानाथपुरम	2,169.00	1,301.40	30-09-2020	30-09-2035	15.0	86.76	1,155.64
98	पुडुचेरी - पूडियनकुप्पम	1,296.00	777.60	30-09-2020	30-09-2035	15.0	51.84	690.51
99	एनएच-334बी का रोहना/हसनगढ़ से झज्जर खंड	718.00	430.80	03-10-2020	03-10-2035	15.0	28.72	382.55
100	रामसनपल्ले से मंगलूर	1,234.00	740.40	03-10-2020	03-10-2035	15.0	49.36	657.48
101	एनएच-75ई के रीवा सीधी खंड पर सुरंग सहित चुरहट बाईपास	1,004.00	602.40	04-10-2020	04-10-2035	15.0	40.16	534.93
102	वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का अंकलेश्वर से मनुबर खंड	1,687.00	1,012.20	07-10-2020	07-10-2035	15.0	67.48	898.83
103	पडरा से वडोदरा	2,043.00	1,225.80	21-10-2020	21-10-2035	15.0	81.72	1,088.51
104	एनएच-91 का अलीगढ़-कानपुर (भदवास-कल्याणपुर से पैकेज. II) खंड	1,197.00	718.20	04-11-2020	04-11-2035	15.0	47.88	637.76
105	मुनाबाव-तनोट	1,438.29	862.97	04-11-2020	04-11-2035	15.0	57.53	766.32
106	एनएच-150ई का अक्कलकोट से सोलापुर खंड	807.00	484.20	14-11-2020	14-11-2035	15.0	32.28	429.97
107	एनएच-166 का सांगली सोलापुर (पैकेज - III: वाटंबरे से मंगल वेधा) खंड	957.00	574.20	14-11-2020	14-11-2035	15.0	38.28	509.89
108	मनुबर से सानपा खंड पैकेज III	1,712.00	1,027.20	19-11-2020	19-11-2035	15.0	68.48	912.15
109	चल्लकेरे से हरियूर	1,157.00	694.20	06-12-2020	06-12-2035	15.0	46.28	616.45
110	गिददलूर-विनुकोंडा	678.69	407.21	09-12-2020	09-12-2035	15.0	27.15	361.61
111	वडापे से ठाणे	1,182.87	709.72	30-12-2020	30-12-2035	15.0	47.31	630.23
112	मीनसुरुट्टी से चिदम्बरम	482.04	289.22	03-01-2021	03-01-2036	15.0	19.28	263.71
113	एनएच-140 का चित्तौड़ से मल्लावरम खंड	1,730.07	1,038.04	03-01-2021	03-01-2036	15.0	69.20	946.49
114	एनएच-16 (पुराना एनएच-5) का नरसन्नपेटा-राणास्तलम खंड	1,350.00	810.00	03-01-2021	03-01-2036	15.0	54.00	738.56
115	फागने-तरसोद	1,021.00	612.60	03-01-2021	03-01-2036	15.0	40.84	558.57
116	तुमकुर-शिवमोगगा (पैकेज-II)	1,218.50	731.10	03-01-2021	03-01-2036	15.0	48.74	666.62
117	आनंदपुरम अनाकापल्ली	2,013.00	1,207.80	03-01-2021	03-01-2036	15.0	80.52	1,101.27
118	त्रिची से कल्लागम	1,020.60	612.36	03-01-2021	03-01-2036	15.0	40.82	558.35
119	तुमकुर-शिवमोगगा (पैकेज-I)	917.00	550.20	03-01-2021	03-01-2036	15.0	36.68	501.67
120	अलीगढ़ कानपुर (पैकेज. I)	1,065.70	639.42	03-01-2021	03-01-2036	15.0	42.63	583.02

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
121	बिलासपुर-पथरापाली	1,140.00	684.00	23-01-2021	23-01-2036	15.0	45.60	623.67
122	पिपली-भावनगर (पैकेज. I)	820.00	492.00	04-02-2021	04-02-2036	15.0	32.80	448.61
123	सांगली - सोलापुर (पैकेज-I: सांगली से बोरगांव)	1,102.40	661.44	13-02-2021	13-02-2036	15.0	44.10	603.10
124	खाजूवाला-पूगल	895.00	537.00	20-02-2021	20-02-2036	15.0	35.80	489.64
125	बेलगाम-खानापुर	856.20	513.72	06-03-2021	06-03-2036	15.0	34.25	468.41
126	औसा चाकुर	848.63	509.18	10-03-2021	10-03-2036	15.0	33.95	464.27
127	चाकुर लोहा	1,000.10	600.06	10-03-2021	10-03-2036	15.0	40.00	547.13
128	लोहा वारंगा	1,073.10	643.86	10-03-2021	10-03-2036	15.0	42.92	587.07
129	सांगली - सोलापुर (पैकेज II) [बोरेगांव-वतंबरे]	1,029.40	617.64	25-03-2021	25-03-2036	15.0	41.18	563.16
130	बेंगलुरु-निदागट्टा (पैकेज I)	2,190.00	1,314.00	01-04-2021	01-04-2036	15.0	87.60	1,198.11
131	निदागट्टा-मैसूर (पैकेज II)	2,283.50	1,370.10	01-04-2021	01-04-2036	15.0	91.34	1,249.26
132	सांगली - सोलापुर (पैकेज IV) [मंगलवेधा-सोलापुर]	1,141.00	684.60	02-04-2021	02-04-2036	15.0	45.64	624.22
133	बेल्लारी बायरापुरा	1,313.90	788.34	08-04-2021	08-04-2036	15.0	52.56	718.81
134	मंगलूर से तेलंगाना महाराष्ट्र सीमा तक	936.00	561.60	09-04-2021	09-04-2036	15.0	37.44	512.07
135	अलीगढ़-कानपुर (पैकेज III) [कल्याणपुर - नवीगंज]	1,332.00	799.20	17-04-2021	17-04-2036	15.0	53.28	728.71
136	किम से अंकलेश्वर खंड (पैकेज V)	1,404.00	842.40	24-04-2021	24-04-2036	15.0	56.16	768.10
137	सत्तनाथपुरम से नागपट्टिनम	2,004.51	1,202.71	23-06-2021	23-06-2036	15.0	80.18	1,096.63
138	एनएच-2 का गोरहर से खैराटुंडा खंड (पैकेज I)	917.00	550.20	07-07-2021	07-07-2036	15.0	36.68	514.38
139	नारनौल बाईपास क्रॉसिंग से पनियाला मोड़ पैकेज.-I	1,137.00	682.20	24-07-2021	24-07-2036	15.0	45.48	637.79
140	द्वारका खंबालिया-देवरिया (पैकेज-I)	1,101.00	660.60	03-10-2021	03-10-2036	15.0	44.04	617.59
141	सूर्यापेट खम्मम	1,566.30	939.78	21-10-2021	21-10-2036	15.0	62.65	878.60
142	यूपी/एचआर बॉर्डर से रोहना खंड पैकेज.-I	1,020.00	612.00	21-10-2021	21-10-2036	15.0	40.80	572.16
143	रेवाडी - अटेली मंडी (पैकेज-III)	580.00	348.00	21-10-2021	21-10-2036	15.0	23.20	325.35
144	अटेली बाछोड़ और नारनौल बाईपास (पैकेज.-II)	952.11	571.27	18-12-2021	18-12-2036	15.0	38.08	534.08
145	सिन्नर से शिरडी	1,026.00	615.60	14-01-2022	14-01-2037	15.0	41.04	589.31
146	मंचेरियल से रेपल्लेवाड़ा	1,356.90	814.14	03-02-2022	03-02-2037	15.0	54.28	779.38
147	ओददनचत्रम्-मदाथुकुलम्	920.00	552.00	22-05-2022	22-05-2037	15.0	36.80	528.43
148	जिंद गोहाना	817.00	490.20	04-06-2022	04-06-2037	15.0	32.68	469.27
149	गोहाना-सोनीपत (पैकेज-2)	899.00	539.40	04-06-2022	04-06-2037	15.0	35.96	516.37
150	मदाथुकुलम से पोलाची खंड	724.00	434.40	11-09-2022	11-09-2037	15.0	28.96	425.28
151	कंडी से रामसनपल्ले (पैकेज-I)	1,000.00	600.00	05-10-2022	05-10-2037	15.0	40.00	587.40
152	कमलापुरम से ओड्डनचत्रम	720.00	432.00	13-11-2022	13-11-2037	15.0	28.80	422.93
153	पथरापल्ली-कटघोरा (बिलासपुर काठघोरा का पैकेज-II)	860.50	516.30	17-11-2022	17-11-2037	15.0	34.42	505.46
154	अलीगढ़-कानपुर खंड (नवीगंज- मित्रसेन से पैकेज-IV)	2,200.00	1,320.00	18-11-2022	18-11-2037	15.0	88.00	1,292.28
155	अमरावती - चिखली (पैकेज - III) [शिलाड - नंदुरा]	682.00	409.20	23-11-2022	23-11-2037	15.0	27.28	400.61

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
156	चिन्ना अदुतपल्ली से गोलापुडी तक विजयवाड़ा बाईपास (पैकेज-III)	1,148.40	689.04	24-11-2022	24-11-2037	15.0	45.94	674.57
157	इंदौर-हरदा (पैकेज-III) (ननासा से पिडगांव तक)	866.64	519.98	09-12-2022	09-12-2037	15.0	34.67	509.06
158	रेवाडी बाईपास पैकेज-IV	522.02	313.21	23-12-2022	23-12-2037	15.0	20.88	306.63
159	जगदीशपुर- फैजाबाद फोर लेन का बनाना	1,530.00	918.00	30-12-2022	30-12-2037	15.0	61.20	898.72
160	अलीगढ़-कानपुर खंड (मित्रसेन- कानपुर से पैकेज-V)	2,052.00	1,231.20	31-12-2022	31-12-2037	15.0	82.08	1,205.34
161	उन्नाव-लालगंज (उत्तर प्रदेश)	1,602.00	961.20	31-12-2022	31-12-2037	15.0	64.08	941.01
162	वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (गंडेवा से एना) (चरण 1 बी - पैकेज-VII)	1,755.00	1,053.00	16-01-2023	16-01-2038	15.0	70.20	1,053.00
163	डोड्डाबल्लापुरा बाईपास से होसकोटे तक बैंगलोर रिंग रोड पैकेज.-2	1,278.00	766.80	28-01-2023	28-01-2038	15.0	51.12	766.80
164	मेरठ - नजीबाबाद (पैकेज-1)	1,412.00	847.20	10-02-2023	10-02-2038	15.0	56.48	847.20
165	कोझिकोड बाईपास (कालीकट बाईपास) वेंगलम जंक्शन से रामनाट्टकरा जं.	1,710.00	1,026.00	22-02-2023	22-02-2038	15.0	68.40	1,026.00
166	रेपल्लेवाड़ा से टीएल/एमएच बॉर्डर	1,140.50	684.30	25-02-2023	25-02-2038	15.0	45.62	684.30
167	वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (एना-किम) (चरण 1बी - पैकेज.-VI)	2,187.00	1,312.20	03-03-2023	03-03-2038	15.0	87.48	1,312.20
168	विजयवाड़ा में गोलापुडी से चिन्नाकाकानी तक विजयवाड़ा बाईपास - गुंडुगोलानु (पैकेज-IV)	1,546.31	927.79	05-03-2023	05-03-2038	15.0	61.85	927.79
169	नरेनपुर-पूर्णिया	1,905.00	1,143.00	12-03-2023	12-03-2038	15.0	76.20	1,143.00
170	बैंगलोर रिंग रोड पैकेज.-1- डोड्डास्पेट से डोड्डाबल्लापुरा बाईपास	1,307.00	784.20	15-03-2023	15-03-2038	15.0	52.28	784.20
171	जितांदहल्ली से धरमपुरी [होसूर से धमरापुरी पैकेज-3]	899.25	539.55	20-03-2023	20-03-2038	15.0	35.97	539.55
172	बख्तियारपुर-रजौली पैकेज.-III	2,310.00	1,386.00	22-03-2023	22-03-2038	15.0	92.40	1,386.00
173	बख्तियारपुर-रजौली पैकेज.-II	1,065.00	639.00	23-03-2023	23-03-2038	15.0	42.60	639.00
हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) परियोजनाएं जिनके लिए एलओए जारी किया गया है, परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और परियोजना के पूरा होने के बाद वार्षिकी शुरू की जाएगी।								
174	फ़रीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास से जं. केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ	898.00	538.80	17-04-2023	17-04-2038	15.0	35.92	538.80
175	अमरावती - चिखली (पैकेज - IV) [नंदुरा - चिखली	641.60	384.96	19-04-2023	19-04-2038	15.0	25.66	384.96
176	कीरतपुर नेरचौक (पैकेज.-2) का शेष कार्य [ग्रीन फील्ड]	2,098.00	1,258.80	23-04-2023	23-04-2038	15.0	83.92	1,258.80
177	वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (चरण- II-पैकेज.-XIII) - (शिरसाद-मसवान)	2,747.00	1,648.20	27-04-2023	27-04-2038	15.0	109.88	1,648.20
178	वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (चरण- II-पैकेज.-XI) - (गंजड-तलासरी)	1,260.00	756.00	03-05-2023	03-05-2038	15.0	50.40	756.00
179	वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (चरण- II-पैकेज.-XII) - (मसवन-गंजड)	1,549.02	929.41	06-05-2023	06-05-2038	15.0	61.96	929.41
180	अहमदनगर बाईपास	715.00	429.00	07-05-2023	07-05-2038	15.0	28.60	429.00
181	मीनसुरुट्टी से चिदम्बरम (पुनः	553.83	332.30	10-05-2023	10-05-2038	15.0	22.15	332.30

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
	प्रस्तुत)							
182	बदरपुर बॉर्डर तक स्पर सहित फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास (पैकेज-2)	1,729.00	1,037.40	15-05-2023	15-05-2038	15.0	69.16	1,037.40
183	थोरापल्ली - अग्रहारम - जितांदहल्ली [होसुर से धामरापुरी पैकेज-2]	864.51	518.71	20-05-2023	20-05-2038	15.0	34.58	518.71
184	धनगांव - बोरगांव [इंदौर - एदलाबाद पैकेज IV]	831.00	498.60	04-06-2023	04-06-2038	15.0	33.24	498.60
185	देवास-उज्जैन सहित उज्जैन बायपास और देवास बायपास	716.00	429.60	05-06-2023	05-06-2038	15.0	28.64	429.60
186	पलमा से गुमला	1,034.65	620.79	07-06-2023	07-06-2038	15.0	41.39	620.79
187	चिलकारारुपेट बाईपास	712.44	427.46	18-06-2023	18-06-2038	15.0	28.50	427.46
188	(नीलेश्वर टाउन) से तालिपरम्बा तक	2,251.00	1,350.60	18-06-2023	18-06-2038	15.0	90.04	1,350.60
189	चेंगला - नीलेश्वरम	1,799.00	1,079.40	18-06-2023	18-06-2038	15.0	71.96	1,079.40
190	अमरावती - चिखली (पैकेज - II) [कुरनखेड - शेलादा]	677.00	406.20	19-06-2023	19-06-2038	15.0	27.08	406.20
191	गुडगांव-पटौदी-रेवाड़ी का 4/6लेन एनएच-352डब्ल्यू के 0.00 कि.मी. से 43.87 किमी. तक	900.00	540.00	25-06-2023	25-06-2038	15.0	36.00	540.00
192	हरदा बैतूल (पैकेज.-III) 81.00 किमी से 121.248 किमी तक (चिचोली - बैतूल)	620.36	372.22	29-06-2023	29-06-2038	15.0	24.81	372.22
193	डीएनडी महारानी बाग जंक्शन से 6लेन एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग। एनसीआर में 0.00 किमी से 9.00 किमी तक एनएच-148एनए की जैतपुर-पुष्ता रोड के साथ (पैकेज-1)	1,836.00	1,101.60	29-06-2023	29-06-2038	15.0	73.44	1,101.60
194	हरदा-बैतूल (पैकेज.-I) 0.00 किमी से 30.20 किमी तक 4लेन (हरदा-टेमागांव)	555.00	333.00	29-06-2023	29-06-2038	15.0	22.20	333.00
195	अमरावती - चिखली (पैकेज - I) [अमरावती - कुरनखेड]	707.00	424.20	01-07-2023	01-07-2038	15.0	28.28	424.20
196	तुमकुर-शिवमोगा (पैकेज-III) पुराने एनएच-206 के 121.900 किमी (बनवारा) से 170.415 किमी (बेट्टादहल्ली) तक (पुनः निविदा)	1,035.50	621.30	09-07-2023	09-07-2038	15.0	41.42	621.30
197	महाबलीपुरम - पांडिचेरी (पैकेज-I) [मामल्लापुरम से मुगैयुरु]	770.00	462.00	19-07-2023	19-07-2038	15.0	30.80	462.00
198	एनएच 71 के रेनिगुंटा - पोय्या - नायडूपेटा 124.60 किमी से 183.4 किमी तक	1,899.00	1,139.40	29-07-2023	29-07-2038	15.0	75.96	1,139.40

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
199	एनएच-151ए के धौल-भद्रा पाटिया खंड का 0.000 किमी से 13.600 किमी तक का 4लेन और भादरा पाटिया-पिपलिया खंड का 73.00 किमी से 24.00 किमी तक	882.00	529.20	07-08-2023	07-08-2038	15.0	35.28	529.20
200	एनएच-75 पर 196.87 किमी (संखा) से 219.60 किमी (खजुरी) तक 4लेन [रिहला/गढ़वा बाईपास]	760.00	456.00	13-08-2023	13-08-2038	15.0	30.40	456.00
201	एनएच327ई के 0.000 किमी से 49.000 किमी (पैकेज-I) तक गलगलिया-बहादुरगंज खंड का 4लेन	1,051.00	630.60	19-08-2023	19-08-2038	15.0	42.04	630.60
202	एनएच-327ई के 49.000 किमी से 94.000 किमी (पैकेज-II) तक बहादुरगंज अररिया खंड का 4लेन	1,081.70	649.02	19-08-2023	19-08-2038	15.0	43.27	649.02
203	एनएच-66 का अझियूर-वैंगलम के 6 लेन 189.200 किमी से 230.400 किमी.	1,838.10	1,102.86	21-08-2023	21-08-2038	15.0	73.52	1,102.86
204	6लेन मंडी डबवाली (पंजाब/हरियाणा बॉर्डर) संगरिया रोड खंड प्रस्तावित मंडी डबवाली बाईपास से एनएच-54 के 27.400 किमी से 62.200 किमी चौटाला तक	864.27	518.56	26-08-2023	26-08-2038	15.0	34.57	518.56
205	एनएच-66 के 134.650 किमी से 170.6 किमी तक थलिपरम्बा से मुज़प्पिलंगड तक 6लेन	2,038.00	1,222.80	30-08-2023	30-08-2038	15.0	81.52	1,222.80
206	बैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेसवे-पैकेज-I चरण-I बैंगलोर-मालूर से 0.00 किमी से 26.400 किमी तक	1,160.00	696.00	01-09-2023	01-09-2038	15.0	46.40	696.00
207	बैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेस-वे-पैकेज-II चरण-I मालूर-बंगारपेट से 26.400 किमी से 53.500 किमी तक	1,279.00	767.40	01-09-2023	01-09-2038	15.0	51.16	767.40
208	मौजूदा भागलपुर बाईपास की शुरुआत से रसूलपुर तक 125+000 किमी से 157+350 किमी (पैकेज-3) तक मुंगेर-मिर्जाचौकी खंड का 4लेन	1,017.00	610.20	03-09-2023	03-09-2038	15.0	40.68	610.20
209	मुंगेर-मिर्जाचौकी खंड का 4लेन, मुंगेर से खरिया गांव जंक्शन तक 69+520 किमी से 95+580 किमी तक (पैकेज-1)	981.00	588.60	03-09-2023	03-09-2038	15.0	39.24	588.60
210	वैलंचेरी बाईपास के 6लेन से एनएच-66 के कप्पिरिक्कड तक 298+500 किमी. से 335+850 किमी	2,140.00	1,284.00	11-09-2023	11-09-2038	15.0	85.60	1,284.00

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
211	दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (चरण- I पैकेज-IV) अलेवा गांव के पास जिंद-करनाल रोड (एनएच- 709ए) के साथ जंक्शन से खरक पांडवा गांव के पास अंबाला- कैथल-हिसार रोड (एनएच-152) के साथ जंक्शन तक (91+400 किमी) से 120+250) किमी	985.00	591.00	11-09-2023	11-09-2038	15.0	39.40	591.00
212	दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (चरण-I पैकेज-I) एनएच-केएमपी एक्सप्रेसवे पर जुसूर खीरी से रुखी पानी गांव के पास रोहतक- पानीपत रोड (एनएच-709) के साथ जंक्शन तक (0+000 किमी से 34+000 किमी)	1,219.00	731.40	14-09-2023	14-09-2038	15.0	48.76	731.40
213	215.00 किमी से 260.00 किमी तक एनएच-80 का 4लेन मिर्जा चौकी से फरक्का (पैकेज-I)	765.00	459.00	24-09-2023	24-09-2038	15.0	30.60	459.00
214	170.415 कि.मी. से 226.750 कि.मी. तक बेट्टादहल्ली- शिवमोगगा खंड का 4लेन एनएच- 206 का (तुमकुर- शिवमोगगा पैकेज-IV)	1,382.00	829.20	24-09-2023	24-09-2038	15.0	55.28	829.20
215	एनएच-98 के 23.284 किमी से 57.049 किमी तक हरिहरगंज से परवा मोड़ खंड	650.00	390.00	28-09-2023	28-09-2038	15.0	26.00	390.00
216	एनएच-54 के जोधपुर रोमाना (बठिंडा)-मंडी डबवाली (पंजाब हरियाणा बॉर्डर) खंड का 6लेन एनएच-54 का 0.000 किमी. से 27.400 किमी.	621.00	372.60	28-09-2023	28-09-2038	15.0	24.84	372.60
217	हिमाचल प्रदेश/पंजाब सीमा के 4लेन - से एमओ 11.00 किमी से पुराना एनएच-20 (नया एनएच-154) का 42.00 किमी. (पैकेज-Iए)	828.00	496.80	12-10-2023	12-10-2038	15.0	33.12	496.80
218	दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (चरण-I पैकेज-II) रुखी पानी गांव के पास रोहतक-पानीपत रोड (एनएच-709) के साथ जंक्शन से गंगाना गांव के पास जिंद- पानीपत रोड (एनएच-352ए) के साथ जंक्शन (34+000 किमी) से 60+800 किमी) तक	959.00	575.40	13-10-2023	13-10-2038	15.0	38.36	575.40
219	दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (चरण- I पैकेज-III) गंगाना गांव के पास जिंद-पानीपत रोड (एनएच- 352ए) के साथ जंक्शन से अलेवा गांव के पास जिंद-करनाल रोड (एनएच-709ए) के साथ जंक्शन तक (60+800 किमी से) 91+400 किमी)	1,119.00	671.40	13-10-2023	13-10-2038	15.0	44.76	671.40

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
220	पुडुचेरी (29.000 किमी.) से पूडियनकुप्पम (67.000 किमी.)	1,228.00	736.80	14-10-2023	14-10-2038	15.0	49.12	736.80
221	95+580 कि.मी. से 125+000 कि.मी. तक (पैकेज-2) मुंगेर- मिर्जाचौकी खंड का 4लेन	902.00	541.20	16-10-2023	16-10-2038	15.0	36.08	541.20
222	157+350 किमी से 193+931 किमी तक मुंगेर-मिर्जाचौकी खंड का 4लेन (पैकेज-4)	892.00	535.20	16-10-2023	16-10-2038	15.0	35.68	535.20
223	चंपा-कोरबा 0.00 किमी से 38.2 किमी तक 4 लेन	830.00	498.00	20-10-2023	20-10-2038	15.0	33.20	498.00
224	केटी/केएल सीमा (थालापडुडी)- चेंगला को छह लेन का बनाना। 17.200 किमी से 57.200 कि.मी. तक	1,704.13	1,022.48	20-10-2023	20-10-2038	15.0	68.17	1,022.48
225	पुराने एनएच-88 (नया एनएच- 303,503) के भांगबार (रानीताल के पास) से कांगड़ा बाईपास सेक्शन तक 4लेन, एनएच-154 के साथ 175.270 किमी से 193.400 किमी तक इंटरसेक्शन तक (पैकेज-Vबी)	1,100.00	660.00	25-10-2023	25-10-2038	15.0	44.00	660.00
226	एनएच-130ए का बिलासपुर से उरगा (0.00 किमी से 70.2 किमी) का 4लेन	1,527.00	916.20	28-10-2023	28-10-2038	15.0	61.08	916.20
227	एनएच-66 के वैलंचेरी बाईपास खंड की शुरुआत के लिए रामानाटुकारा जंक्शन का 6लेन	2,367.50	1,420.50	06-11-2023	06-11-2038	15.0	94.70	1,420.50
228	विलुप्पुरम (0.000 किमी.) से पुडुचेरी (29.000 किमी.)	1,013.00	607.80	11-11-2023	11-11-2038	15.0	40.52	607.80
229	बेंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेस-वे-पैकेज- III चरण-I बंगारपेट-बेथमंगला से 53.500 किमी से 71.00 किमी तक	863.00	517.80	17-11-2023	17-11-2038	15.0	34.52	517.80
230	एनएच-130-सीडी के 226.500 किमी से 249.000 किमी तक कार्की-कालियागुरा खंड का 6लेन (पैकेज - ओडी-4)	575.00	345.00	18-11-2023	18-11-2038	15.0	23.00	345.00
231	एनएच-130-सीडी के 124.611 किमी से 146.50 किमी तक धनारा-हातिबेना खंड का 6लेन (पैकेज - ओडी-1)	550.00	330.00	20-11-2023	20-11-2038	15.0	22.00	330.00
232	मो-सिहुनी से 4 लेन 42.00 किमी. से 51.00 किमी. हिमाचल प्रदेश राज्य में पठानकोट-मंडी खंड के पुराने एनएच-20 (नए एनएच-154) का (पैकेज-Iबी)	529.00	317.40	22-11-2023	22-11-2038	15.0	21.16	317.40
233	पूडियनकुप्पम (67.000 किमी) से सतानाथपुरम (123.800 किमी.)	2,120.40	1,272.24	22-11-2023	22-11-2038	15.0	84.82	1,272.24

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
234	एनएच-516ए का अहमदनगर - मिराजगांव - करमाला - टेंभुर्नी (पैकेज-I) [अहमदनगर से घोगरगांव] तक 4लेन। 0.00 किमी से 38.775 किमी.	605.00	363.00	24-11-2023	24-11-2038	15.0	24.20	363.00
235	एनएच-130सीडी के 179.000 किमी से 226.500 किमी तक बडाकुमारी-कार्की खंड का 6लेन (पैकेज - ओडी-3)	1,169.10	701.46	26-11-2023	26-11-2038	15.0	46.76	701.46
236	एनएच-365ए के कोडाद (डिजाइन 0.00किमी/मौजूदा 185.00 किमी एनएच-65) से खम्मम (डिजाइन 31.800 किमी/मौजूदा 29.400 किमी) एनएच-365ए तक 4 लेन	1,039.90	623.94	26-11-2023	26-11-2038	15.0	41.60	623.94
237	एनएच-130सीडी रोड का 6लेन जक्कुवा-कोरलाम खंड 396.800 किमी से 421.100 किमी तक (पैकेज 2)	681.00	408.60	01-12-2023	01-12-2038	15.0	27.24	408.60
238	मलोट - अबोहर - साधुवाली	918.00	550.80	06-12-2023	06-12-2038	15.0	36.72	550.80
239	एनएच-169 करकला-मैंगलोर के किमी 691.350 से किमी 736.362 तक सन्नूर से बिकरनाकट्टे खंड का 4एल (पैकेज-III)	1,137.00	682.20	15-12-2023	15-12-2038	15.0	45.48	682.20
240	एनएच-130सीडी के 146.50 किमी से 179.00 किमी तक हातिबेना-बदाकुमारी खंड का 6लेन (पैकेज - ओडी-2)	865.00	519.00	17-12-2023	17-12-2038	15.0	34.60	519.00
241	एनएच-516ए अहमदनगर - मिराजगांव - करमाला - टेंभुर्नी (पैकेज-II) [घोगरगांव से अहमदनगर- सोलपौर जिला सीमा] का 4लेन 38.775 किमी से 80.390 कि.मी. तक	629.00	377.40	23-12-2023	23-12-2038	15.0	25.16	377.40
242	बोधरे - धुले	1,007.00	604.20	24-12-2023	24-12-2038	15.0	40.28	604.20
243	एनएच-130सीडी रोड का 6लेन कोरलम-कंटाकापल्ले खंड 421.100 किमी से 445.100 किमी तक (पैकेज-3)	836.70	502.02	25-01-2024	25-01-2039	15.0	33.47	502.02
244	एनएच-503ए के 8.270 किमी से 54.000 किमी तक अमृतसर- घोमन - टांडा - ऊना खंड का 4लेन (पैकेज-I)	735.00	441.00	31-01-2024	31-01-2039	15.0	29.40	441.00
245	एनई-5ए पर गांव टीबा से जंक्शन तक 6लेन अमृतसर- बठिंडा ग्रीनफील्ड खंड। मोगा जालंधर रोड (एनएच-703) के साथ धरमकोट के पास एनएच- 754ए के 0.000 किमी से 39.000 किमी तक (पैकेज-1)	927.00	556.20	10-02-2024	10-02-2039	15.0	37.08	556.20

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
246	वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (तलसारी से करवड़) (चरण आईबी - पैकेज एक्स) [103.400 किमी से 128.000 किमी]	1,259.00	755.40	10-02-2024	10-02-2039	15.0	50.36	755.40
247	दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (चरण- I पैकेज-V) खरक पांडवा गांव के पास अंबाला-कैथल-हिसार रोड (एनएच-152) के साथ जंक्शन से घग्गा गांव के पास पटियाला- समाना-पतरान रोड (एसएच-10) के साथ जंक्शन तक (120+250 किमी से 157+920 किमी)	1,366.00	819.60	15-02-2024	15-02-2039	15.0	54.64	819.60
248	जंक्शन से 4/6एल ग्रीनफील्ड लुधियाना-रूपनगर राजमार्ग। मानेवाल (लुधियाना) के निकट एनई-5 गांव से जंक्शन तक। किमी से भियोरा गांव (रूपनगर) के पास एनएच-205 के साथ। 0.00 से कि.मी. 37.7 जिसमें एनएच-205के (पैकेज-1) के लुधियाना बाईपास के साथ खरड़ तक की दूरी शामिल है	951.00	570.60	21-02-2024	21-02-2039	15.0	38.04	570.60
249	एनएच-130सीडी रोड का 6लेन अलुरु-जक्कुवा खंड 365.033 किमी से 396.800 किमी तक (पैकेज 1)	1,060.11	636.07	25-02-2024	25-02-2039	15.0	42.40	636.07
250	कोट्टनकुलंगरा- कोल्लम बाईपास की शुरुआत	1,580.00	948.00	03-03-2024	03-03-2039	15.0	63.20	948.00
251	वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (चरण II - पैकेज-XV) (स्पर के 20.200 किमी से 43.000 किमी तक) (अकलोली-अमने)	990.00	594.00	15-03-2024	15-03-2039	15.0	39.60	594.00
252	बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे चरण- III - पैकेज II (वालाजाहपेट से अराक्कोनम) 180.000 किमी से 204.500 किमी तक	832.00	499.20	21-03-2024	21-03-2039	15.0	33.28	499.20
253	6लेन ग्रीनफील्ड कलियागुरा - एनएच-130-सीडी रोड का बाउंसागुआर खंड 249+000 किमी से 293+000 किमी तक (पैकेज - ओडी-5)	1,492.11	895.27	24-03-2024	24-03-2039	15.0	59.68	895.27
254	एनएच 716बी (पैकेज-III) के 61.380 किमी से 96.040 किमी तक छह लेन चित्तूर-थैचूर राजमार्ग वीरा कावेरी राजा पुरम से पोंडावक्कम तक का विकास	1,041.50	624.90	29-03-2024	29-03-2039	15.0	41.66	624.90
255	बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे चरण- III - पैकेज I (गुडीपाला से वालाजाहपेट) 156.000 किमी से 180.000 किमी तक	1,188.00	712.80	29-03-2024	29-03-2039	15.0	47.52	712.80

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
256	बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे (चरण- II पैकेज-I) 71.000 किमी. से 96.000 किमी तक (कर्नाटक राज्य में बेथमंगला से बायरेडुडीपल्ली तक)	1,192.00	715.20	29-03-2024	29-03-2039	15.0	47.68	715.20
257	एनएच-716बी के 0.000 किमी से 43.800 किमी तक चित्तूर- थाचूर (वरधराजुला से कुमारजापेट) का 6लेन (पैकेज-I)	1,431.00	858.60	04-04-2024	04-04-2039	15.0	57.24	858.60
258	एनएच-130सीडी रोड का 6लेन कंटाकापल्ले-सब्बावरम खंड 445.100 किमी से 464.662 किमी तक (पैकेज-4)	638.00	382.80	10-04-2024	10-04-2039	15.0	25.52	382.80
259	राजस्थान राज्य में श्रीगंगानगर से रायसिंहनगर तक पक्की सड़क वाली 2 लेन (पैकेज-1)।	553.89	332.33	27-04-2024	27-04-2039	15.0	22.16	332.33
260	6लेन ग्रीनफील्ड बाउंसगागुआर - एनएच-130-सीडी रोड का बाराजा खंड 293+000 किमी से 338+500 किमी तक (पैकेज - ओडी-6)	1,123.11	673.87	05-05-2024	05-05-2039	15.0	44.92	673.87
261	एनएच-152जी का 4लेन (ग्रीनफील्ड) जलभेरा-शाहबाद खंड 0.000 किमी से 22.850 किमी तक	927.22	556.33	08-05-2024	08-05-2039	15.0	37.09	556.33
262	एनएच 716बी (पैकेज-IV) के 96.040 किमी से 116.100 किमी तक पोंडावक्कम से कन्निगाडपेयर तक 6लेन	909.00	545.40	17-05-2024	17-05-2039	15.0	36.36	545.40
263	4लेन बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे 230.000 किमी से 261.705 कि.मी. कांचीपुरम से श्रीपेरंबदूर खंड (चरण-III/पैकेज-IV)	1,580.00	948.00	17-05-2024	17-05-2039	15.0	63.20	948.00
264	एनएच-716बी के 43.800 किमी से 61.380 किमी तक चित्तूर थैचर-कुमारजापेट से वीरा कावेरी राजा पुरम तक 6लेन (पैकेज-II)	577.00	346.20	26-05-2024	26-05-2039	15.0	23.08	346.20
265	वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (जुजुवा से गांडीवा) (चरण आईबी - पैकेज VIII) [154.600 किमी से 190.000 किमी]	1,858.74	1,115.24	30-05-2024	30-05-2039	15.0	74.35	1,115.24
266	वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (चरण II - पैकेज-XVI) (स्पर के 43.000 किमी से 69.800 किमी तक) (अमने-भोज)	1,450.00	870.00	01-06-2024	01-06-2039	15.0	58.00	870.00
267	खम्मम-देवरापल्ले पैकेज IV [4लेन एक्सप्रेस नियंत्रित (ग्रीनफील्ड) रेचरला गांव से गुरवायगुडेम गांव तक (डिजाइन चेनेज 105+236 से 132+664)]	517.05	310.23	21-06-2024	21-06-2039	15.0	20.68	310.23

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
268	खम्मम-देवरापल्ले पैकेज V [4लेन एक्सेस नियंत्रित (ग्रीनफील्ड) गुरवायगुडेम गांव से देवारापल्ले गांव तक (डिजाइन चनेज 132+664 से 162+126)	622.00	373.20	23-06-2024	23-06-2039	15.0	24.88	373.20
269	दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (चरण-II पैकेज-XV) [गुढ़ा बेलदारन गांव के पास हीरानगर रोड से जख गांव के पास जम्मू रिंग रोड (एनएच-244ए) के साथ जंक्शन तक 468+100 किमी से 503+250 किमी तक]	1,870.00	1,122.00	28-06-2024	28-06-2039	15.0	74.80	1,122.00
270	बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे (चरण- II पैकेज-III) 127.000 किमी. से 156.000 किमी तक (बंगरुपलेम से गुडीपाला खंड)	1,060.00	636.00	03-07-2024	03-07-2039	15.0	42.40	636.00
271	खम्मम-देवरापल्ले पैकेज III [4लेन एक्सेस नियंत्रित (ग्रीनफील्ड) चिंतागुडेम गांव से रेचेरला गांव तक (डिजाइन चनेज 63+117 से 105+236)]	804.69	482.81	18-07-2024	18-07-2039	15.0	32.19	482.81
272	खम्मम-देवरापल्ले पैकेज II [सोमवारम गांव से चिंतागुडेम गांव तक 4लेन एक्सेस नियंत्रित (ग्रीनफील्ड) (डिजाइन चनेज 33+604 से 63+117)]	637.11	382.27	19-07-2024	19-07-2039	15.0	25.48	382.27
273	मोगा - बाघा पुराण - बाजाखाना 0.00 किमी से 43.32 किमी.	574.69	344.81	27-07-2024	27-07-2039	15.0	22.99	344.81
274	दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (चरण- II पैकेज-XIV) बलसुआ के पास पठानकोट-गुरदासपुर रोड (एनएच-54) के साथ जंक्शन से गुरहा बैलदारन गांव के पास हीरानगर रोड के साथ जंक्शन	1,939.00	1,163.40	29-07-2024	29-07-2039	15.0	77.56	1,163.40
275	एनएच-353बी के गोविंदपुर (एमएच/टीजी बॉर्डर) से राजुरा खंड को 4 लेन का बनाना	907.00	544.20	04-08-2024	04-08-2039	15.0	36.28	544.20
276	एनएच-66 (पुराना एनएच-17) के 397.850 किमी से 423.00 किमी तक कोडुगल्लूर से एडप्पापल्ली खंड का 6लेन	1,617.20	970.32	05-08-2024	05-08-2039	15.0	64.69	970.32
277	उज्जैन से बदनावर 49.460 किमी से 96.750 किमी तक	907.00	544.20	07-08-2024	07-08-2039	15.0	36.28	544.20
278	बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस चरण-III पैकेज III (अराक्कोणम से कांचीपुरम) 204.500 किमी. से 230,00 कीमी.	1,057.00	634.20	07-08-2024	07-08-2039	15.0	42.28	634.20

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
279	चंदेसरा से खेड़ाखजुरिया तक 4लेन एनएच-148एनजी (पैकेज-1) का 0.000 कि.मी. से (-) 750 और 0.000 किमी से 41.400 किमी तक	650.00	390.00	10-08-2024	10-08-2039	15.0	26.00	390.00
280	6लेन ग्रीनफील्ड बाराजा - एनएच- 130-सीडी रोड का कांदिली खंड 338+500 किमी से 342+500 किमी तक (पैकेज-ओडी-7)	618.10	370.86	21-08-2024	21-08-2039	15.0	24.72	370.86
281	वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (चरण II - पैकेज XVII) [69.800 किमी. से . स्पर का 79.783 कि.मी] (भोज - मोरबे)	1,436.00	861.60	22-08-2024	22-08-2039	15.0	57.44	861.60
282	वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (चरण II - पैकेज-XIV) (स्पर के 3.000 किमी से 20.200 किमी तक) (शिरसाद-अकलोली)	1,124.00	674.40	25-08-2024	25-08-2039	15.0	44.96	674.40
283	6लेन एक्सेस नियंत्रित लुधियाना- बठिंडा ग्रीनफील्ड राजमार्ग से रामपुरा फूल के पास अमृतसर- बठंडा ग्रीनफील्ड रोड (एनएच- 754ए) से जंक्शन तक। मोगा- बरनाला रोड (एनएच-703) गांव तल्लेवाल के पास एनएच-754एडी के 0.0 किमी से 30.3 किमी तक (पैकेज-1)	623.05	373.83	29-08-2024	29-08-2039	15.0	24.92	373.83
284	एनएच-66 (पुराना एनएच-17) के 335.85 किमी से 369.015 किमी तक कम्पिरेक्कड़ से थालीकुलम खंड का 6 लेन	1,164.31	698.59	31-08-2024	31-08-2039	15.0	46.57	698.59
285	6 लेन (ग्रीनफील्ड) जालंधर बाईपास का विकास कहलवान (एनएच-03) से शुरू होकर सरमस्तपुर (एनएच-44) - मदारा (एनएच-03) - खजुरला (एनएच- 44) होते हुए कांग सहबू (एनएच- 703) पर समाप्त होगा।	1,365.00	819.00	31-08-2024	31-08-2039	15.0	54.60	819.00
286	एनएच-148एनजी का सुहागगढ़ी से बरदिया अमरा तक 89.200 कि.मी. से 135.351 कि.मी. का (पैकेज-III) 4 लेन	598.00	358.80	01-09-2024	01-09-2039	15.0	23.92	358.80
287	उमागांव-सहरसा पैकेज - I (संयुक्त) एनएच 227एल का उमागांव-कलुआही (0.000 किमी से 21.609 किमी); एनएच 227जे का साहरघाट-रहिका (0.000 किमी से 26.130 किमी); एनएच 527ए का रहिका-रामपट्टी (0.00 किमी से 15.00 किमी); बिदेश्वरस्थान- भेजा का एनएच 527ए (0.000 किमी से 25.915 किमी)।	1,224.28	734.57	01-09-2024	01-09-2039	15.0	48.97	734.57

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
288	छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-130सीडी (पैकेज-सीजी-1) के 0.000 किमी से 42.800 किमी तक झाँकी-सरगी सेक्शन रोड के 6 लेन का विकास	1,039.42	623.65	02-09-2024	02-09-2039	15.0	41.58	623.65
289	एनएच-44 का दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (चरण- II पैकेज-XVI) का मौजूदा जाख (विजयपुर)-कुंजवानी खंड जिसमें (एनएच-144ए) जम्मू हवाई अड्डे के लिए [503+500 किमी से 514+500 किमी] स्पर कनेक्टिविटी शामिल है	1,765.00	1,059.00	08-09-2024	08-09-2039	15.0	70.60	1,059.00
290	एनएच-148एनजी का उज्जैन से गरोठ खेड़ाखजुरिया से सुहागगढ़ी तक 4 लेन 41.400 कि.मी. से 89.200 कि.मी. (पैकेज-II)	631.51	378.91	08-09-2024	08-09-2039	15.0	25.26	378.91
291	वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे (कारवाड से जुजुवा) (चरण आईबी - पैकेज IX) [128.000 किमी से 154.600 किमी]	1,180.00	708.00	12-09-2024	12-09-2039	15.0	47.20	708.00
292	हरिद्वार बाईपास का 0.000 किलोमीटर (एनएच-58 का 188.100 किलोमीटर) से 15.100 किमी (एनएच 74 का 5.100 किमी) 4 लेन और उन्नयन (पैकेज-1)	861.00	516.60	14-09-2024	14-09-2039	15.0	34.44	516.60
293	खम्मम-देवरापल्ले पैकेज I [थल्लमपाडु गांव से सोमावरम गांव तक 4 लेन एक्सेस नियंत्रित (ग्रीनफील्ड) (डिज़ाइन चेंनेज 0+000 से 33+604)]	772.11	463.27	14-09-2024	14-09-2039	15.0	30.88	463.27
294	एनएच-130सीडी (पैकेज-सीजी-2) के 42.800 किमी से 99.500 किमी तक 6लेन सरगी-बासनवाही खंड का विकास	1,255.00	753.00	15-09-2024	15-09-2039	15.0	50.20	753.00
295	एनएच 250 के लुधियाना बाईपास के साथ 0.0 किमी से 19.5 किमी तक 66.0 किमी से 91.0 किमी तक आई/सी खरार स्पर किमी तक तक भिओरा गांव (रूपनगर) के पास एनएच -205 के साथ मानेवाल (लुधियाना) के जंक्शन के निकट एनई-5 गांव के साथ जंक्शन से 4/6 लेन ग्रीनफील्ड लुधियाना-रूपनगर राजमार्ग। (पैकेज-3)	1,107.00	664.20	15-09-2024	15-09-2039	15.0	44.28	664.20

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
296	एनएच-66 (पुराना एनएच-17) के 369.015 किमी से 397.850 किमी तक थालिकुलम से कोडुगल्लूर खंड का 6 लेन	1,420.00	852.00	16-09-2024	16-09-2039	15.0	56.80	852.00
297	बामनी-राजुरा-वारूर-देवदा का 4 लेन एनएच-930डी (19.000 किमी से 52.425 किमी तक) के एमएच/टीजी सीमा तक	837.00	502.20	18-09-2024	18-09-2039	15.0	33.48	502.20
298	महाबलीपुरम - पांडिचेरी (पैकेज - II) [मुगैयूर से मरक्कनम]	792.00	475.20	22-09-2024	22-09-2039	15.0	31.68	475.20
299	एनएच-154 के 51.000 किमी से 72.000 किमी तक सिद्दुनी से रजोल तक 4लेन कॉन्फिगरेशन का पुनर्वास, उन्नयन और सुदृढीकरण	389.00	233.40	25-09-2024	25-09-2039	15.0	15.56	233.40
300	अमस से शिवरामपुर तक एनएच 119 डी का 0.000 किलोमीटर से 55.002 कि.मी. तक 4 लेन ग्रीनफील्ड संरक्षण (पैकेज-I)	1,157.50	694.50	27-09-2024	27-09-2039	15.0	46.30	694.50
301	शिवरामपुर से रामनगर तक एनएच 119 डी का 55.002 कि.मी से 109.300 किलोमीटर तक 4लेन ग्रीनफील्ड संरक्षण (पैकेज-II)	1,207.00	724.20	27-09-2024	27-09-2039	15.0	48.28	724.20
302	242.200 किलोमीटर से 280.400 किलोमीटर (पैकेज 2) तक जुलेकल गांव से दिन्नेदेवरापाडु गांव तक 6लेन पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग	943.50	566.10	27-09-2024	27-09-2039	15.0	37.74	566.10
303	एनएच-166 के 112.340 किमी से 145.300 किमी तक रत्नागिरी-कोल्हापुर खंड का 4लेन (पैकेज III)	986.00	591.60	27-09-2024	27-09-2039	15.0	39.44	591.60
304	रायपुर विशाखापत्तनम इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के तहत किमी 342+500 किमी से 365+033 किमी (पैकेज-ओडी-8) तक एनएच-130-सीडी रोड का 6लेन ग्रीनफील्ड कंदिली - तुम्बीगुरा खंड	1,396.09	837.65	27-09-2024	27-09-2039	15.0	55.84	837.65
305	हैदराबाद - मानेगुडा	785.00	471.00	27-09-2024	27-09-2039	15.0	31.40	471.00
306	कोल्लम बाईपास - कदमबट्टुकोणम की शुरुआत	1,385.00	831.00	29-09-2024	29-09-2039	15.0	55.40	831.00
307	होसुर से धामरापुरी (पीकेजी-1) [नेरलुरु - थोरापल्ली अग्रहारम]	484.74	290.84	03-10-2024	03-10-2039	15.0	19.39	290.84
308	कानपुर-लखनऊ (एक्सप्रेसवे) 10.980 किमी से 28.500 किमी पैकेज I	1,413.00	847.80	05-10-2024	05-10-2039	15.0	56.52	847.80

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
309	ग्रीनफील्ड कानपुर-लखनऊ (एक्सप्रेसवे) 28.500 किमी से 73.744 किमी. पैकेज II	1,513.00	907.80	05-10-2024	05-10-2039	15.0	60.52	907.80
310	एनएच-150सी बसवंतपुर से सिंगनोदी खंड का 6लेन रायचूर में 162.5 कि.मी से 203.100 कि.मी. (पैकेज-IV)	1,079.00	647.40	11-10-2024	11-10-2039	15.0	43.16	647.40
311	भीमासर, एनएच-41 के जंक्शन से अंजार-भुज तक एनएच-341 हवाई अड्डे के जंक्शन 0.000 किमी से 65.478 किमी तक के तक 4लेन पीएस में उन्नयन	1,085.00	651.00	11-10-2024	11-10-2039	15.0	43.40	651.00
312	एनएच-166 के रत्नागिरी-कोल्हापुर खंड का 4 लेन 0.000 किमी से 19.769 किमी और 31.000 किमी से 67.140 किमी (पैकेज - I)	930.00	558.00	13-10-2024	13-10-2039	15.0	37.20	558.00
313	एनएच-119डी - आमस दरभंगा (पैकेज-III) के कल्याणपुर से ताल दशहरा तक 4लेन ग्रीनफील्ड सरेखण	1,358.00	814.80	13-10-2024	13-10-2039	15.0	54.32	814.80
314	एनएच-71 के 0.000 किमी से 55.500 किमी तक मदनपल्ली से पिलेरू खंड का 4लेन (पैकेज-I)	1,577.00	946.20	14-10-2024	14-10-2039	15.0	63.08	946.20
315	बेंगलूर रिंग रोड (एसटीआरआर)- एनएच-948ए- बालागोंडापल्ली (टीएन) से टीएन/केएनटी सीमा तक 144.480 किमी से 179.969 किमी तक चरण-III का पैकेज-I	912.60	547.56	19-10-2024	19-10-2039	15.0	36.50	547.56
316	नंदिन्ने गांव से जुलेकल गांव तक 6लेन 202.900 किमी से 242.200 किमी तक पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग (पैकेज-1)	779.50	467.70	19-10-2024	19-10-2039	15.0	31.18	467.70
317	बांदीकुई के पास दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जयपुर तक 6लेन ग्रीनफील्ड स्पर	1,368.00	820.80	19-10-2024	19-10-2039	15.0	54.72	820.80
318	एनएच-150सी के एमएच/केएन सीमा (बदादल) से मराडगी एस अंडोला खंड का 6एल (अक्कलकोट से केएन/टीएस सीमा खंड का पैकेज-2, एनएच- 150सी के 26,000 किमी से 97,000 किमी तक (पैकेज II)	1,437.72	862.63	27-10-2024	27-10-2039	15.0	57.51	862.63
319	घोमन-टांडा की 2/4लेन	639.00	383.40	30-10-2024	30-10-2039	15.0	25.56	383.40
320	एनएच-71 के 55.900 किमी से 92.8 किमी और 94.5 से 95.717 तक पिलेरू से कलूर (तिरुपति ग्रामीण) खंड का 4लेन (पैकेज-II)	778.61	467.17	30-10-2024	30-10-2039	15.0	31.14	467.17

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
321	एनएच-75 (खंड-V) पर 219.600 किमी (खजुरी) से 260.483 किमी (विंडमगंज) तक 4लेन	846.00	507.60	03-11-2024	03-11-2039	15.0	33.84	507.60
322	इंदौर - एदलाबाद [तेजाजीनगर से बलवाड़ा] (पैकेज-II)	924.44	554.66	03-11-2024	03-11-2039	15.0	36.98	554.66
323	हमीरपुर बाईपास के अंत (चिलबहाल के पास) से भांगबार खंड तक एनएच-88 के 138.295 कि.मी. से 175.270 किमी. तक मौजूदा सड़क का 2लेन पीएस तक पुनर्वास और उन्नयन (पैकेज-IV)	435.00	261.00	16-11-2024	16-11-2039	15.0	17.40	261.00
324	एनएच-54 के 140.700 किमी से 165.080 किमी, 165.220 किमी 190.587 किमी तक नारीम्बंगलो- जटिंगा जंक्शन हरंगजोरोड खंड के 4लेन का शेष कार्य	1,674.00	1,004.40	21-11-2024	21-11-2039	15.0	66.96	1,004.40
325	एनएच-320बी(पैकेज-II) के 53.600 किमी से 81.450 किमी तक गोला-ओरमांड्री खंड का 4लेन	732.00	439.20	22-11-2024	22-11-2039	15.0	29.28	439.20
326	4लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड एनएच ग्राम बलभद्रपुर (डिजाइन अध्याय 47+000) से ग्राम बेला नवादा (दरभंगा) (89+100) तक एनएच119डी (अमस-दरभंगा पैकेज-4 42.210 किमी) तक	1,687.81	1,012.69	07-12-2024	07-12-2039	15.0	67.51	1,012.69
327	जंक्शन से 4/6एल ग्रीनफील्ड लुधियाना-रूपनगर हाईवे मानेवाल (लुधियाना) के निकट एनई-5 गांव से जंक्शन तक। भिओरा गांव (रूपनगर) के पास एनएच-205 के साथ 37.7 किमी से 66.0 किमी तक आई/सी स्पर से खरड़ तक लुधियाना बाईपास के साथ एनएच-205 के (पैकेज-2) के 0.0 किमी से 18.5 किमी तक	1,035.00	621.00	12-12-2024	12-12-2039	15.0	41.40	621.00
328	एनएच-530बी गाजू गांव से 4 लेन 32.982 कि.मी. से 208.000 किमी देवीनगर बाईपास (अंत) (पैकेज-1सी)	738.00	442.80	15-12-2024	15-12-2039	15.0	29.52	442.80
329	एनएच-130-सीडी के 99.500 किमी से 124.661 किमी तक बसनवाही-मारंगपुरी खंड के 6लेन का विकास	1,084.65	650.79	15-12-2024	15-12-2039	15.0	43.39	650.79
330	मथुरा बाईपास से 4लेन (प्रारंभ) मौजूदा एनएच-44 के 154.20 किमी से 32.982 किमी तक गाजू गांव तक एनएच-530बी (पैकेज- IV)	885.00	531.00	15-12-2024	15-12-2039	15.0	35.40	531.00

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
331	हरदोई बाईपास के अंत से लेकर एनएच 731 (पैकेज-3) के हरदोई जिले के अंत तक 175.080 किमी से 229.070 किमी तक मौजूदा सड़क का 4लेन पीएस तक सुधार और उन्नयन	864.00	518.40	22-12-2024	22-12-2039	15.0	34.56	518.40
332	बंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे (चरण-II) पैकेज-II) 96.000 किमी. से 127.000 किमी तक (बैरेड्डीपल्ले से बंगारुपलेम खंड)	2,007.00	1,204.20	30-12-2024	30-12-2039	15.0	80.28	1,204.20
333	146.300 किमी से 156.560 किमी (शिमला बाईपास -पैकेज II) तक शकराल गांव से ढल्ली खंड का 4लेन और एनएच-5 के 0.000 किमी से 0.725 किमी तक शिमला कनेक्टिविटी	2,070.00	1,242.00	01-01-2025	01-01-2040	15.0	82.80	1,242.00
334	4लेन पॉटा साहेब-बल्लूपुर (मेदिनीपुर से बल्लूपुर) देहरादून 18.700 कि.मी. से 44.800 किलोमीटर तक एनएच-72 (पैकेज-2)	516.56	309.94	11-01-2025	11-01-2040	15.0	20.66	309.94
335	एनएच-154 (पैकेज-वीए) के 180.000 किमी से 202.815 किमी तक पधार से बिजनी खंड का 2लेन पीएस कॉन्फिगरेशन का पुनर्वास, उन्नयन और सुदृढीकरण	1,627.52	976.51	12-01-2025	12-01-2040	15.0	65.10	976.51
336	4/6 लेन स्पर से हरिद्वार (ग्रीनफील्ड) 0.000 कि.मी. से 50.700 कि.मी. तक	1,475.00	885.00	17-01-2025	17-01-2040	15.0	59.00	885.00
337	एनएच-5 (शिमला बाईपास - पैकेज I) 128.835 किमी से 146.300 किमी तक कथलीघाट से शकराल गांव तक 4लेन	1,564.82	938.89	18-01-2025	18-01-2040	15.0	62.59	938.89
338	एनएच-07 का 4लेन पॉटा साहेब-मेदिनीपुर 435.65 किमी से 458.65 कि.मी. (पैकेज-1)	524.54	314.72	20-01-2025	20-01-2040	15.0	20.98	314.72
339	6लेन अमृतसर-बठिंडा 39.00 किमी से 93.00 किमी तक (पैकेज-2)	1,275.00	765.00	24-01-2025	24-01-2040	15.0	51.00	765.00
340	6लेन अमृतसर-बठिंडा 93.00 किमी से 154.866 किमी तक (पैकेज-3)	1,400.00	840.00	29-01-2025	29-01-2040	15.0	56.00	840.00
341	एनएच-29ई का 4लेन सोनौली-गोरखपुर खंड 0+000 किमी से 79.540 किमी तक	1,458.00	874.80	03-02-2025	03-02-2040	15.0	58.32	874.80
342	एनएच-320 (पैकेज-1) के 53.600 किमी से 21.110 किमी तक गोला-बोकारो (जैना मोड़) खंड का 4लेन	647.00	388.20	12-02-2025	12-02-2040	15.0	25.88	388.20

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
343	डीएनडी-फरीदाबाद-बल्लभगढ़ बाईपास केएमपी लिंक - स्पर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी का निर्माण	1,660.50	996.30	16-02-2025	16-02-2040	15.0	66.42	996.30
344	एनएच-166 के 67.140 किमी से 112.340 किमी तक रत्नागिरी- कोल्हापुर खंड का 4लेन (पैकेज - II)	839.00	503.40	05-03-2025	05-03-2040	15.0	33.56	503.40
345	4लेन पीएस मायडुकुर -बडवेल से एनएच-67 के 585.820 किमी से 630.960 किमी तक	718.90	431.34	22-03-2025	22-03-2040	15.0	28.76	431.34
346	दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (चरण-II पैकेज-XVII) कुंजवानी- सिधरा 515+00 किमी से 529+00 किमी, पुनः संरेखित। बन्न गांव में 542+00 किमी से 545+00 किमी और एनएच-144 के डोमेल-कटरा (552+00 किमी से 564+00) में दर्शनी, ड्योढी, बाण गंगा, कटरा के पास एनएच-144 पर 4 किमी का लिंक है।	856.19	513.71	28-03-2025	28-03-2040	15.0	34.25	513.71
347	एनएच-133ए का मेहगामा- हंसडीहा के 4लेन 41.900 कि.मी. से 93.000 किमी. (पैकेज-II)	976.00	585.60	14-04-2025	14-04-2040	15.0	39.04	585.60
348	6लेन मराडगी एस अंडोला से बसवंतपुर (अक्कलकोट- केएनटी/टीएस बॉर्डर का पीकेजी- III) एनएच-150सी के यादगीर में 97.000 कि.मी. से 162.500 किलोमीटर तक।	1,416.41	849.85	14-04-2025	14-04-2040	15.0	56.66	849.85
349	एनएच-103 और 3 के 121.175 किमी से 138.295 किमी तक हमीरपुर बाईपास का 2लेन पीएस	397.50	238.50	20-04-2025	20-04-2040	15.0	15.90	238.50
350	पुराने एनएच-72 का 4लेन अम्बाला-काला अम्ब -0.800 कि.मी. से 33.015 कि.मी.	629.16	377.50	21-05-2025	21-05-2040	15.0	25.17	377.50
351	एनएच-563 के 49.500 किमी से 117.820 किमी तक करीमनगर- वारंगल खंड का 4लेन	1,647.00	988.20	29-05-2025	29-05-2040	15.0	65.88	988.20
352	एनएच-544डी के अनंतपुर (0.000 किमी) से मुचुकोटा (37.000 किमी.) (पैकेज-I) तक पीएस के साथ 4लेन का पुनर्वास और उन्नयन	676.36	405.82	04-06-2025	04-06-2040	15.0	27.05	405.82
353	एनएच-75 (खंड-III) पर 147.450 किमी (भोगू) से 196.870 किमी (संखा) तक 4लेन	818.00	490.80	11-06-2025	11-06-2040	15.0	32.72	490.80

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
354	एनएच 753एल के शाहपुर से मुक्ताईनगर 4लेन 186.000 कि.मी. से 216.278 किमी तक (बोरेगांव बुजुर्ग से मुक्ताईनगर का पैकेज II)	539.40	323.64	30-06-2025	30-06-2040	15.0	21.58	323.64
355	अंबाला-चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड खंड का 6लेन 0.000 किमी से 25.000 कि.मी. लालरू तक 4लेन स्पर के साथ 0.000 किमी से 5.828 किमी और पीआर-7 रोड स्पर 0.000 किमी से 11.157 कि.मी. तक	941.59	564.95	17-07-2025	17-07-2040	15.0	37.66	564.95
356	एनएच-227ए के 230.385 किमी से 281.391 किमी तक राम जानकी मार्ग के सीवान-मसरख खंड का 4लेन	1,399.22	839.53	17-07-2025	17-07-2040	15.0	55.97	839.53
357	मुचुकोटा (37.000 किमी.) से बुग्गा (69.000 किमी.) (पैकेज II) से एनएच-544डी के 4लेन पीएस तक पुनर्वास और उन्नयन	733.35	440.01	17-07-2025	17-07-2040	15.0	29.33	440.01
358	वंकाराकुंटा (अध्याय 45+700) से ओडुलापल्ले (अध्याय 72+000) तक [एनएच-544जी](पैकेज-3) 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे	697.21	418.33	27-07-2025	27-07-2040	15.0	27.89	418.33
359	एनएच-130ए का उरगा-पत्थलगांव के 4लेन 70.200 कि.मी. से 154.200 किमी.	1,955.00	1,173.00	06-08-2025	06-08-2040	15.0	78.20	1,173.00
360	उमागांव-सहरसा (पैकेज-V) बकौर-परसरमा-बनगांव-बरियाही और स्पर से महिषी	551.51	330.91	09-08-2025	09-08-2040	15.0	22.06	330.91
361	नए एनएच-44 के अंबाला रिंग रोड का 4लेन पीएस	691.00	414.60	22-08-2025	22-08-2040	15.0	27.64	414.60
362	करनाल रिंग रोड (लॉट-4/पैकेज-1) - गांव शामगढ़ के पास एनएच-44 से शुरू होकर गांव समालखा के पास करनाल-मुनक रोड (एमडीआर-115) पर समाप्त होगी।	997.11	598.27	28-08-2025	28-08-2040	15.0	39.88	598.27
363	वानावोलु (सीएच 24+300) से वंकाराकुंटा (सीएच 45+700) का [एनएच-544जी] (पैकेज-2) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग	461.23	276.74	31-08-2025	31-08-2040	15.0	18.45	276.74
364	एनएच-148बी का 4लेन भिवानी-हांसी रोड खंड	799.00	479.40	06-09-2025	06-09-2040	15.0	31.96	479.40
365	नायडूपेटा जंक्शन का 6लेन - तुरपुकनुपुर खंड 57.046 किमी से 91.927 किमी तक	961.20	576.72	11-09-2025	11-09-2040	15.0	38.45	576.72
366	एनएच 753एल का 4लेन बोरेगांव बुजुर्ग से शाहपुर (बोरेगांव बुजुर्ग	944.00	566.40	11-09-2025	11-09-2040	15.0	37.76	566.40

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
	से मुक्ताईनगर का पैकेज I)							
367	[एनएच-544जी] (पैकेज-13) के मरिपुडी (सीएच 285+500) से सोमवरप्पाडु (सीएच 314+600) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग	665.00	399.00	14-09-2025	14-09-2040	15.0	26.60	399.00
368	[एनएच-544जी] (पैकेज-4) के ओडुलापल्ले (सीएच 72+000) से नल्लाचेरुवु-पल्ली (सीएच 96+300) तक 6 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग	774.10	464.46	20-09-2025	20-09-2040	15.0	30.96	464.46
369	कुरनूल (एनएच-40/डिज़ाइन किमी.0.000 का मौजूदा किमी. 5.400) से एनएच-340सी के मांडलेम (मौजूदा 38.000 किमी./डिज़ाइन 30.600 किमी.) तक 4 लेन पीएस (पैकेज-1)	587.92	352.75	20-09-2025	20-09-2040	15.0	23.52	352.75
370	मैसूर से कुशालनगर पैकेज-IV डिज़ाइन सीएच से हुनसूर में एसएच - 86 रामनाथपुरा - तेराकानांबी रोड/ केआर नगर जंक्शन के पास 169+000 किमी पर डिज़ाइन सीएच कर्नाटक राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर एसएच-117 येलावाला - केआर नगरा रोड जंक्शन के पास यालाचाहल्ली में 195+550 किमी	650.00	390.00	20-09-2025	20-09-2040	15.0	26.00	390.00
371	एनएच-119 का मेरठ-नजीबाबाद 39.24 किमी. से 86.59 किमी. (पैकेज-II) - बहसूमा बिजनौर	1,180.99	708.59	21-09-2025	21-09-2040	15.0	47.24	708.59
372	मौजूदा सड़क का 88.750 किमी से 123.650 तक 4लेन पीएस तक सुधार और उन्नयन, शाहजहाँपुर बाईपास की शुरुआत से एनएच 731 (पैकेज-2ए) के शाहाबाद बाईपास की शुरुआत तक	564.76	338.86	22-09-2025	22-09-2040	15.0	22.59	338.86
373	एनएच 731 (पैकेज-2बी) के शाहाबाद बाईपास के प्रारंभ से लेकर हरदोई बाईपास के अंत तक 123.650 किमी से 175.080 किमी तक मौजूदा सड़क का 4एल पीएस में सुधार और उन्नयन	659.87	395.92	22-09-2025	22-09-2040	15.0	26.39	395.92
374	4लोफ चिलकुरु क्रॉस रोड से तुरपू कानुपुरु (भाग 1, पैकेज-II) किमी 0.00 से किमी 23.770 तक, जिसमें 6एल फ्लाईओवर और एनएच-16 पर एप्रोच और तुरपु कनुपुरु के 6एल से पोर्ट साउथ गेट (भाग 2, पैकेज-II) किमी 91.910 से किमी 103.154 तक शामिल है।	686.68	412.01	25-09-2025	25-09-2040	15.0	27.47	412.01

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
375	ग्रीनफील्ड अबोहर और फाजिल्का बाईपास के निर्माण सहित एनएच-07 के फाजिल्का से अबोहर खंड का 4लेन	1,198.91	719.35	25-09-2025	25-09-2040	15.0	47.96	719.35
376	4 लेन रुद्रपुर बाईपास 0.00 किमी. से 21.476 किमी.	588.99	353.39	25-09-2025	25-09-2040	15.0	23.56	353.39
377	6 लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी-रांची-कोलकाता राजमार्ग, चतरा से लेकर 222.000 किमी से 253.000 किमी तक देवरिया गांव में एनएच-100 के साथ जंक्शन तक (पैकेज -9)	961.94	577.16	25-09-2025	25-09-2040	15.0	38.48	577.16
378	पैकेज-V. यलचाहल्ली में एसएच-117 के पास येलावाला-केआर नगरा रोड डिज़ाइन सीएच से जंक्शन पर 195+550 किमी पर डिज़ाइन सीएच कर्नाटक राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर पश्चिम वाहिनी के पास श्रीरंगपट्टनम बाईपास पर 214+535 किमी जुड़ना (लगभग 131+180 किमी पर)	690.30	414.18	26-09-2025	26-09-2040	15.0	27.61	414.18
379	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227एफ के चोरमा-बैरगनिया खंड का डिज़ाइन सीएच.0.000 से 34.566 तक पक्के खंडों के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन।	393.11	235.87	28-09-2025	28-09-2040	15.0	15.72	235.87
380	एनएच-114ए के बासुकीनाथ-देवघर खंड का 4लेन	999.00	599.40	29-09-2025	29-09-2040	15.0	39.96	599.40
381	एचएएम मोड पर ओडिशा राज्य में एनएच-53 (पुराना एनएच-5ए) के 18.00 किमी से 39.00 किमी तक चंडीखोल-पारादीप खंड का 4 से 8 लेन तक पुनर्वास और उन्नयन (पैकेज-2)	742.25	445.35	10-10-2025	10-10-2040	15.0	29.69	445.35
382	डिज़ाइन सीएच 150.240 किलोमीटर पर वारंगल जिले के वेंकटपुर गांव से एनएच-163जी (वारंगल-खम्मम) पर 4लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग खंड। 189.650 किमी पर महबुबबेद जिले के थल्लासेकेसा गांव तक (पैकेज-II)	847.87	508.72	11-10-2025	11-10-2040	15.0	33.91	508.72
383	हेममिगे गांव पेरियापटना - हसन रोड जंक्शन के पास से 4लेन पीएसडुनसूर के पास - के.आर. नगर जंक्शन खंड से कि.मी. 144.900 से कि.मी. एनएच-275 का 169.000 - मैसूर से कुशलनगर (पैकेज. III)	575.90	345.54	15-10-2025	15-10-2040	15.0	23.04	345.54

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
384	एनएच-340 सी (पैकेज-2) के मांडलेम (मौजूदा 38.000 किमी. /डिज़ाइन 30.600 किमी.) से आत्मकुर (मौजूदा किमी.73.000/डिज़ाइन 66.115 किमी.) तक 4लेन पीएस	597.00	358.20	15-10-2025	15-10-2040	15.0	23.88	358.20
385	इंदौर - हरदा (पैकेज-II) [राघवगढ़ से नानासा तक 29.30 किमी से 92.30 किमी.]	799.20	479.52	16-10-2025	16-10-2040	15.0	31.97	479.52
386	एनएच-53 (पुराना एनएच-5ए) के चंडीखोल-पारादीप खंड का 39.000 किमी. से 60.00 किमी तक 4 से 8 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (पैकेज-3)	762.75	457.65	20-10-2025	20-10-2040	15.0	30.51	457.65
387	एचएएम पर एमपी और यूपी में भारत माला परियोजना (ईसी) के तहत एमपी/यूपी सीमा से एनएच-34 और 35 के कबरई खंड को 197.000 किमी से 242.991 किमी (लंबाई = 45.991 किमी) (सागर-कबरई पैकेज -5) तक 4 लेन का बनाना	896.36	537.82	25-10-2025	25-10-2040	15.0	35.85	537.82
388	[एनएच-544जी] (पैकेज-12) के पोलावरम (सीएच 260+000) से मरिपुडी (सीएच 285+500) तक 6एल एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग	510.39	306.23	25-10-2025	25-10-2040	15.0	20.42	306.23
389	नारायणपेट (सीएच 203+500) से चन्द्रशेखरपुरम (सीएच 228+000) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग (पैकेज-10)	564.07	338.44	25-10-2025	25-10-2040	15.0	22.56	338.44
390	सूरत-नासिक-अहमदनगर- सोलापुर-एमएच/केएनटी सीमा एनएच-150सी के 512.000 किमी से 548.400 किमी तक नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (अक्कलकोट - केएन/टीएस सीमा खंड का हिस्सा) हसापुर-बडादल (पैकेज - XIV)	872.17	523.30	29-10-2025	29-10-2040	15.0	34.89	523.30
391	एनएच-53 (पुराना एनएच-5ए) के चंडीखोल-पारादीप खंड का 0.00 किमी. से 18.00 किमी. तक 4 से 8 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (पैकेज-1)	711.00	426.60	30-10-2025	30-10-2040	15.0	28.44	426.60

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
392	(i) एनएच-146 का खंड 4लेन विदिशा से हिनोतिया 0.000 किमी से किमी 27.000 तक (विदिशा- मेहु लवा-तालबेहट पैकेज-I) एनएच- 346 का खंड और (ii) 4लेन विदिशा से मोरीकोरी 39.000 किमी से 59.476 तक	721.00	432.60	01-11-2025	01-11-2040	15.0	28.84	432.60
393	नल्लाचेरुवु पल्ली (सीएच 96+300) से येरागुडीपाडु (सीएच 129+000) तक [एनएच-544जी] (पैकेज-5) 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग	819.21	491.53	02-11-2025	02-11-2040	15.0	32.77	491.53
394	येरागुडीपाडु (सीएच 129+000) से [एनएच-544जी] के ऑडीरेडुडीपल्ले (सीएच 160+000) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे (पैकेज-6)	802.22	481.33	02-11-2025	02-11-2040	15.0	32.09	481.33
395	6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे ऑडीरेडुडीपल्ले (सीएच 160+000) से मल्लापल्ली (सीएच 176+000) तक (पैकेज-07)	780.12	468.07	03-11-2025	03-11-2040	15.0	31.20	468.07
396	6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग कोडूर (सीएच 0+000) से वानावोलू (सीएच 24+300) तक [एनएच-544जी] (पैकेज-1)	599.50	359.70	03-11-2025	03-11-2040	15.0	23.98	359.70
397	6लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी-रांची- कोलकाता राजमार्ग रेवासा गांव के पास एनएच-19 और वाराणसी रिंग रोड के जंक्शन से खैनती गांव के पास चंदौली-चैनपुर रोड के जंक्शन तक (0.000 किमी से 27.000 किमी तक) - पैकेज-1	994.03	596.42	05-11-2025	05-11-2040	15.0	39.76	596.42
398	6लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी-रांची- कोलकाता राजमार्ग अनारबंसलिया गांव से सग्रामपुर गांव तक (151+200 किमी. से 184+700कि.मी. तक)(पैकेज-7)	1,248.37	749.02	14-11-2025	14-11-2040	15.0	49.93	749.02
399	6लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी-रांची- कोलकाता राजमार्ग लेपो गांव में एनएच-320 के जंक्शन से कमलापुर गांव (जेएच/डब्ल्यूबी सीमा) तक 358.500 किमी से 387.200 किमी तक (पैकेज -13)	925.11	555.07	19-11-2025	19-11-2040	15.0	37.00	555.07
400	एनएच-75 (सेकंड-II) पर 95.400 किमी (उदयपुरा) से 147.450 किमी (भोगू) तक 4लेन	908.00	544.80	20-11-2025	20-11-2040	15.0	36.32	544.80

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
401	6लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी-रांची- कोलकाता राजमार्ग सोनेपुरबीघा गांव से चतरा के पास एनएच-22 (चतरा बाईपास) के जंक्शन तक 184.700 किमी से 222.000 किमी तक (पैकेज -8)	1,271.98	763.19	20-11-2025	20-11-2040	15.0	50.88	763.19
402	6 लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी-रांची- कोलकाता राजमार्ग, देवरिया गांव से डोनोरेशान गांव तक 253.000 किमी से 288.600 किमी तक (पैकेज -10)	1,303.11	781.87	22-11-2025	22-11-2040	15.0	52.12	781.87
403	6लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी-रांची- कोलकाता राजमार्ग बोंगाबार गांव में एनएच-20 के जंक्शन से लेपो गांव में 325.500 किमी से 358.500 किमी तक एनएच-30 के जंक्शन तक (पैकेज -12)	1,305.00	783.00	28-11-2025	28-11-2040	15.0	52.20	783.00
404	6 लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी-रांची- कोलकाता राजमार्ग डोनोरेशान गांव से बोंगाबार गांव में एनएच- 20 के साथ जंक्शन तक 288.600 किमी से 325.500 किमी तक (पैकेज -11)	1,656.00	993.60	06-12-2025	06-12-2040	15.0	66.24	993.60
405	6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग चन्द्रशेखरपुरम (सीएच 228+000) से पोलावरम (सीएच 260+000) तक [एनएच-544जी] (पैकेज-11) तक	854.71	512.83	12-12-2025	12-12-2040	15.0	34.19	512.83
406	[एनएच-544जी] के सोमवरप्पाडु (सीएच 314.600) से मुप्पावरम (सीएच 343+240) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग (पैकेज-14)	704.71	422.83	13-12-2025	13-12-2040	15.0	28.19	422.83
407	6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग मल्लापल्ले (सीएच 176+000) से कवुलाकुंटला (सीएच 196+000) तक (पैकेज-08)	622.93	373.76	13-12-2025	13-12-2040	15.0	24.92	373.76
408	6लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी-रांची- कोलकाता राजमार्ग पचमोन गांव से अनारबांसलिया गांव तक (116+000 किमी से 151+200 किमी. तक) (पैकेज-6)	1,260.00	756.00	14-12-2025	14-12-2040	15.0	50.40	756.00
409	6लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी-रांची- कोलकाता राजमार्ग भभुआ-अधौरा रोड के जंक्शन से भैरोपुर गांव में कोनकी गांव तक (54.000 किमी. से 90.000 किमी तक) (पैकेज-3)	1,113.43	668.06	14-12-2025	14-12-2040	15.0	44.54	668.06

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
410	6लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी-रांची- कोलकाता राजमार्ग खैनती गांव के पास चंदौली-चैनपुर रोड के जंक्शन से पलका गांव के पास भभुआ-अधौरा रोड के जंक्शन तक (27.000 किमी से 54.000 किमी तक) (पैकेज-2)	891.00	534.60	14-12-2025	14-12-2040	15.0	35.64	534.60
411	ग्रीनफील्ड राजमार्ग खंड (मंचेरियल - वारंगल) डिजाइन सीएच 72.350 कि.मी. से पंगिडिपल्ले गांव से 4लेन एक्सेस नियंत्रित डिजाइन सीएच 112.240 किमी पर ऊरुगोंडा गांव तक (पैकेज-III)	829.21	497.53	20-12-2025	20-12-2040	15.0	33.17	497.53
412	डिजाइन सीएच पर पुट्टपका गांव से 4लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड खंड (मैनचेरियल - वारंगल)। डिजाइन सीएच पर पांगिडिपल्ले गांव तक 35.300 किमी से 72.350 किलोमीटर पैकेज-II)	857.76	514.66	20-12-2025	20-12-2040	15.0	34.31	514.66
413	डिजाइन सीएच पर नरवा गांव से 4लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड खंड (मैनचेरियल - वारंगल)। डिजाइन सीएच पर पुट्टपका गांव तक 3.834 किमी से 35.300 किमी (पैकेज-I)	841.91	505.15	20-12-2025	20-12-2040	15.0	33.68	505.15
कुल	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4,37,091.18	3,25,375.94				21,438.63	2,70,868.02
गृह मंत्रालय- दिल्ली पुलिस								
414	जय सिंह रोड, संसद मार्ग, नई दिल्ली में नए पुलिस मुख्यालय का विकास	286.00	1014.00	2020-21	2032-33	13.0	78.00*	780.00*
कुल	गृह मंत्रालय	286.00	1,014.00				78.00	780.00
जल शक्ति मंत्रालय-स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन#								
415	हरिद्वार, उत्तराखंड में 82 एमएलडी सीवेज प्रशोधन संयंत्रों का विकास	279.65	219.05	26-06-2020	25-06-2035	15.0	14.60	173.72
416	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 50 एमएलडी सीवेज प्रशोधन संयंत्र का विकास	247.36	201.07	01-12-2021	30-11-2036	15.0	13.40	186.39
417	मथुरा, उत्तर प्रदेश में मौजूदा सीवेज प्रशोधन संयंत्र का पुनर्वास और नवीकरण और 30 एमएलडी नए एसटीपी और 20 एमएलडी टीटीपी का निर्माण	728.25	614.51	30-10-2022	29-10-2037	15.0	40.97	597.92

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
418	नैनी (42एमएलडी), फाफामऊ (14एमएलडी) और झूंसी (18एमएलडी) सीवेज शोधन संयंत्रों के लिए अवरोधन, डायवर्जन और प्रशोधन कार्य	1418.57	1239.99	01-08-2023	31-07-2038	15.0	82.67	1147.5
419	इलाहाबाद में मौजूदा एसटीपी का पुनर्वास और संचालन एवं रखरखाव							
420	उन्नाव (13एमएलडी), उत्तर प्रदेश के लिए अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज प्रशोधन कार्य	1263.08	1145.18	-	-	15.0	76.35	1145.18
421	शुक्लागंज (06एमएलडी), उत्तर प्रदेश के लिए अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज प्रशोधन कार्य							
422	मौजूदा एसटीपी (26.06एमएलडी) के एकीकरण के साथ पंखा में 30 एमएलडी क्षमता के नए एसटीपी का विकास, उत्तर प्रदेश							
423	मिर्जापुर के लिए अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज प्रशोधन कार्य (17 एमएलडी)	400.71	340.81	-	-	15.0	22.72	340.81
424	गाज़ीपुर के लिए अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज प्रशोधन कार्य (21 एमएलडी)							
425	फर्रुखाबाद के लिए अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज प्रशोधन कार्य (33 एमएलडी)	404.98	325.60	-	-	15.0	21.71	325.60
426	मुरादाबाद के लिए अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज प्रशोधन कार्य (25 एमएलडी)	141.60	114.13	-	-	15.0	7.61	114.13
427	बरेली सीवेज परियोजना (63 एमएलडी क्षमता के 4 एसटीपी)	340.17	264.35	-	-	15.0	17.62	264.35
428	मुजफ्फरनगर के लिए अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज प्रशोधन कार्य (54.5 एमएलडी)	353.83	280.58	-	-	15.0	43.58	280.58
429	बुढ़ाना के लिए अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज प्रशोधन कार्य (10 एमएलडी)							
430	अयोध्या के लिए अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज प्रशोधन कार्य (33 एमएलडी)	206.86	166.45	-	-	15.0	11.10	166.45
431	मेरठ के लिए अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज प्रशोधन कार्य (220 एमएलडी)	543.53	399.61	-	-	15.0	26.64	399.61
432	आगरा सीवेज परियोजना (175.38 एमएलडी क्षमता के 13 एसटीपी)	807.07	653.65	-	-	15.0	43.58	653.65
433	कंकड़बाग, पटना के लिए अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज प्रशोधन कार्य (50 एमएलडी)	1334.17	457.77	-	-	15.0	30.52	457.77

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में			वार्षिक वार्षिकी	वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिकी देनदारी की राशि
				से	तक	वर्षों की संख्या		
434	दीघा, पटना के लिए अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज प्रशोधन कार्य (100 एमएलडी)							
435	भागलपुर के लिए अवरोधन, डायवर्जन और सीवेज प्रशोधन कार्य (65 एमएलडी)	552.75	438.83	-	-	15.0	29.26	438.83
436	हावड़ा (65 एमएलडी), पश्चिम बंगाल के लिए अवरोधन, मार्ग परिवर्तन और प्रशोधन कार्य	796.55	640.11	-	-	15.0	42.67	640.11
437	बैले (40 एमएलडी), पश्चिम बंगाल के लिए अवरोधन, मार्ग परिवर्तन और प्रशोधन कार्य							
438	कमरहाटी और बाराणगर नगर पालिकाओं (60 एमएलडी), पश्चिम बंगाल के लिए अवरोधन, मार्ग परिवर्तन और प्रशोधन कार्य							
439	एसटीपी-महेशतला के साथ अवरोधन एवं डायवर्जन	388.78	300.13	-	-	15.0	20.01	300.13
कुल	जल शक्ति मंत्रालय	10,207.91	7,801.82				545.01	7,632.73
	कुल योग	4,47,585.09	3,34,191.76				22,061.64	2,79,280.75

टिप्पणियां:

1. मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचित अनुमोदित वार्षिकी अनुबंधों के कारण देयता कीसूचना दी गई है।
 2. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एचएएम परियोजनाओं के संबंध में, क्रम संख्या 174 से 413 तक, क्योंकि इन परियोजनाओं की सीओडी 31.03.2023 के बाद है, इन परियोजनाओं के लिए वार्षिकी भुगतान शुरू नहीं हुआ है।
 3. # जल शक्ति मंत्रालय के संबंध में, हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मोड के तहत परियोजनाओं के मूल्य में (i) निर्माण के दौरान अनुक्रमित पूंजी लागत का 40% भुगतान, बकाया 60% पर ब्याज और अनुक्रमित ओ एंड एम भुगतान पन्द्रह साल के लिए शामिल हैं। कुल प्रतिबद्ध वार्षिकी में 15 वर्षों के लिए वार्षिकी के रूप में भुगतान की गई अनुक्रमित पूंजी लागत का 60%, बकाया शेष पर ब्याज और अनुक्रमित ओ एंड एम लागत शामिल है। उल्लिखित समान वार्षिकी अलग-अलग हो सकती है क्योंकि शुरुआती वर्षों के दौरान भुगतान की राशि अधिक होगी और 15 साल की रियायती अवधि के बाद के भाग में कम होगी। बताई गई तारीखें घोषित वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) (निर्माण पूरा होने के बाद) पर आधारित हैं। रिक्त क्षेत्र के लिए सीओडी अभी तक घोषित नहीं किया गया है और इसलिए संकेत नहीं दिया गया है। ओ एंड एम अवधि और वार्षिकियां सीओडी से शुरू होंगी। क्रमांक 425 से 439 तक, क्योंकि इन परियोजनाओं की सीओडी 31.03.2023 के बाद है, इन परियोजनाओं के लिए वार्षिकी भुगतान शुरू नहीं हुआ है। कुल योग में भविष्य के वर्षों के लिए प्रतिबद्ध वार्षिकियां शामिल हैं।
- * 18% जीएसटी को छोड़कर।

5 विदेशी सहायता

इस अनुबंध में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतों से मिली विदेशी सहायता के स्वरूप का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। वर्ष 2023-2024 तथा 2024-2025 के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता और मूलधन की पुनः चुकौती तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

एजेंसी	वास्तविक 2022-2023	बजट अनुमान 2023-2024	संशोधित अनुमान 2023-2024	बजट अनुमान 2024-2025
1 विदेशी ऋण	93731.28	84942.12	92199.95	93353.81
2 घटाएं-राज्य परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण	16678.82	17168.60	19495.12	21491.12
3 निवल विदेशी ऋण (1-2)	77052.46	67773.52	72704.83	71862.69
4 नकद अनुदान	848.96	936.89	1217.18	1038.81
5 वस्तु अनुदान सहायता	1038.15	1198.42	224.69	5.00
6 जोड़ (3+4+5)	78939.57	69908.83	74146.70	72906.50
7 ऋणों की चुकौती	39928.70	45656.00	47873.20	55910.40
8 विदेशी ऋण की चुकौती को घटाकर (6-7)	39010.87	24252.83	26273.50	16996.10
9 विदेशी ऋणों पर ब्याज अदायगी	12667.37	12254.70	29911.00	32597.90
10 विदेशी सहायता	26343.50	11998.13	-3637.50	-15601.80
(चुकौती और ब्याज अदायगी को घटाकर)(8-9)				

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा प्रदान की जा रही सहायता का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

(क) बहुपक्षीय स्रोत

1. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

(क) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी ऋण, हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक स्रोतों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए संधारणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करना है।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- राष्ट्रीय गंगा नदी परियोजना, तमिलनाडु संधारणीय शहरी विकास परियोजना, क्षय रोग (टी.बी) उन्मूलन कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश मुख्य सड़क नेटवर्क विकास परियोजना, गुजरात त्वरित ज्ञानार्जन के परिणाम (गोल) कार्यक्रम।

(ख) अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब, भारत रियायती ऋणों के कार्यक्षेत्र से बाहर है। हमारे देश में निष्पादित की जा रही अधिकांश परियोजनाएं सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में हैं। वर्तमान में चल रही कुछ परियोजनाएं हैं- नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन, औद्योगिक मूल्य वर्द्धन प्रचालन हेतु कौशल सुदृढीकरण आदि।

2. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी वर्ष 1966 में स्थापित एक मुख्य क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए वर्ष 1986 में एडीबी से उधार लेना शुरू किया गया था।

एडीबी के प्रचालन विद्युत, परिवहन, शहरी क्षेत्रों, वित्तीय संस्थागत संधारणीय जीविकोपार्जन, कौशल विकास आदि तक फैल गए हैं। सरकारी खाते में एडीबी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं: विशाखापट्टनम-चेन्नै औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, 'मध्य प्रदेश जिला सड़क II क्षेत्र परियोजना', कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार III परियोजना, मध्यप्रदेश सिचाई क्षमता सुधार परियोजना, महाराष्ट्र ग्रामीण हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली विस्तार कार्यक्रम और दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली निवेश परियोजना-1 आदि।

3. यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)

यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) पूंजी निवेश हेतु वित्त पोषण के लिए रोम संधि के तहत वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी की सहायता से चलाई जा रही कुछ मुख्य चालू परियोजनाएं हैं: बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-लाइन आर 6-ए, पुणे मेट्रो रेल परियोजना तथा भोपाल मेट्रो रेल परियोजना-ए।

4. न्यू डेवलेपमेंट बैंक (एनडीबी)

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने शंघाई, चीन में न्यू डेवलेपमेंट बैंक की स्थापना की है। वर्तमान में, एनडीबी द्वारा बारह चालू परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।

एनडीबी सहायता से चल रही कुछ प्रमुख चालू परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश की मुख्य जिला सड़कों का विकास एवं उन्नयन, मध्यप्रदेश बहुग्राम ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना, मध्य प्रदेश मुख्य जिला सड़क II परियोजना, असम पुल परियोजना और मणिपुर जलापूर्ति परियोजना, आदि।

5. एशिया अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी)

एशिया अवसंरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जो मुख्यतः ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार, ग्रामीण अवसंरचना और कृषि विकास के लिए ऋण देता है। वर्तमान में, एआईआईबी द्वारा प्रदान की गई सहायता से क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं:- बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-लाइन आर 6, आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना और आंध्र प्रदेश शहरी जल आपूर्ति सेप्टेज प्रबंधन सुधार परियोजना, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3, आदि।

6. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में वर्ष 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने वर्ष 1979 से कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 32 सरकारी परियोजनाओं को सहायता दी है। इनमें पूर्वोत्तर-मिजोरम में जलवायु अनुकूल उच्च भूमि कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना, पूर्वोत्तर-नागालैंड में जलवायु अनुकूल उच्च भूमि कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना शामिल है।

वर्तमान में चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं: छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि वृद्धि परियोजना, एकीकृत आजीविका सहायता परियोजना, महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास परियोजना आदि।

7. वैश्विक निधि संगठन

यह वैश्विक निधि एड्स, टी.बी और मलेरिया (जीएफएटीएम) से मुकाबला करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना और प्रदान करना है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में कार्य करना शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही तीन परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं- वैश्विक निधि द्वारा सहायता प्राप्त एचआईवी एड्स नियंत्रण परियोजना, 'पहुंच बढ़ाना और व्यापक देखभाल बढ़ाना', 'सहायता और उपचार', 'गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3' और 'टी.बी' है।

(ख) द्विपक्षीय स्रोत**1. जापान**

जापान वर्ष 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापान की ओर से सरकारी विकास सहायता, ऋण, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जेआईसीए परियोजनाएं परिवहन, विद्युत, सिंचाई, वन एवं पर्यावरण और स्वास्थ्य इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं।

जेआईसीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल (एचएसआर) परियोजना, पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक परियोजना (एमटीएचएल), दिल्ली, बैंगलुरु, कोलकाता, चैन्नै, मुंबई और अहमदाबाद में मेट्रो प्रणाली, पूर्वोत्तर सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना, आदि।

2. जर्मनी

जर्मनी संघीय गणराज्य 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय उपयोग, संधारणीय आर्थिक विकास।

केएफडब्ल्यू की सहायता से चलने वाली कुछ प्रमुख परियोजनायें इस प्रकार हैं- गंगा बेसिन में पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास कार्यक्रम, केरल में बाढ़ उपरांत जलवायु सहिष्णुता पुनर्निर्माण चरण-II, केरल में बाढ़ उपरांत जलवायु अनुकूल पुनर्निर्माण चरण-I, मुम्बई महानगरीय क्षेत्र के लिए समेकित और हरित शहरी आवागमन, तमिलनाडु के प्रमुख शहरों में बस सेवाओं का जलवायु अनुकूल आधुनिकीकरण-IV, संधारणीय शहरी अवसंरचना विकास-चेन्नै तूफान-जल प्रबन्धन, आदि।

3. रूसी परिसंघ

भारत और रूसी संघ (पूर्ववर्ती यूएसएसआर) के बीच विकासात्मक सहयोग साठ के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में अनुपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था। यूनिट सं. 3 और 4 निर्माणाधीन हैं।

कुडनकुलम में अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (यूनिट 5 और 6) के निर्माण के लिए करार दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के प्रोटोकाल सं.2 पर जुलाई, 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

4. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को वर्ष 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। भारत में एएफडी द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऊर्जा दक्षता, नवीकरण ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल) हैं।

एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- नागपुर मेट्रो के लिए ऋण सुविधा करार, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और सूरत मेट्रो आदि।

5. कोरिया गणराज्य

अक्टूबर, 2016 में कोरिया गणराज्य को विकास सहयोग के लिए द्विपक्षीय भागीदार के रूप में स्वीकार किया गया। भारत को औपचारिक विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करने के लिए दो सरकारों के बीच दिनांक 14.06.2017 को एक ईडीसीएफ करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

आर्थिक विकास सहयोग निधि (ईडीसीएफ) के माध्यम से नागपुर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए बेहतर परिवहन प्रणाली की स्थापना हेतु एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए।

6. वर्ष 2024-25 में अदायगी के लिए देय बाजार ऋण/भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों/बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रतिभूतियों का विवरण	परिपक्वता की तारीख	अदायगी राशि
	बाजार ऋण:		
1	7.35% सरकारी स्टॉक, 2024	22.06.2024	51,838.33
2	6.69% सरकारी स्टॉक, 2024	27.06.2024	56,000.00
3	8.40% सरकारी स्टॉक, 2024	28.07.2024	65,264.70
4	6.18% सरकारी स्टॉक, 2024	04.11.2024	79,480.28
5	एफआरबी, 2024	07.11.2024	18,826.39
6	9.15% सरकारी स्टॉक, 2024	14.11.2024	78,012.54
7	6.89% सरकारी स्टॉक, 2025	16.01.2025	12,000.00
8	कुल बाजार ऋण (1 से 7)		361422.24*
9	प्रतिभूतियों के परिवर्तन का प्रावधान		150,000.00
10	कुल (8+9)		511,422.24
	क. तेल विपणन कम्पनियों को भारत सरकार के विशेष बॉण्ड		
11	8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	19.09.2024	10,306.33
12	6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	21,701.00
13	7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	5,636.92
14	8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	2,056.92
15	कुल (11 से 14)		39,701.17
	ख. भारतीय खाद्य निगम के लिए		
16	8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	5,000.00
	ग. आईडीबीआई का एसएसएसएफ विशेष बॉण्ड		
17	व्याज रहित प्रतिभूतियाँ		603.73
18	कुल विशेष प्रतिभूति (15+16+17)		45,304.90
19	कुल निर्धारित पुनः अदायगी (बाजार ऋण+भारत सरकार विशेष प्रतिभूति) (10+18)		556,727.14

* भारत सरकार द्वारा पुनः खरीदी गई 30,247.88 करोड़ की प्रतिभूतियाँ शामिल है।

